खण्ड-396, अंक-7
शुक्रवार, 1 आषाढ़, शक संवत् 1912
(22 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क ग
प्रश्नोत्तर	1-86
नियम 301 की सूचनाएं	
जनपद लखीमपुर खीरी में निधासन विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकांड से तबाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील में टिकरी रजबहा का समुचित सफाई न होने से फसल का बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	87
जनपद रायबरेली के सलोन विकास खंड में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
प्रदेश के सहकारी कुर्क अमीनों द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
फैजाबाद शहर में जल भराव से नारकीय जीवन होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
वाराणसी के मुख्य अभियन्ता विद्युत द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मियों की अवैध छंटनी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटाव से जनजीवन को तबाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	89-90
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	91
प्रदेश के जलाशयों से उत्पादन करने वालों के साथ भेद बरते जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	92-94
इलाहाबाद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में गड़बड़ियों एवं घोटालों को छिपाने हेतु आग लगाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	95
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र प्रतिवेदन 1986-87 (पटल पर रखा गया)	96
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वित्तीय विवरण पत्र 1989-90 (पटल पर रखा गया) ..	96
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा संशोधित कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	96
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	97
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को लिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी ..	97-98
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	99-104
वित्तीय वर्ष 1990 91 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) ..	105-153
प्रदेश की सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किये जाने और इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित चयन बोर्ड के सदस्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव को किसी अन्य कार्य दिवस में लिये जाने की सूचना	154

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, रूहेलखंड विश्वविद्यालय, रूहेलखंड पूर्वांचल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम की सूचना ..	154
विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना	155
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	156
खेल-कूद मंत्री श्री मोहम्मद असलम खां के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	157
राजस्व मंत्री श्री रामशरण दास के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	158
शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा सूरजपुर जनपद मऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	158
तहसीलदार सम्भल जिला मुरादाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	159
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान भवन को उनके पौत्र द्वारा बेचने या सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के सबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	160
नत्थियां	161–164

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 22 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरीकिशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अख्तर, श्री	गाजियाबाद	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
अनवार मोहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	माधव, श्री	एटा
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	मुस्तफा अली खां, श्री	मथुरा
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
ओंकार सिंह, श्री	एटा	रविकान्त गर्ग, श्री	मथुरा
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	राजा मो0 अमीर	
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
किशोरी श्याम, श्री	मथुरा	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद	रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
चन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
चन्द्रविजय सिंह, श्री	मुरादाबाद	लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री	मेरठ
चौधरी शंकर सिंह, श्री	जालौन	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	विनोद कुमार चौधरी, श्री	लखनऊ
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा	शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	समीउल्ला, श्री	गोंण्डा
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
बाबूलाल सरोज, श्री	प्रतापगढ़	सबास, श्री	मऊ
बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़	सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
भोलानाथ, श्री	बलिया	सुरेन्द्र सिंह, श्री	बिजनौर
		हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 1990

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की नगरपालिकाओं, नगरमहापालिकाओं एवं जल संस्थानों के कार्यों में एकरूपता लाने की योजना

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओं, महापालिकाओं तथा जल संस्थानों के कार्यों में एकरूपता लाने तथा सुचारू प्रबन्ध हेतु दोनों संस्थाओं को एक करने हेतु शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर तथा इलाहाबाद महानगरों में जल सम्पूर्ति तथा सीवरेज की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा इन नगरों में स्थित जल संस्थानों को विघटित कर संबंधित नगर महापालिकाओं में विलीन करने का निर्णय लिया गया था । किन्तु कतिपय कारणों से उक्त निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है । शासन ने इस मामले में पुर्नविचार किये जाने का निर्णय लिया है । तद्नुसार सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर संस्तुति देने के लिए एक समिति गठित की गई है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पांचों महानगरों को जल सम्पूर्ति तथा सीवरेज की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा इन नगरों में स्थित जल संस्थानों को विघटित कर संबंधित नगर महापालिकाओं में विलीन करने का निर्णय लिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब लिया गया और उस निर्णय को स्थगित कर उस पर पुनर्विचार करने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके सम्मुख विचारणीय कौन-कौन से मुद्दे हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, जल संस्थानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब रही है । इन संस्थानों में काफी घाटा प्रति वर्ष हो रहा है । शासन द्वारा इनके बिजली के बिलों का भुगतान भी करना पड़ रहा है । इसलिए शासन द्वारा वर्ष 1987 में पांचों कवाल नगरों के जल संस्थानों का विघटन तथा तीनों क्षेत्रीय जल संस्थानों के यथावत बने रहने का निर्णय लिया । विघटन की विज्ञप्तियां दिनांक 9 जून, 1987 को जारी कर दी गयी, उनके अनुसार जल संस्थानों को संबंधित महापालिकाओं में मिला दिया गया । इसके बाद जल संस्थान के कर्मचारियों आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । 20 जून, 1987 को इन विज्ञप्तियों को निरस्त कर कार्य-वाही स्थगित कर दी गयी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बता दें कि जो समिति गठित की गई है उसके सम्मुख कौन-कौन से मुद्दे विचाराधीन हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जल संस्थानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए इनको विघटित करने का निर्णय लिया गया था । उसके बाद जब कर्मचारियों ने आन्दोलन किया तब तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री ने 20 जून, 1978 को उक्त विज्ञप्तियां निरस्त कर दीं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जारी की गयी विज्ञप्तियां निरस्त कर दी गईं और एक समिति का गठन किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समिति के सम्मुख कौन-कौन से मुद्दे विचाराधीन हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन्, 8 जुलाई, 1987 को एक समिति गठित की गयी, इसमें सचिव, नगर विकास महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम, संयुक्त सचिव, वित्त, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम थे, इस समिति के सामने वही मुद्दे थे, जो मुद्दे पहले थे । दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि जल निगम तथा समग्र जल संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों के समस्त संघों की राय मगाई गयी है और जैसे ही राय आ जायेगी, उस पर विचार कर लिया जायगा । इस तरह से शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी गड़बड़ी चल रही है, उस गड़बड़ी को तत्काल समाप्त कर दिया जाय ।

श्री प्रसाद कुमार–

मान्यवर, एक तरफ शासन यह बात करता है कि अधिकारियों के चंगुल से निकालकर जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी जाय और दूसरी तरफ जहां सत्ता पहले से जनप्रतिनिधियों के हाथ में है, आप उसे उनसे लेकर अधिकारियों को सौंपने का प्रयास कर रहे हैं । इसी संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि दिनांक 1 जून, 1990 को शासनादेश संख्या-3332/93·90-219 डब्लू/90 के माध्यम से जल संस्थान का दायित्व, जिम्मेदारी और अधिकारी, नगर प्रमुख अधिकारी को सौंप दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन्, माननीय तिवारी जी का कहना बिल्कुल सही है कि 1 जून, 1990 को एक आदेश यहां से गया था और उसका मूल कारण यह था कि जल संस्थान को जो काम दिया गया था, उसको वह समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे तथा जनता को पेयजल सुनिश्चित कराना आदि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी । जहां तक अधिकार का सवाल है, अधिकार जन प्रतिनिधियों से लेकर मुख्य नगर अधिकारी को नहीं दिया गया है, केवल कार्य का निरीक्षण उनके जिम्मे किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ शिकायतें आयी थीं, कि जो आदेश हैं, उससे ऊपर जाकर मुख्य नगर अधिकारी काम करने लगे हैं, उसको रोका गया, लेकिन अब उसके अधिकार में किसी प्रकार की कोई बाधा इस आदेश से नहीं है ।

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कुल दो ही प्रश्न हो सकते हैं, एक प्रश्न आप कर लें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक अलग विभाग की स्थापना की गयी, देहाती अंचलों में भी और शहरी अंचलों में भी । इसी के तहत शहरों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिये जल निगम खोला गया, जबकि जल संस्थान भी शहर में ही है और जल संस्थान का अध्यक्ष, नगर प्रमुख होता है और नगर प्रमुख को ही जल संस्थान की व्यवस्था करने के लिये पूरे अधिकार थे, उसमें जो भी कमियां थीं, कमजोरियां थीं, उनको दूर करने के लिये नगर प्रमुख हुआ करता था, ऐसी स्थिति में जल संस्थान को नगरमहापालिका में मिलाने का क्या औचित्य है, जबकि नगरमहापालिका में काम करने वाले अधिकारी अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आदरणीय सिंह साहब ने कहा है कि जल संस्थान शहर में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन उन्होंने जो इसे मिलाने की बात कही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आदेश गया है, उसमें इसे मिलाने की बात नहीं है केवल प्रशासनिक दृष्टि से जो कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिये यह आदेश गया था । लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि मुख्य नगर अधिकारी आदेश के ऊपर काम करने लगे हैं, जैसे आगरे का ही मामला आया था, तो मालूम होते ही उसको संशोधित कर दिया गया ।

निजी व्यवस्था में चल रहे विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों से कम वेतन दिये जाने की शिकायत

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी व्यवस्था के अन्तर्गत चलाये जा रहे विद्यालयों तथा कान्वेन्ट स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों के अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि उनमें शिक्षण शुल्क तथा अन्य प्रकार के व्यवस्था शुल्क मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कई गुना अधिक वसूल किया जाता है? यदि हां, तो श्रम विभाग द्वारा उक्त कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त विद्यालयों के समान वेतन दिलायें जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

वर्तमान में निजी व्यवस्था के अन्तर्गत चलाये जा रहे विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं है । परन्तु इसमें न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु आपत्तियां प्राप्त करने का निर्णय ले लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर को पढ़कर अति आश्चर्य हुआ। जो निजी कोचिंग चलाये जाते हैं, उनमें फीस तो बहुत ली जाती है, लेकिन वहां ऊपर जो अध्यापक व अध्यापिकायें काम करती हैं, उन्हें सौ व सवा सौ रुपए प्रति माह से ज्यादा वेतन नहीं दिया जाता है। माननीय मंत्री जी से जब प्रश्न पूछा गया कि न्यूनतम वेतन वेजेज निर्धारित किया गया है तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी नहीं"। मान्यवर,

मेरे कुछ आगे भी इसी तरह के प्रश्न हैं, जिसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, "प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों, जिसके अन्तर्गत नर्सरी स्कूलों एवं निजी प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित हैं।" 6 वर्ष के बाद न्यूनतम वेजेज एक्ट में प्राविधान है कि उसका पुनरीक्षण होता है। खुद मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि पुनरीक्षण अभीष्ठ होने की तिथि और उस तिथि को इसका रिनूवल होना चाहिए था। मान्यवर, जब कोई नियम एक्जिस्ट करता है तभी तो उसका रिनूवल होता है। इस संबंध में एक नियम है, दूसरी ओर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि न्यूनतम वेतन निर्धारित है ही नहीं। 2-2 उत्तर दिए गये हैं, जो परस्पर विरोधी हैं। इस विसंगति के क्या कारण हैं, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह सही है कि कुछ खामियां रह गई थीं। दिसम्बर, 1984 में मिनिमम वेजेज फिक्स किए गये थे। अधिसूचना में कुछ खामियां रह गई थी, इन्हीं खामियों की वजह से यह हाईकोर्ट में चैलेन्ज हो गया था। बुनियादी तौर पर जो खामियां रह गई थी, उसी वजह से हमने इस अधिसूचना को वापस ले लिया था। अब आदेश हो गये हैं, फिक्स हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अब जो उत्तर दिया है, यह पहले उत्तर से भी ज्यादा दुखद है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ खामियां रह गई थी, जिसके कारण मामला हाईकोर्ट में चला गया था। मान्यवर, खामी केवल एक थी। यह कमी थी कि सरकार ने इन विद्यालयों में जो अध्यापक व अध्यापिकायें काम करती हैं, उन्हें वर्कमैन शिप की परिभाषा के अन्तर्गत इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में नहीं रखा। जब कभी उनके ऊपर कोई आपत्ति आती थी, तो कामगार की परिभाषा के अन्तर्गत न होने के कारण उनका समाधान नहीं हो सकता था । इस सरकार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह उन्हें इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट के अन्तर्गत रखे, परन्तु इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। मामला हाईकोर्ट में चला गया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने अधिसूचना को वापस ले लिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को विखंडित करने के आदेश दिये थे? यदि नहीं, तो इस अधिसूचना को वापस लिये जाने के क्या कारण थे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार ने स्वयं स्वीकारा है कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। यदि सरकार जिद्द में अड़ी रहती और लड़ती रहती तो उन लोगों को फायदा पहुंचता रहता, जिन्हें आप शोषक कह रहे हैं। अधिसूचना में जो खामियां रह गई थीं, उन्हीं की वजह से इसे वापस लिया गया ताकि जो लोग शोषण कर रहे हैं, वह ज्यादा शोषण न कर सकें। इन सारी खामियों को दूर करके एक नई अधिसूचना जारी की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने तो यह प्रश्न किया था कि उसमें एक खामी थी वह यह कि उन्हें वर्कमैनशिप की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं रखा गया था। बजाय इसके कि इसे भी उस

अधिसूचना के अन्तर्गत शामिल कर एक संगत व प्रभावी अधिसूचना जारी करते, इन्होंने उस अधिसूचना को वापस ले लिया। इसलिए मेरा कहना यह है कि उस अधिसूचना को वापस लिये जाने का क्या कारण था, क्या प्रबन्धाधिकरण के दबाव में आकर नई अधिसूचना जारी की जा रही है। इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में इन अध्यापक, अध्यापिकाओं, चपरासियों व बाबुओं को वर्कमैनशिप की परिभाषा में लाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और इस नई अधिसूचना को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार की जो मंशा है जो नेक नियति है, उसे यह सारा सदन जानता है। सरकार पर किसी का कोई दबाव नहीं है। श्रमिक वर्ग अच्छी तरह से जानता है कि यह सरकार उनके हितों की कितनी रक्षा कर रही है? आपकी मंशा का पालन हो गया है, अधिसूचना बस जारी होने ही वाली है।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि आर0 एस0 एस0 द्वारा संचालित जो शिशु मंदिर हैं, उनमें भी अध्यापक/अध्यापिकाओं का शोषण होता है, क्या वहां पर भी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तरह एक्ट लागू करेंगे और वेतन दिलवाने की कृपा करेंगे? दूसरे जो फीस ली जाती है, उस पर भी प्रतिबन्ध लगायेंगे कि ज्यादा फीस न लें?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जहां तक फीस का मामला है, उसका सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है, शिक्षा विभाग से हो सकता है। जिस विशेष संगठन की बात आपने कही, तो कानून बनाते समय संगठन सामने नहीं होता है, समाज सामने होता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आर0 एस0 एस0 का नाम लिया गया। मेरा आर0 एस0 एस0 से सम्बन्ध है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शिशु मंदिरों में अध्यापकों को वेतन मिनिमम वेजेज से कहीं ज्यादा मिल रहा है। माननीय मंत्री जी के इस कथन से मैं सहमत हूं कि कानून समाज को सामने रखकर बनाया जाता है न कि किसी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष को सामने रखकर। अगर कोई विद्यालय इसकी अवहेलना करता होगा तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इसका विरोध करूंगा।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है कि जो भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय चल रहे हैं, उनमें मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहे हैं, शोषण हो रहा है। माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट में, इन्हें जो मिनिमम वेजेज हैं वे दिलवाने के लिये, आवश्यक संशोधन करने पर विचार करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस समस्या को सामने रखकर ही कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां 150/- रुपये से 200/- रु0 तनख्वाह दी जाती है खासतौर से शिक्षिकाओं का शोषण होता है उसी के कारण प्रशासन का मन था कि जल्द से जल्द किया जाय लेकिन जो कमियां थीं उन्हें पूरे तौर पर नहीं कह सकूंगा समय भी कम है और मुनासिब भी नहीं है। हमने इसे उस परिधि में मान लिया है जो आपकी नीयत है, संशोधन हेतु आप जो सुझाव देंगे वे अवश्य मान लिये जायेंगे।

[शुक्रवार दिनांक 22 जून, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[6वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर में व्याप्त जल संकट को दूर करने के उपायों की जानकारी

*2–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ? सरकार ने गर्मियों में लखनऊ की समस्त जनता को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ नगर में व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :–

(क) विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 में 4 नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है,

(ख) वर्ष 1990–91 में लखनऊ नगर में 15 पुराने नलकूपों के पुनर्विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है,

(ग) बालागंज में द्वितीय जल कल का निर्माण कार्य किया जा रहा है,

(घ) वर्ष 1989-90 में विभिन्न क्षेत्रों में 200 नगर हैण्ड पम्प इंडिया मार्क–11 अधिष्ठापित किए गये हैं ।

(ङ) जल वितरण प्रणाली में सुधार कर नाबस्ता, सआदतगंज, गढ़ीपीर खां, मुफ्तीगंज, दौलतगंज, डालीगंज, महानगर, निरालानगर तथा अमीनाबाद क्षेत्रों में जल चाप में सुधार कर दिया गया है ।

गर्मियों में लखनऊ की समस्त जनता को पीने के पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न उपाय किये गये हैं :–

(अ) 1989-90 में प्रारम्भ किए गए सात नलकूपों का कार्य पूर्ण कर पेयजल मात्रा में 7 एम0 एल0 डी0 की वृद्धि की गई है।

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0 2 तारांकित प्रश्न 19 के पश्चात लिया गया तत्पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

(ब) छः पुराने नलकूपों का पुनरोद्धार करके संबंधित क्षेत्रों की पेयजल सुविधा में वृद्धि की गई है।

(स) एशबाग स्थित जल कट के सेटलिंग टैंक एवं फिल्टर प्लान्ट में सुधार करके वर्तमान संसाधनों से ही पेयजल सुविधा में 48 एम0 एल0 डी0 प्रतिदिन की वृद्धि की गई है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, इस समय लखनऊ की आम जनता प्यासी है । उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि (चार) नलकूपों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, तो किन कारणों से अब कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, दूसरे जिन 15 नलकूपों का पुनर्विकास का कार्य प्रस्तावित है, उनका कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और शेष कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ? बालागंज का जल कल कब तक पूरा हो जायगा और वर्ष 1990-91 में कुल कितने हैण्ड पम्प लखनऊ शहर में लगाए जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न काफी लम्बा हो गया है । मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उत्तर दूं अगर कहीं कोई कमी हो जायगी तो फिर जैसे आपके आदेश होंगे वैसा किया जायेगा । मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि लखनऊ में पेयजल संकट है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लखनऊ की वर्तमान आबादी लगभग 17 लाख है । इसके लिए जो मानक निर्धारित है उसके अनुसार 459 एम0 एल0 डी0 पानी की आवश्यकता है । श्रीमन्, दूसरी बात आपने यह पूछी है कि ट्यूबवेल लगने थे क्यों नहीं लग पाये हैं जैसा कि मैंने कहा इस साल प्रस्तावित है, 90-91 में प्रस्तावित है उसको शीघ्र लगाने का कार्य शुरू किया जायेगा। तीसरी बात आपने यह जाननी चाही कि बालागंज की जो योजना है उसको कब तक पूरा कर लिया जायेगा । लखनऊ में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बालागंज में यह योजना प्रस्तावित है जिसकी लागत 997.70 लाख की है इसको श्रीमन् 1991 तक पूरा होना है, अब तक जो कार्य हुआ है वह मात्र 15 प्रतिशत हुआ है जबकि अब तक 50 प्रतिशत कार्य होना चाहिए । कार्य में जो विलम्ब हुआ है, इस विलम्ब के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी । इस कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, यह जानना चाहा था कि 90-91 में लखनऊ शहर में कितने हैंडपम्प लगाये जायेंगे ? दूसरा यह है कि निशातगंज, नरही, हजरतगंज, मकबूलगंज, मुरली नगर, घसियारी मण्डी, गणेशगंज, बशीरतगंज, नजरबाग अभीनाबाद आदि वार्डों में पानी का काफी संकट है इस संकट को दूर करने तथा जलचाप में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं । उक्त वार्डों में कितने हैण्डपम्प लगाये जायेंगे ? यह स्पष्ट बताने का कष्ट करें कि 1990-91 में कितने हैंड पम्प लखनऊ शहर में लगाये जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि इन-इन मुहल्लों में पेयजल का गम्भीर संकट है इसमें जानना चाहा कि इस वित्तीय वर्ष में कुल कितने हैंड पम्प लगाये जायेंगे। मान्यवर, इसका सर्वे कर लिया जायेगा उस पर ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि वहां के लोगों को पानी मिल सके।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के पुनः खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, आपके 2 अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं दोनों के उत्तर आ गये अब आप उससे संतुष्ट न हों तो क्या किया जाय।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

दो बार प्रश्न किये दोनों बार उत्तर आया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

90-91 में शहर में कितने हैंड पम्प लगाये जायेंगे, इसका उत्तर नहीं आया है। सर्वे की बात कही गयी, सर्वे कब तक पूरा कर लिया जायेगा और वह पूरा होने के बाद कब कार्यवाही होगी। पेयजल का संकट अभी है।

श्री अध्यक्ष–

दूसरों का भी अधिकार है अपनी बात रखने का।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, पानी का संकट काफी गम्भीर है, सर्वेक्षण करायेंगे वह कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें। दूसरे सदस्यों के भी सवाल हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न नहीं लिखा जायगा। प्रश्नों का समय अब समाप्त हो गया है।

वाराणसी महानगर में पेयजल संकट को दूर करने हेतु हैण्ड पम्पस लगाये जाने की मांग

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी महानगर में वर्तमान

नोट :–[xxx] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को राहत देने हेतु सरकार निकट भविष्य में नये हैण्ड पम्प लगाये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

वाराणसी नगर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक 798 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। लगभग 237 हैण्ड पम्प चालू वित्तीय वर्ष में और लग जायेंगे। पेयजल संकट का दूर करने के उद्देश्य से विश्व बैंक योजना के अंतर्गत नये जल संशोधन संयंत्र का कार्य भी प्रगति पर है।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मान्यवर, जिस समय मैंने यह प्रश्न दिया था उस समय की संख्या 798 है। मान्यवर, पूरे वाराणसी को 40 वार्डों में विभाजित किया गया है और एक वार्ड के अन्तर्गत 20-20 मुहल्ले हैं। सरकार की घोषणा है कि 250 की जन संख्या पर एक हैण्ड पम्प लगाया जायेगा। 798 के हिसाब से प्रत्येक मोहल्ले में 1.5 का रेशियो आता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संख्या उस घोषणा के मुताबिक पर्याप्त है या नहीं, यदि नहीं तो क्या पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन् माननीय सदस्य ने कहा कि 250 की जनसंख्या पर हैण्ड पाइप लगाने की व्यवस्था है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में केवल हैण्ड पम्प से ही पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है, उसके लिये अन्य योजनायें हैं, जिनके द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है, जहां तक वाराणसी में पेयजल संकट का प्रश्न है, उसी को दृष्टि में रखते हुये विश्व बैंक योजना के अंतर्गत नये जल संशोधन संयंत्र का कार्य भी प्रगति पर है। पेय जल संकट को ही दृष्टि में रखते हुये इस कार्य को हाथ में लिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर माननीय सदस्य कोई अन्य सुझाव देंगे, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी में पेय जल के संकट को दूर करने के लिये विश्व बैंक की जो योजना कार्यरत है, उसे कब तक पूरा होना था और यदि वह समय से पूरी नहीं हुई है, तो उसका क्या कारण है और क्या जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमान् विश्व बैंक परियोजना की 1350 लाख कास्ट है। योजना का प्रारम्भ अक्तूबर 1987 में किया गया था और उसके पूर्ण होने की अवधि 1991 है। जहां तक पूर्ण होने का प्रश्न है मार्च 1992 तक पूर्ण कर ली जायेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि जो विलम्ब हुआ है, उसके लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसके लिये दोषी है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल–

मान्यवर, वाराणसी महानगर में 2 महा नलकूप भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं। क्या उस पर कार्य शुरू कराया जा चुका है। जो 798 हैण्ड पम्प की बात उठाई गयी है, मेरी जानकारी है कि 100 हैण्ड पम्प से ज्यादा बेकार पड़े हैं। और ये खास कलेक्टरी के दफ्तर के नीचे कचहरी के पास पड़े हुये हैं। यह मामला मैंने कलेक्टर के सामने मीटिंग में भी उठाया था। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले कहा 798 राजकी हैण्ड पम्प हैं और आपका कहना है कि 98 खराब हैं। यानी 700 हैण्ड पम्प से काम लिया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही है कि दो महा नलकूप भारत सरकार ने स्वीकृत किये हैं। इसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर इस तरह के नलकूप स्वीकृत हुये हैं तो उसके विषय में जैसे ही जानकारी होगी, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी?

श्री राज किशोर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस शहर में अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हैं। दशाश्वमेध के अकेले, जहां माननीय सदस्य रहते हैं और मैं भी रहता हूं वहां पर 4-5 हैण्ड पम्प कई महीनों से खराब पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

श्रीमन्, नगरों में हैण्ड पम्प लगाने का कार्य जल संस्थान और जल निगम दोनों ही करते हैं। यह हमेशा विवाद का विषय रहा है कि जल निगम काम करके जल संस्थान को दे देता है तो उसकी मरम्मत का कार्य कैसे किया जाय। यह समस्या हरेक नगर में थी। इस विषय में अब आदेश दिये जा चुके हैं कि जिस हैण्ड पम्प को जल निगम ने बनाया है उसका रख-रखाव और मरम्मत जल निगम तथा जिस हैण्ड पम्प के जल संस्थान द्वारा बनाया गया है उसकी मरम्मत का कार्य जल संस्थान ही करेगा। मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि हैण्ड पम्पों की मरम्मत की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है हालांकि वह पर्याप्त नहीं है किन्तु फिर भी जैसे-जैसे संसाधन होंगे इन खराब हैण्ड पम्प को ठीक करने का प्रयास किया जायेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर दो अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं।

श्री किशन गोपाल–

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा जल निगम और जल संस्थान द्वारा बनाने जाने वाले हैण्ड पम्पों की मरम्मत करायी जायेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जल संस्थान द्वारा बनाये गये हैण्ड पम्प की मरम्मत के लिये उनके पास पैसा नहीं होता है। इसलिये वे नहीं बना पाते हैं। इसलिये मंत्री जी उन्हें पैसे की व्यवस्था भी करा दें और इसे स्पष्ट कर दें। (व्यवधान) उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर उनसे मिलकर प्राप्त कर लें । नियम न तोड़ें । दो अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं । आपकी बात उनके संज्ञान में आ गई है । बैठें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था । वह नहीं हो पाया । मैं यहां पर मौजूद था ।

श्री अध्यक्ष–

आप नहीं थे । बाद में आपका प्रश्न आ जायेगा । बीच में नहीं आ सकता ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मैं मौजूद था ।

श्री अध्यक्ष–

मौजूद होते तो उस समय बोलते न । आप नहीं थे । कृपया नियम न तोड़ें । सदन चाहे तो कर सकता है । मैं नियम नहीं तोड़ सकता ।

फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के प्रतिष्ठानों में श्रम कानून का पालन न किये जाने की शिकायत

*4–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के फिरोजाबाद स्थित प्रतिष्ठानों में श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार प्रतिष्ठानों को 8 घंटे चलवाने का कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है कि जनपद फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में नियमों में श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक ड्यूटी न लेने का ही प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि "यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है" इस पर गौर करेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा आखिर में कि पूर्णरूप से सही नहीं है इस पर गौर करेंगे । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मंत्री जी इस पक्ष में बैठते थे मेरे साथ मजदूरों के सवालों पर बड़े जोरों से भिड़ते थे लेकिन आज श्रम मंत्री के रूप में वह विद्यमान हैं तो मुझे उनके यह कहने से तकलीफ हो रही है . . .

श्री अध्यक्ष–

आप यह कहना भूल गये कि उधर बैठकर बदल गये हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपने मान्यवर, मेरी मदद कर दी धन्यवाद । माननीय मंत्री जी श्रम कानूनों के पालन की बात कहते हैं तो क्या 8 घण्टे की ड्यूटी में क्या बीच में कोई ब्रेक होता है । क्या उन बच्चों को जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं जल जाते हैं और जूता न होने के कारण पाव कट जाते हैं तो उनके लिये कोई फस्ट एड की व्यवस्था कारखानों में सुनिश्चित करायेंगे । क्या उनको जानकारी है कि इस प्रकार की फस्ट एड की व्यवस्था कीसी प्रतिष्ठान में नहीं है । तो क्या इन व्यवस्थाओं को वह सुनिश्चित कराने का आश्वासन देंगे ताकि जो कांच से कट जाते हैं या जल जाते हैं उनको जूता नहीं मिल पाता है और उनको पुष्टाहार नहीं मिलता है उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आश्वासन करेंगे?

मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह शिकवा बिल्कुल गलत है कि मैं बदल गया । मेरे विभाग में जानकारी की जा सकती है कि इन 6 महीनों में जितना लाभ श्रमिकों को देने की कोशिश की गयी उतना पहले कभी नहीं हुआ है । यह सही है कि कानून कागजों पर रहे हैं, उसका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है । जहां तक जूतों के उचित प्राविधान की बात है कि ठीक से जूते नहीं मिलते हैं । इन 6 महीनों के अन्दर श्रम विभाग ने जिस तेजी से काम किया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जूते सब को नहीं दिये जाते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो जूतों का मामला है वहां शीशा तोड़ा जाता है वहां जूते दिये जाते हैं । कल मैंने अधिकारियों से बात की थी कि फैक्ट्री का वह हिस्सा जहां यह काम नही होता है लेकिन वहां भी कांच के टुकड़े होते हैं उससे भी लोग जख्मी होते हैं तो उन तमाम हिस्सों में जहां शीशे का काम होता है जूते दिये जायं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने साफ कहा है कि 8 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता है । तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या जिलाधिकारी के नियंत्रण कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे सायरन लगा कर ताकि कारखाने समय से सायरन बजा कर बंद हो जायं । इसलिये सायरन लगाने की व्यवस्था करेंगे ताकि 8 घंटे से अधिक काम न ले सकें और जो मैंने पुष्टाहार की बात कही है क्या इसको भी सुनिश्चित करायेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, शिकायत यह है कि मिलों में ज्यादा काम लिया जाता है खासकर बच्चों से क्योंकि वह बड़ों की तरह रिजेंट भी नहीं करते हैं और काम भी ज्यादा करते हैं । मेरे पास सूची है आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा पुष्टाहार के सम्बन्ध में जो सायरन की बात की गयी है उस सिलसिले से सम्पर्क किये बगैर, उनसे परामर्श किये बगैर फैसला नहीं लिया जा सकता है?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

यह सत्य है कि 8 घंटों से ज्यादा काम लिया जाता है तो सायरन सिस्टम लगाने का प्रयास करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्राविधान यही है कि 8 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाय जहां ज्यादा लिया जाता है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । उसे और तेज किया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूर्णतः श्रम कानून का उल्लंघन होता है, तो मेरी निजी जानकारी है चूंकि पूर्व के श्रमिक वहां ज्यादा काम करते हैं और वह वहां से वापस आकर अपनी दयनीय स्थिति का बयान हमसे करते हैं, इसलिये मैं कहना और निवेदन करना चाहता हूं कि क्या फिरोजाबाद में जो काम करने वाले बाल श्रमिक हैं उनके हित के लिये वहां बाल श्रमिक कानूनों का जो उल्लंघन होता है विशेष रूप से छानबीन करके जो दोषी हैं मैनेजमेंट के लोग उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे?

दूसरा प्रश्न चालान में 10-15 रुपये औपचारिकतावश जुर्माना करते हैं और भारी जुर्माना नहीं करते हैं इसलिये क्या वर्तमान कानून जो हैं उनमें संशोधन करके कुछ कड़ा प्राविधान करेंगे जिससे मैनेजमेंट के लोग श्रम कानूनों का उल्लंघन न करें?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सही है कि चालान होते हैं और जितनी सजा मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिलती है चूंकि सजा देने का काम न्यायालय का है इसलिये यदि चालान करके सजा देने का काम हमारा होता तो आपकी शिकायत सही होती क्योंकि कोर्ट के सम्बन्ध में टिप्पणी नहीं की जा सकती है ।

मान्यवर, दूसरी बात सत्र के दौरान ही हम 15 दिनों का अभियान चलाने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में तो जो किया जा सकता है वह हम कर रहे हैं ।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि कांच और चूड़ी का काम, तारकसी का काम भट्टी के सामने बैठकर बच्चे करते हैं इससे उनकी आंखें खराब होती हैं या वह टी0बी0 के मरीज हो जाते हैं, इसलिये क्या मंत्री जी कोई सीमा निर्धारित करेंगे कि इससे कम आयु के बच्चे इसमें काम नहीं करेंगे । दूसरे 8 घण्टे लगातार भट्टी के सामने तारकसी का काम करने वाले बच्चों को बैठना पड़ता है, तो क्या मंत्री जी 8 घंटे काम करने की अवधि को कम करने पर विचार करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, चूंकि प्राविधान ऐसे हैं कि 14 साल से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं और कानूनन वह काम नहीं कर सकते हैं । जहां तक 8 घण्टे से कम काम तारकसी का बच्चों से लेने की बात है जो ऐसा यदि मालिक करते हैं तो उनको हम रोकेंगे नहीं ।

डा0 शमी (शमीम) अहमद खां–

मान्यवर, जो अधिकारी श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं उनका ट्रांसफर क्यों किया गया?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

बेरोजगार पंजीकृत स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*5–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवकों को शासन बेरोजगारी का भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिया जाना कठिन है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता-दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह उल्लेख था कि काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल किया जायगा, और अगर नवजवान लोगों को हम काम नहीं दे सकेंगे तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, किन्तु जनता दल के सत्ता में आने के 6 माह बाद भी जो स्थिति है, उसको देखते हुए या आप स्नातक बेरोजगार और पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे? यदि वह स्नातक और पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे सकते हैं, तो क्या वह इतनी कृपा करेंगे कि यदि वे किसी साक्षात्कार के लिए जायं तो उनसे बस अथवा रेल का किराया न लिया जाय? क्या मंत्री जी इस अनुरोध को स्वीकार करने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह मेरे विभाग का तो काम है नहीं, मेरे विभाग का काम रोजगार देना नहीं है, बल्कि यह है कि जो बेरोजगार हैं उनकी सूची तैयार करें और रखे तथा जहां से रोजगार के लिए नाम मांगे जायं, वहां उनका नाम भेज दिए जायं । अब जहां तक हमारे मेनिफस्टो की बात है, जनता से पांच साल का अधिकार लिया गया है उनको लागू करने के लिए और मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी बहुत कम समय हुआ है । थोड़ा समय देंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसके पूर्व कि मैं माननीय कल्याण सिंह जी को अनुमति दूं श्रम मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में आपको क्या उत्तर देना चाहिए, इसको आप देखें । विभाग आपका है या नहीं है, इसमें इसका कोई तात्पर्य नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आधा काम स्वयं आपने अपनी पीठ से कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि आपके इस निर्देश के बाद सरकार पूरी जिम्मेदारी से ऊपर देना सीखेगी । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान शासन ने बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा जब तक रोजगार न दिया जा सके बेरोजगारी भत्ता देना सिद्धान्ततः मान लिया है? भले ही इस समय पर्याप्त संसाधन न होने के कारण आप थोड़े समय बाद इसे करें । जैसा मंत्री जी ने कहा कि हम पांच साल का वायदा लेकर आए हैं, तो क्या सरकार इसे सिद्धान्ततः स्वीकार करती है या नहीं?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी मंशा यह नहीं थी, मैं तो यह साफ करना चाहता था कि श्रम विभाग की अपनी क्या लिमिटेशन है । कल्याण सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी भत्ता के बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी, मैं फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं कह सकूंगा । (व्यवधान) प्रश्न यह है प्रदेश में बहुत से पंजीकृत स्नातक बेरोजगार युवकों को शासन बेरोजगार. . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको स्थगित किये देता हूं, अब प्रश्न संख्या-6, . . . (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि चूंकि मंत्री जी इसका उत्तर देने में संकोच कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके इसे स्थगित कर दें या फिर प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें, क्योंकि यह उत्तर किसी प्रकार से उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने सुना नहीं मैंने कहा कि मैं इसको स्थगित करता हूं ।

मथुरा वृन्दावन नगर पालिका के अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में सीवरलाइनों तथा पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण

*6–श्री रविकान्त गर्ग (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा वृन्दावन नगरपालिकाओं के अंतर्गत कौन-कौन से मोहल्लों व आबादी क्षेत्रों में सीवर लाइनों तथा पानी निकासी हेतु नालियों का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है? क्या उक्त धार्मिक क्षेत्रों में सीवर लाईन डलवाने एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

*7–एडवोकेट हरद्वार दूबे–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

लखनऊ शहर के सीमावर्ती कतिपय गांवों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की मांग

*8–श्री राम कुमार शुक्ल (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ शहर के गंगा खेड़ा व वल्दी खेड़ा, केसरी खेड़ा (पकड़ी कासिमपुर) क्षेत्र में ग्रामीण आबादी में पेयजल की कोई सुविधा नहीं है? यदि हां, तो पेयजल की सुविधा के लिए शासन क्या कर रहा है? क्या वहां जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव है? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और वह कब तक पूर्ण होगी? यदि नहीं, तो क्या वहां हैण्ड पम्प लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ शहर के गंगा खेड़ा में एक, बल्दी खेड़ा व केसरी खेड़ा में दो-दो एवं पकड़ी कासिमपुर क्षेत्र में एक इण्डया मार्क–2 हैण्ड पम्प उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अर्थात कुल छः नग इण्डया मार्क–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करके पेयजल की सुविधा दी गई है।

पाइप पेयजल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव नहीं है। अतएव इसकी रूपरेखा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हैण्ड पम्प की सुविधा उपर्युक्त क्षेत्र में उपलब्ध है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन अवधि के अन्तर्गत वेज रिवीजन न कराये जाने का कारण तथा उद्योगों का विवरण

*9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम वेतन के लिए ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनके रिवीजन की अवधि पूरी हो चुकी है परन्तु उनके वेजेज का रिवीजन नहीं किया गया है? उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनके वेज रिवीजन कब तक हो जाने चाहिए थे? वेज रिवीजन अब तक न करने का क्या कारण है तथा रिवीजन कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूची संलग्न है। इनमें वेज रिवीजन निर्धारित अवधि में हो जाने चाहिए थे जो नहीं हो सके। विलम्ब निर्धारित प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण हुआ है। सूची के 26 नियोजनों में से प्रथम 20 नियोजनों में वेज रिवीजन संबंधी अधिसूचनायें शीघ्र जारी करने का निर्णय ले लिया गया है। शेष 6 के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 16 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखें जो सूची संलग्न है उसमें वेज रिवीजन हो जाने चाहिए थे 82, 86, 87 में जिसके बारे में मैं विशेष रूप से रुचि रख रहा हूं। दिनांक 5-8-89 से वेज रिवीजन हो जाने चाहिए थे, परन्तु सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वर्तमान सरकार से मेरी अपेक्षा है कि मजदूरों के हितों का वह ध्यान रखेगी। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि सूची में क्रम संख्या–13 पर जो लिखा हुआ है, प्लाईवुड इण्डस्ट्री के बारे में, इस सम्बन्ध में एक वेज रिवीजन कमटी बनाई गई । पिछले महीने की 2 तारीख को इसकी मीटिंग हो चुकी थी। उसमें जो वेजेज निर्धारित हुए थे, इतने दिनों के बाद भी राजपत्र में उसका प्रकाशन न होने का क्या कारण है? वेज रिवीजन कमेटी की जो रिपोर्ट है वह कब तक लागू हो जायेगी? किस तारीख तक राजपत्र में प्रकाशन हो जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं इसे दिखवा लूंगा और शीघ्र ही अधिसूचना जारी होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से मजदूरों के हितों के बारे में जानना चाहता हूं कि पिछले महीने की 2 तारीख को मीटिंग हो गयी। डेढ़ महीने बाद भी कोई सूचना जारी नहीं हुई है। जो वेजेज घोषित किये गये वह कब तक प्रभावी होंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नियमानुसार होगा।

बछावत आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग

*10–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर पत्रकारों के लिए बछावत आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू कराने की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्रमजीवी पत्रकरों तथा गैर पत्रकारों के लिए वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित बछावत वेतन मण्डल की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 1989 की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है। इस वेतन मंडल द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले विवादों के निराकरण हेतु शासन स्तर पर श्रम सचिव की अध्यक्षता में शासन तन्त्र का गठन किया गया है जिसमें निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क तथा श्रमायुक्त आदि सदस्य हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बछावत आयोग की सिफारिशें क्या हैं? सिफारिशों को लागू करने में क्या विवाद उत्पन्न हुआ और उसके निराकरण हेतु श्रम सचिव की अध्यक्षता में जो शासन तन्त्र का गठन हुआ, इसका क्या मतलब है? शासन तन्त्र क्या चीज है? इसकी जो रिपोर्ट है, वह शासन को मिल गयी? नहीं मिली, तो कब मिलेगी?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सिफारिशें क्या हैं, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। उसकी जो रिपोर्ट है, वह देनी पड़ेगी। पहले सरकार की तरफ से एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई फिर दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता हुई। उसमें पत्रकारों की तरफ से एक नुमाइन्दा लिया गया, मालिकान की तरफ से एक नुमाइन्दा लिया गया। मंडलों के डी0 एल0 सी0 इस समिति के कन्वीनर होंगे पहले हमने यह तय किया कि लखनऊ को देख लें कौन-कौन से अखबार हैं जिनमें बछावत लागू नहीं हुआ । इस कमेटी को दो महीने हो गये हैं उसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है । इसमें दो सदस्य गैर सरकारी हैं, उनसे कई बार कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट दे दें । हमारे पास उसकी सूची है आप कहें तो उसको पढ़कर सुना दें । ज्यादातर अखबारों में बछावत आयोग की संस्तुतियां लागू हैं, कुछ अखबारों में लागू नहीं हुआ है । मसलन लखनऊ से एक अखबार निकला और

उस अखबार के जो मालिक हैं वह उसी पर बछावत आयोग की सिफारिशें लगाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अखबार पर नहीं, एक मालिक की जितनी पत्र-पत्रिकायें अखबार आदि निकलते हैं उसका हम टोटल रेवेन्यू जानना चाहते हैं और उसी के हिसाब से बछावत लागू हो रहा है या नहीं, इसमें कार्यवाही होती है । अखबार वालों की हमें शिकायत भी नहीं मिलती है, अभी तक हमें अखबार का काम करने वालों की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बछावत आयोग की सिफारिशें क्या हैं, यही विवाद का विन्दु है इसमें मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया । शासन-तन्त्र जो गठित किया गया है उसकी क्या परिभाषायें हैं इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है ।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने शायद लखनऊ के बारे में कहा था ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात हुई है । "झांसी दैनिक भास्कर" में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ और भूख हड़ताल भी हुई है, लेकिन बछावत आयोग लागू नहीं हुआ है, तो क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी जानकारी कराकर इसमें कुछ कार्यवाही करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आवश्य करायेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से समाचार पत्र हैं जिन्होंने बछावत आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है ? जिन्होंने बछावत आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है क्या उनके खिलाफ शासन द्वारा कोई कठोर कार्यवाही के कदम उठाए जायेंगे । दूसरी बात यह जो बछावत आयोग है इससे हमारे पत्रकार बन्धु संतुष्ट नहीं हैं तो क्या उत्तर प्रदेश शासन अपनी तरफ से पहल करेगा और कोई ऐसा आयोग गठित करेगा कि जो मांगे उठ गई हैं उससे सारे लोगों को लाभ मिल सके ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

पालेकर एवार्ड और बछावत आयोग इन दोनों की सिफारिशें लागू हो जाएं यही काफी है । केवल आयोग गठित करना ही काफी नहीं है, अभी बछावत आयोग की रिपोर्ट कहीं लागू हुई है कहीं नहीं हुई है । जो बड़े अखबार हैं जहां बछावत आयोग लागू नहीं हुआ है उसमें कार्यवाही हो रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

क्या सरकार अपनी एक समिति बनाकर और उनकी मांगे सुनकर कोई समझौता करायेगी । समाचार पत्रों से जिन लोगों का शोषण हो रहा है, इसको दूर करने के लिए क्या शासन कोई पहल करेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जो रियायतें देनी तय हैं वह मिल जाएं, क्योंकि अभी न तो पालेकर एवार्ड पूरी तरह से लागू हुआ है और न बछावत आयोग पूरी तरह से लागू हुआ है । असल में नयी नयी बातों को कहने लग जायं और जो लागू करना चाहिए उसको लागू न करें तो उससे कोई फायदा नहीं है । हम जितनी राहत देना चाहते हैं पहले वह लागू हो जाय तब और कोई राहत देने की बात करें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, बछावत आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि जो मालिक बछावत आयोग को लागू नहीं करते हैं उनके ऊपर 400 रुपयों का जुरमाना किया जाय । अखबार के मालिक प्रति महीने लाखों रुपये कमाते हैं तो उनके ऊपर 400 रुपया जुरमाना करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है । तो क्या इस राशि को और बढ़ाने के संबंध में शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो मालिकान बछावत को लागू नहीं कर रहे हैं उनकी सूची तैयार करा रहे हैं और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ।

प्रदेश के छोटे बड़े होटलों में श्रम कानूनों का पालन न किये जाने की शिकायत

*11–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लिए जाने पर निषेध होते हुए भी उत्तर प्रदेश के तमाम होटलों चायघरों और ढाबों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाल श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाल श्रमिकों के नियोजन की रोकथाम के लिये श्रम कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है । परन्तु इसपर प्रभावी रूप से अमल नहीं हो पा रहा था। इसे प्रभावी बनाने के प्रयास जारी हैं ।

नगरपालिका रसड़ा बलिया में सफाई मजदूरों द्वारा किये जा रहे हड़ताल को समाप्त कराये जाने की मांग

*12–श्री राम बचन घुसिया (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 6 मार्च, 1990 से नगरपालिका, रसड़ा जनपद बलिया के लगभग 36 स्वीपर वेतन भुगतान आदि को लेकर हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हड़ताली स्वीपरों की समस्याओं का तत्काल समाधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । दिनांक 6-3-90 से 16-4-90 तक हड़ताल पर रहे ।

अपने कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय का है । फिर भी शासन द्वारा विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में स्थानीय निकायों को कुछ अनुदान स्वीकृत करने पर विचार किया जा रहा है ।

*13–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

[6 वे बुध में ता0 प्र0 सं0 3 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*14–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[8वे बुध में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

झांसी नगर में बस्ती के बीच स्थित बूचरखाना को हटाये जाने की मांग

*15–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री का यह जानकारी है कि झांसी में बस्ती के बीच में बूचड़-खाना होने के कारण वहां के हजारों निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे हटाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगरपालिका झांसी द्वारा बूचड़खाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर उसे हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह बूचड़खाना शहर की घनी बस्ती के बीचोबीच में है । वहां पर पर लगातार जानवरों को काटने का क्रम जारी है और यह कार्यवाही विगत 5 वर्षों से जारी है और इसके कारण चारों तरफ तमाम बीमारियां फैल रही हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कितने दिनों में इस बूचड़खाने की शहर के बीच से हटा दिया जायगा जिससे वहां रहने वाले हजारों नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हो सके ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि यह बूचड़खाना शहर के बीचोबीच में है । श्री श्रीमन् उक्त प्रकरण के संबंध में माह अप्रैल, 1990 के द्वितीय सप्ताह में बूचड़खाने के स्थल चयन हेतु नगर मैजिस्ट्रेट, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया था परन्तु उपयुक्त स्थल के चयन की कार्यवाही नहीं हो सकी । इस संबंध में नगर पालिका झांसी से कहा गया है कि वह स्थल चयन का कार्य करें । मैं बताना चाहता हूं कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 237, 238, 239 के अंतर्गत बूचड़खाने की व्यवस्था करना जिला प्रशासन तथा नगर पालिका का संयुक्त दायित्व है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं संरक्षण चाहूंगा । मान्यवर, इस बूचड़खाने में हजारों पशु कटते हैं । मैं ने आश्वासन चाहा है कि कितने दिनों में यह बूचड़खाना हटा दिया जायगा । कार्यवाही तो 5 वर्ष से चल रही है और 10 वर्ष तक चलती रहेगी । न जाने तब तक कितने लोग मर जायेंगे । आप स्पष्ट बतायें कि इस बूचड़खाने को वहां से कितने दिनों में हटा देंगे । इसके लिए कोई समय निर्धारित करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, जगह मिलते ही इसकी व्यवस्था कर दी जायगी ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, यह बूचड़खाना केवल झांसी का ही मामला नहीं है हर शहर में यह समस्या है । नगर पालिकायें इनको हटाना चाहती हैं लेकिन धनाभाव के कारण वह ऐसा कर नहीं पाती हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इन बूचड़खानों को हटाने के लिए नगर पालिकाओं के लिए अलग से धन की व्यवस्था की जायगी क्योंकि नगर पालिकाओं के पास धन नहीं है ?

(माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया ।)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है । वह कहते हैं कि जब जगह मिल जायगी तब हटाया जायगा तो जगह तो 5-10 साल नहीं मिलेगी और कार्यवाही समाप्त हो जायगी । अगर आप कोई सीमा समय की निर्धारित कर दें तो कार्यवाही जल्दी हो जायगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैंने निवेदन किया था कि जगह मिलते ही इसकी व्यवस्था कर दी जायगी । इसका मतलब यह नहीं था कि जो आपका प्रश्न था, उसको मैं टालना चाहता हूं । स्थल चयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पहले ही निर्देश दे दिये गये थे । मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए 6 महीने के अन्दर जगह की व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, इसे सार्वजनिक महत्व का प्रश्न मान कर, जनस्वाथ्य का प्रश्न मान कर क्या शासन ऐसी कोई नीति निर्धारित करेगा कि प्रदेश के अन्दर जो भी बूचड़खाने हैं, आवादी के 5 किलो मीटर की दूरी पर स्थापित किए जायं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, यह हमारा प्रयास है कि कोई भी बूचड़खाना शहर के भीतर में न रहे । इस समय स्थल और संसाधन की कमी है, जैसे ही इसकी व्यवस्था हो जायगी, उन्हें हटा दिया जायगा ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जितनी भी महापालिकाएं और नगरपालिकाए हैं, उनमें नगर किसी भी नगरपालिका या महापालिका के अन्दर जिसमें भारी आबादी हो, बूचड़-खाना है, तो क्या सरकार उसे भी आबादी से बाहर करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे चुके हैं ।

नगर पालिका अकबरपुर जिला फैजाबाद में सब्जी मण्डी हेतु ली गई भूमि का रकबा

*16–डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में सब्जी मण्डी बनाने हेतु भूमि क्रय की गयी है ? यदि हां, तो उसका रकबा क्या है ? क्या यह सच है कि जितना रकबा लिया गया था उतना मौके पर नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

29 विस्वा ।

जी हां । केवल 25 विस्वा 7 धूर का रकवा मौके पर शेष है ।

प्रश्नगत मामले की जांच कराई जा रही है ।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर द्वारा छात्रवृत्ति में किए गए घपले की शिकायत

*17–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, जिला गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री राम नरेश सिंह द्वारा फर्जी छात्रवृत्ति निकालने तथा उसे हड़प लेने संबंधी कोई शिकायती पत्र दिनांक 18-12-86 को पंजीकृत डाक द्वारा तत्कालीन मंत्री की सेवा में श्री केदारनाथ सिंह, अध्यक्ष, उ0 प्र0 कांग्रेस (जे) ने भेजा था तथा उसकी प्रतिलिपि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को भी दी थी ? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर मामले पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

तत्कालीन मंत्री जी को सम्बोधित पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी है । जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर आज सुबह 7 बजे जब मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना नियम 63 के अन्तर्गत सचिव को भेजी है और उसके साथ एक पत्र भी संलग्न किया है, जो जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी ने हमें दिया है, जो प्रधानाचार्य के नाम से सम्बोधित था और मुझे पृष्ठांकित था, मान्यवर, ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति फर्जी तौर से हड़प ली गयी है, जो सेना में भर्ती हो चुका है और उसी हमारे पत्र को यहां पर कहा जा रहा है कि हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, यह सत्यता से परे है । इसलिए नियम 63 के अन्तर्गत मैंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है । यह निर्णय आपके पास सुरक्षित है जब इस मद को आप लें तो इस पर आप निर्णय करें ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पत्र नहीं प्राप्त हुआ तो विवाद का विषय है लेकिन माननीय सदस्य की सूचना है कि पत्र प्राप्त हो गया है तो अगर पत्र प्राप्त हो गया है तो क्या इसकी जांच के आदेश दिए हैं और क्या जांच हुई, क्या परिणाम निकला ? पत्र के बाद तो सूचना प्राप्त ही हो गयी है?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, यह प्रकरण 18-12-86 का है लेकिन इसके बावजूद मैंने माननीय सदस्य के द्वारा जो सवाल किया गया इसको ही सूचना मानकर, मैंने 20 तारीख को निदेशक को आदेश दे दिया था कि 15 दिन के अन्दर माननीय सदस्य की सूचना को सूचना मानकर जांच करके सूचित किया जाय जिससे कि हम दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें ।

*18–श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय में व्याप्त पेयजल संकट को दूर करने की योजना की जानकारी

*19–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय में विगत कई महीनों से पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद अल्मोड़ा की 70 प्रतिशत जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित पिण्डर पेयजल योजना के निर्माण की स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवांठा)–

जी हां ।

जनपद अल्मोड़ा की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक दीर्घकालीन पिण्डर पेयजल योजना पर विचार किया जा रहा है । प्रस्ताव को अभी कार्यरूप दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके लिए विस्तृत इन्वेस्टीगेशन किया जाना नावश्यक है । इस योजना में पिण्डर नदी के उद्गम के स्रोतों से अल्मोड़ा नगर तक पानी लाने का प्रस्ताव है । इसमें अल्मोड़ा जनपद की ग्रामीण योजना सम्मिलित नहीं है, केवल कौसानी नामक स्थान पर पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है । अतः इस योजना से अल्मोड़ा जनपद की 70 प्रतिशत आबादी प्रभावित नहीं होगी ।

राहत कार्यों पर तुरन्त जल संस्थान द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस पिन्डर पेयजल योजना की इन्वेस्टीगेशन का कार्य कब शुरू हुआ और कब पूरा होगा ? मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इस पिण्डर पेयजल योजना का प्रस्ताव शासन को पहुंच चुका है (व्यवधान) यह बिसंर से कौसानी जायेगी और कौसानी के अलग बगल के गांवों में जायेगी इससे पूरे अल्मोड़ा को पेयजल योजना मिलेगी । मान्यवर, मुझे इस प्रश्न के गलत उत्तर से थोड़ा सा दुख हुआ है क्योंकि मैंने यह प्रश्न 301 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी पूंछा था और इसके और उसके उत्तर में मुझे काफी विसंगतियां लगीं । मैं यह जानना चाहती हूं कि यह प्रस्ताव पहुंचा या नहीं पहुंचा और इसका इन्वेस्टीमेशन कब शुरू हुआ और कब पूरा होगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, इस संबंध में मैंने हाल ही में एक बैठक बुलायी थी क्योंकि अल्मोड़ा में पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है ? मैं समझता हूं कि इसकी रिपोर्ट आ जायेगी तो उसमें कार्यवाही कर दी जायेगी ।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो योजना इन्वेस्टीगेशन की है यह कब तक पूरी हो जायेगी और क्या यह इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है या नहीं ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, अभी इसके इन्वेस्टीगेशन में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही इसलिए फिलहाल अल्मोड़ा की जो पेयजल योजना है उसमें कोसी नदी और स्याही देवी स्प्रिंग से पानी उपलब्ध हो रहा है । मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्दी इसमें कार्यवाही शुरू हो जायेगी । कल भी मैंने इस संबंध में अधिकारियों को बुलाया है और उनसे कहा है कि तुरन्त इन्वेस्टीगेशन करें ताकि अल्मोड़ा की पेयजल समस्या हल हो सके ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति के साथ अल्मोड़ा गया था, वहां होटल में, गेस्ट हाउस में, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था । मंत्री जी समय बता दें कि 3 महीने, 6 महीने में या कब तक ठीक करा देंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, मैं स्वयं अल्मोड़ा गया हूं और देखा है । दो या तीन महीने का समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जितनी जल्दी हो सकेगा, करा दूंगे ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

मान्यवर, मैं इतना जानना चाहती हूं कि हमारा प्रस्ताव शासन को पहुंचा या नहीं और यहां लम्बित है या नहीं ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

मान्यवर, इसका प्रस्ताव अभी शासन तक पहुंचा है, लेकिन इसका जो आय-व्यय का हिसाब किताब है, इतना लम्बा चौड़ा है, इसमें फिर से जांच की जा रही है कि क्या इतने धन की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है । जैसा कि मैंने निवेदन किया, कल मैंने मीटिंग बुलाई है और फिर मीटिंग बुलाऊंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा, इसकी व्यवस्था करा दूंगा ।

*20–श्री मयंकर सिंह–

[7वें गुरू में ता0 प्र0 सं0 20 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

ग्राम जलालपुर विकास खण्ड बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में मिलने वाली विधवा पेंशन के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत

1–श्री पंचानन राय–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जलालपुर विकास खण्ड बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ में किन-किन को विधवा पेंशन दी जाती है? क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में पेंशन की धनराशि सम्बन्धित विधवाओं को न मिलकर इनकी धनराशि का चेक एक ही व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली के स्थान गोचर में हवाई पट्टी का निर्माण

2–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में स्थान गोचर हवाई पट्टी निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से कोई निर्देश राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमांऊ जल संस्थान में आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति

3-श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि कुमायूं मण्डल में पेयजल योजनाओं की मरम्मत व रख रखाव हेतु स्थापित कुमायूं जल संस्थान में आवश्यकता से काफी कम कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं जिस कारण योजनाओं के रखरखाव में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार कुमायूं जल संस्थान में आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?,

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं । कुमायूं जल संस्थान में योजनाओं के रख-रखाव हेतु कर्मचारियों के जितने पद शासन द्वारा स्वीकृत किये गये हैं उन सभी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ।

जल संस्थान में वित्तीय संसाधनों में सुधार होने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जावेगा ।

हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा संचालित राजकीय पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेन्टर लखनऊ में अध्यापकों एवं अध्ययन सामग्री की कमी की शिकायत

4–श्री फौजदार–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेन्टर 120 मारुतिपुरम् इन्दिरा नगर लखनऊ का अध्ययन सत्र नियमतः गत वर्ष अप्रैल में न शुरू होकर जून से शुरू हुआ तथा पुस्तकें और अध्यापकों की व्यवस्था विलम्ब से और ठीक से नहीं हो पायी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त संस्था के छात्रों के हित में उचित व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

जी नहीं ।

चालू वर्ष में सत्र निर्धारित समय माह अप्रैल, 90 से प्रारम्भ है और छात्रों हेतु सामान्य सुविधाएं उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5–श्री फौजदार–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पी0 सी0 एस0 कोचिंग सेन्टर 120 मारुतिपुरम्, इन्दिरा नगर, लखनऊ के स्टोर कीपर द्वारा उक्त केन्द्र के अच्छे किस्म के फर्नीचर कालीन आदि गायब कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में खनगढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत बाबा गरीब नाथ मंदिर तक पाइप लाइन बिछाने की मांग

6–श्री जयराज गौतम–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में खनगढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत बाबा गरीब नाम मंदिर तक पाईप लाइन बिछाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता पौड़ी गढ़वाल ने अपने पत्रांक 1525/वि0 रा/गड्डा/31 दिनांक 4-3-86 द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा को निर्देशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मंदिर तक पाइप लाईन बिछा दी गयी है ? यदि नहीं, तो मंदिर तक पानी हेतु पाइप लाइन कब तक बिछवा दी जायेगी ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

उक्त पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही व आख्या के लिए निर्देशित किया गया था ।

जी नहीं ।

अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्राम निजामुद्दीनपुर पोस्ट फरीदीन नगर इन्दिरा नगर लखनऊ के निवासियों का गांव में विकास का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

7–श्रीमती शारदा देवी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निजामुद्दीनपुर पोस्ट फरीदीन नगर (निकट इन्दिरा नगर) लखनऊ के निवासियों का प्रार्थना पत्र उक्त गांव में सड़क नाली खड़न्जा एवं अन्य विकास के कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राम कुमार यादव सदस्य, विधान परिषद् के पत्र के साथ दिनांक 23-1-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या वित्तीय वर्ष 1990-91 में उक्त गांव में विकास कार्य कराये जाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

धनाभाव के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । धन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा ।

श्रम विभाग से सेवानिवृत सहायक श्रमायुक्त श्री जय नारायण श्रीवास्तव के कतिपय देयों के भुगतान की मांग

8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि श्रम विभाग से श्री जय नारायण श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त के पद से 1971 में सेवा निवृत्त हुए थे ? क्या उनकी पेंशन तथा वेतन नवीनतम नियमों के अनुसार निर्धारित करके दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इतने लम्बे विलम्ब के लिए कौन-कौन कर्मचारी तथा अधिकारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

श्री जय नारायण श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त दिनांक 6-5-1972 को सेवा निवृत्त हुए थे ।

नया वेतनमान दिनांक 1-8-72 से लागू किया गया जबकि श्री श्रीवास्तव 6-5-72 को ही सेवानिवृत्त हो गये थे । अतः इन्हें नया वेतनमान तथा उस पर आधारित पेंशन अनुमन्य नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चितराम सुपरवाइजर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जौनपुर के एरियर एवं वेतन का भुगतान

9–श्री उदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग जौनपुर में चितराम सुपरवाइजर का सन् 79 के नये वेतनमान का लगभग सात हजार रुपये का एरियर तथा 65 दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या उक्त सुपरवाईजर ने इस सम्बन्ध में जिला हरिजन कल्याण अधिकारी जौनपुर को 6-4-89 व 26-11-89 को और जिलाधीश जौनपुर को 11-4-89 को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक उक्त कर्मचारी को वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अवशेष का भुगतान किये जाने के आदेश देगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रश्नगत सुपरवाइजर के पक्ष में वर्ष 1979 के वेतनमान के आधार पर रुपये 6858.80 को अवशेष धनराशि का एवं 65 दिन के स्थान पर 67 दिनों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर को प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-4-89 व 26-11-89 प्रश्नगत अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । जिलाधिकारी जौनपुर को दिया गया प्रार्थना-पत्र उपलब्ध है जो दिनांक 4-4-89 का है ।

प्रश्नगत सुपरवाइजर के अनुपस्थिति रहने के कारण तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया ।

रुपये 6858.80 को अवशेष धनराशि के भुगतान का आदेश पारित कर दिया गया है । 67 दिनों के अवशेष वेतन के बारे में नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को दे दिया गया है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत फील्ड कर्मचारियों को भवन निर्माण एवं मोटर साईकिल क्रय हेतु अग्रिम न दिये जाने की शिकायत

10–श्री गजराज सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय अस्थायी नियमित कर्मचारियों को गृह निर्माण तथा मोटर साइकिल क्रय हेतु अग्रिम शासन द्वारा अनुमन्य है? यदि हां, तो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत पिछले 10 वर्षों से फील्ड स्तर पर कार्यरत लगभग 1450 कर्मचारियों को उक्त अग्रिमों से वंचित रखने का क्या कारण है? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव गत दो वर्षों से शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर अब तक निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है? क्या इसके लिए सरकार कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

यह पद योजना विशेष के लिए सृजित किये गये हैं। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-19/8/1980 कार्मिक-1 दिनांक 29 अप्रैल, 1980 द्वारा योजना विशेष के लिए सृजित पदों के धारकों को गृह निर्माण एवं मोटर साईकिल क्रय अग्रिम की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

11–12–श्री गजराज सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को दी जाने वाली पेंशन धनराशि का विवरण

13–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन दी जाती है? क्या वे सभी जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं? क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को 3 अप्रैल, 1990 को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा लखनऊ में 7238 निराश्रित विधवाओं को तथा 1575 निराश्रित विकलांगों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा 5694 निराश्रित विधवाओं को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। जिला हरिजन एवं समाज कल्याण परामर्शदात्री समिति की संस्तुति के आधार पर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा नियमावली के अनुरूप 972 निराश्रित विकलांगों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

सन्दर्भित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

14–श्री रविदास मेहरोत्रा–

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मेरठ जनपद के अमीनगर सराय कस्बा में एक लाख गैलन क्षमता की पानी की टंकी बनवाने की मांग

15–श्री साहब सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री मेरठ जनपद अमीनगर सराय कस्बे की आबादी को देखते हुए वहां एक लाख गैलन क्षमता की पानी की टंकी बनवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी मेरठ जनपद के अमीनगर सराय कस्बे में पानी की टंकी बनवाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आवास एवं नगर विकास के लिए स्वीकृत बजट की धनराशि के उपयोग किये जाने की जानकारी

16–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए विधान मंडल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या–3 आवास एवं नगर विकास विभाग (नगर विकास) के लिए आवंटित 2 अरब 15 करोड़ 93 लाख 55 हजार रुपये का उपयोग 31 मार्च, 1989 तक कर लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसमें कुछ राशि अवशेष बच गयी थी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

भारत सरकार से केन्द्र द्वारा पूर्व निर्धारित ''त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम'' के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि 60,00 करोड़ के समक्ष केवल रु0 53.40 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

जी हां, भारत सरकार से रु0 6.60 करोड़ की धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राविधानित धनराशि में अवशेष रु0 6.60 करोड़ की धनराशि वित्त विभाग को समर्पित कर दी गई।

आलमबाग लखनऊ के नटखेड़ारोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

17–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 89-90 में लखनऊ नगर महापालिका लखनऊ द्वारा जो कार्य स्वीकृत हुए थे और जिनका टेण्डर भी हो गया था, वे पूरे हो चुके हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आलमबाग क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर में अम्बेदकर पार्क से अरोड़ा की दूकान के सामने से नटखेड़ा रोड

करामत अली की दूकान तक का स्वीकृत मार्ग पर एवं सैनिक नगर और रामपाल सिंह मार्ग में कार्य पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो कितना कार्य बाकी है और कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

वित्तीय वर्ष 89-90 में लखनऊ नगर महापालिका में जिन कार्यों की निविदायें स्वीकृत की गई थी उनमें 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

आजाद नगर में अम्बेदकर पार्क से अरोड़ा की दूकान के सामने नटखेड़ा रोड करामतअली की दूकान तक का कार्य स्वीकृत नहीं है। सैनिक नगर में कार्य करने का आदेश ठेकेदार को दिया गया था, परन्तु क्षेत्रीय जनता द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण नहीं हो सका। रामपाल सिंह मार्ग में कार्य जुलाई माह तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

लखनऊ में बाढ़ से प्रभावित होने वाले स्थानों को जल भराव से बचाने हेतु पम्प व्यवस्थाओं का विवरण

18–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के उन क्षेत्रों जो जलमग्न हो जाते हैं, के लिए आगामी वर्षा के पानी से बचाव हेतु कौन-कौन सी तैयारियां की गयी हैं? जल भराव क्षेत्र के लिए कितने पानी खींचने वाले पम्प लखनऊ में हैं और यह पम्प कौन-कौन से विभाग द्वारा दिए जाते हैं?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

निचले हिस्सों में होने वाले जल भराव से जनता की सुविधा हेतु नगर महापालिका द्वारा पम्प से पानी अन्य स्थानों पर निस्तारित किया जाता है और उन पम्पों को ठीक किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। महापालिका के पास कुल 33 पम्प हैं।

लखनऊ नगर में गोमती नदी, कुकरैल नाला व हैदर कैनाल के दोनों तटों पर स्थित उ0 प्र0 जल निगम के स्तर से 36 पम्पिंग स्टेशनों पर स्थापित 183 पम्पों के द्वारा वर्षा बाढ़ के समय पम्पिंग स्टेशनों के निकटतम क्षेत्रों में जल भराव के पानी को खींचकर नदी में डाला जाता है। इस प्रकार कुल 216 पम्प पानी खींचने हेतु लगाये गये हैं। पम्पों के चालू हालत का निरीक्षण शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 2-6-90 को किया जा चुका है और पम्प सही हालत में पाये गये हैं।

उपर्युक्त पम्प नगर महापालिका लखनऊ तथा उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये जाते हैं।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड में ग्राम समूह पेयजल योजना मण्डी मिर्जा खां में जल आपूर्ति ठप्प पड़ जाने की शिकायत

19–श्री बदन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी ब्लाक में स्थित ग्राम समूह पेयजल योजना मण्डी मिर्जा खां में सम्मिलित सभी ग्रामों

(जौताना, नगला, सराय, नगला खेत खेड़ा भोपुर) में पेयजल आपूर्ति न होने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सुचारु पेयज आपूर्ति के लिए विभाग ने कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

प्रश्नगत ग्राम समूह पेयजल योजना में 7 ग्राम सम्मिलित हैं। सूखे की समस्या के कारण जनता द्वारा अत्यधिक निजी संयोजन ले लेने से अंतिम सिरे के ग्राम जौताना, नगला सराय व भोपुर के नगला नेत खेड़ा में जलापूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है।

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम जौताना, नगला-सराय व भोपुर में क्रमशः 6, 7 व 4 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं जिसमें से क्रमशः 4, 7 व 1 हैण्ड पम्प उक्त ग्रामों में लगाये जा चुके हैं। शेष हैण्ड पम्प भी माह जुलाई, 1990 तक लगा दिये जायेंगे।

झांसी नगर में सड़क व्यवस्था खराब होने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

20–श्री रवीन्द्र शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में सड़कों की दुर्दशा से संबंधित प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-2-90 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 7-2-90 विभाग में प्राप्त हुआ हुआ था किन्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय सदस्य महोदय से उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

ब्लाक नरैनी जिला बांदा के कतिपय गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की मांग

21–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-3-90 का पत्र श्री राम गुलाम ग्राम प्रधान ग्राम नीवी, ब्लाक नरैनी, जनपद बांदा के संलग्न पत्र के साथ हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में अंकित हैण्ड पम्प कब तक लगवा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां। प्रश्न में अंकित ग्राम नीवी के 9 पुरवों में हैण्डपम्प लगाये जाने का अनुरोध है । इन 9 पुरवा में से 4 पुरवों में 4 नग हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।शेष 5 पुरवों में से 3 पुरवों में एक-एक हैण्ड पम्प चालू वित्तीय वर्ष में लगाये जाने का प्राविधान है जिसे शीघ्र लगा दिया जायेगा। शेष 2 पुरवों में वित्तीय संसाधनों के अनुसार हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा ।

विकास खण्ड बड़ागांव जनपद वाराणसी में हैण्ड पम्प बोरिंग को अधूरा छोड़ दिये जाने की शिकायत

22–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा तिलवार, ब्लाक बड़ागांव तथा जनता जूनियर हाई स्कूल, विश्वनाथपुर, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में क्रमशः 2 तथा 1 हैण्ड पम्प बोरिंग करके अधूरे छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्य पूरा करायेगी और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

प्रश्नगत ग्रामों में क्रमशः दो और एक हैण्ड पम्पों की बोरिंग का कार्य क्रमशः नवम्बर तथा दिसम्बर, 1989 में किया गया था परन्तु हैण्ड पम्प मशीन उपलब्ध न होने के कारण उनके अधिष्ठापन का कार्य कुछ समय बाद क्रमशः दिनांक 9 मार्च, 1990 एवं 12 मार्च, 1990 को पूर्ण किया गया है ।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो जाने के कारण अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा जिला वाराणसी के अनुसूचित जाति के छात्रों के निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रति पूर्ति का भुगतान

23–श्री ऊदल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल बरही नेवादा, जिला वाराणसी ने जुलाई, 85 से जून, 87 (85-86 तथा 86-87) की अवधि का अनुसूचित जाति के छात्रों के निःशुल्क शिक्षा की प्रति पूर्ति के भुगतान के लिए हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी को 31-3-88 को प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी ने निःशुल्क शिक्षा की प्रति पूर्ति का भुगतान उक्त जूनियर हाई स्कूल को अब तक क्यों नहीं किया? क्या सरकार इसकी जांच कराकर और प्रति पूर्ति का भुगतान करने के आदेश देगी?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां। जांचोपरान्त दिनांक 6-6-90 को भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ कार्यालय के प्रभारी एवं वरिष्ठ सहायक द्वारा 17 लाख रुपये के कथित गबन के आरोप

24–श्री कल्याण सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के0 आर0 भाटी, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित श्री कृष्ण कुमार नवमान, विधायक, अलीगढ़ का दिनांक 28-2-90 का कोई शिकायती पत्र एवं उसके साथ ही उसका आरोप-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें श्रीमती कमलेश शर्मा, प्रभारी

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ एवं श्री आर0 सी0 शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, अलीगढ़ के विरुद्ध लगभग 17 लाख रुपये के गबन के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां। श्रीमती कमलेश शर्मा सहित चार अन्य कर्मचारियों को निलम्बित करके तथा तीन अन्य कर्मचारियों को उपेक्षाकृत कम गम्भीर आरोप के कारण निलम्बित किये बिना इन सभी कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास हेतु आवंटित धनराशि

25–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत जो ग्राम लखनऊ में लिये गये हैं, उनके विकास के लिए सरकार ने कितना धन आवंटित किया है और वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में कितना कार्य पूरा कर सकेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत जो ग्राम लखनऊ में लिये गये हैं उनके विकास के लिये सरकार ने रुपये 49,09,000/-आवंटित किया है। समस्त कार्य चालू वित्तीय वर्ष में करा लिये जायेंगे।

जनपद शाहजहांपुर के नगरपालिका के भवन में शराब की दूकान चलाये जाने की शिकायत

26–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका तिलहर के भवन में एक दूकान देशी शराब की चल रही है जबकि शासन के आदेशों के अनुरूप किसी भी जिला परिषद् या नगर पालिका के भवन में शराब की दुकान नहीं चलायी जा सकती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या शराब की दुकान को हटवाने हेतु माह जनवरी, 90 में जिलाधिकारी से मांग की गयी थी? क्या मार्च, 90 में पुनः उक्त भवन में ठेका आवंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो सरकार ठेके को उक्त भवन से हटाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधिशाषी अधिकारी ग्रेड-2 के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की शिकायत

27–श्री अतीक अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास अनुभाग-4 के शासनादेश सं0 5286/11-4-88-114-ई0 आ0/87 (टी0 सी0) दिनाक 16 दिसम्बर, 1988 के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्ति अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 के पदों

पर की गयी थी? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति का आधार क्या रखा गया था? क्या उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित नही किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त करके नियमित चयन कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 के नियम–31 के अन्तर्गत पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के सीधी भर्ती के पदों पर अस्थायी एवं तदर्थ नियुक्ति कर सकती है । आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे । अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 के 18 पदों पर नियमित चयन कराये जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 21-3-87 को अधियाचन भेज दिया गया है । आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी?

हरिजन समाज कल्याण विभाग में स्वीकृत नवीन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी

28–श्री रवीन्द्र कुमार सिंह–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में हरिजन समाज कल्याण विभाग में कितनी नवीन परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं क्या इन स्वीकृत परियोजनाओं की स्थापना हो गयी है ? यदि हां, तो ये परियोजनायें कब तक संचालित हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

68 बाल विकास परियोजनायें। जी नहीं। यथाशीघ्र। प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला प्रोग्राम अधिकारी देवरिया के कार्यालय भवन के किराये सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

29–श्री राम छबीला–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जिला प्रोग्राम अधिकारी देवरिया के कार्यालय हेतु श्री अरविन्द कुमार मिश्र, न्यू कालोनी देवरिया का मकान जो किराये पर लिया गया है उसके किराये के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-3-90 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार सम्पूर्ण किराये का भुगतान करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां । समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात् ही यथाशीघ्र किराया स्वीकृत किये जाने के मामले में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

30–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[उरे बुध में अता0प्र0सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन

31–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्गठन करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां । कार्यवाही प्रारम्भ है ।

जनपद चमोली में उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक ड्रग्स फैक्टरी की स्थापना की मांग

32–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन जनपद चमोली में उत्तराखण्ड विद्यापीठ में आयुर्वेदिक ड्रग्स फैक्टरी लगाने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक फैक्टरी लग जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी नही । उत्तरखण्ड विद्यापीठ, चमोली में ड्रग्स फैक्टरी लगाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । चमोली जनपद में जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसका मुख्यालय गोपेश्वर में होगा । स्थल का निर्णय बाद में जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर किया जायेगा ।

33–श्री विजय सिंह–

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 164 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

टाउन एरिया जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अध्यक्ष का टाउन एरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

34- श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-3-88 से 25-3-89 के मध्य टाउन एरिया जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के अध्यक्ष का टाउन एरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख शिकायतें क्या थी? उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । टाउन एरिया जीयनपुर के सचिव एवं लिपिक द्वारा फर्जी नियुक्तियां किए जाने और कर्मचारियों में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करने के सम्बन्ध में शिकायतें की गयी थीं । शिकायती पत्र की जांच परगना अधिकारी, सगड़ी से करायी गई । जांच आख्या के आधार पर तत्कलीन जिलाधिकारी आजमगढ़ ने उत्तरदायी सचिव का स्थानान्तरण टाउन एरिया कमेटी जीयनपुर से जिले की अन्य टाउन एरिया कमेटी में कर दिया । इस सम्बन्ध में दोषी सचिव के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ को निर्देश जारी कर दिए गये हैं ।

प्रश्नकर्ता द्वारा जल कल स्टेशन की स्थापना की मांग

35—श्री निखेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-12-89 जो जल-कल स्टेशन की स्थापना विषयक है, शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या में कार्यवाही हुई? यदि हां, तो क्या?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां। यथा समय विचार किया जायेगा।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में खेलकूद स्टेडियम के निर्माण शीघ्र कराने की मांग

36—श्री कुंवर सिंह भेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री अनुग्रह करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में खेल कूद स्टेडियम निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? इसको किस निश्चित अवधि तक निर्मित कर दिया जायेगा?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां। भू-स्वामियों से विवाद सीमेंट की कमी तथा मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि के कारण प्रगति धीमी रही। निर्माण कार्य जून, 1992 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना

37—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो योजना जल निगम मुख्यालय को कब मिली तथा वहां से शासन को कब भेजी गई? योजना क्या है तथा इसकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उत्तर प्रदेश जल निगम सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु क्या योजना का विरचन किया जा रहा है। सीतापुर की द्वितीय पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 122.89 लाख जल निगम मुख्यालय में आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। इस योजना में नये सीतापुर को तीन जोन में बांटकर तीन चरणों में तीन नलकूप, 2 अवर जलाशय व तत्सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही योजना की स्वीकृति संभव होगी।

अध्यक्ष, टाउन एरिया हैदरगढ़, बाराबंकी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

38—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया हैदरगढ़ जनपद—बाराबंकी के अध्यक्ष के विरुद्ध निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रकरण शासन के समक्ष प्रकाश में आया है? यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को समस्त आरोपों से संबंधित अभिलेखों को सील करके जांच करानें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करानें हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

पिथौरागढ़ जनपद के खेतीखान में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

39–श्री महेन्द्र सिंह–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ खेतीखान में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है किन्तु अब तक किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई? क्या वहां प्रशिक्षण में काम आने वाले कच्चे माल हेतु भी अब तक धनराशि आवंटित नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बरीफिया लाल जुवांठा–

शासनादेश संख्या-3383/28-7-21(20)/89 दिनांक 11 अगस्त, 89 द्वारा खेतीखान (पिथौरागढ़) में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का आदेश दिया गया है। वर्ष 1989-90 में इस संस्थान के साज-सज्जा के लिए रु0 5.923 लाख तथा फर्नीचर के लिए रु0 0.83 लाख कुल 6.753 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

प्रश्नगत प्रशिक्षण संस्थान के स्थापनार्थ पदों की स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गयी है। अतः नियुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता के निमित्त धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही

40–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध श्री सरजू पान्डे भू0 पू0 एम0 एल0 सी0 का पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को (संलग्नक सहित) दि0 9-6-1989 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में एक कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयी थी, जिनके आधार पर उन्हें सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1989 को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया और हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें दिनांक 1 अगस्त, 1989 को कार्यमुक्त किया गया। तदुपरान्त शिकायतों पर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में संयुक्त निदेशक की नियुक्ति

41–श्री मन्जूर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में संयुक्त निदेशक का एक पद सृजित है? यदि हां, तो इस पद पर वर्तमान में कोई अधिकारी कार्यरत है? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान समय में संयुक्त निदेशक के पद पर एक ऐसे उप निदेशक को नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध चकबन्दी विभाग में कार्यरत रहने की अवधि में जनपद आजमगढ़ में पहले से ही गम्भीर शिकायतें हैं? यदि हां, तो संयुक्त निदेशक के पद को पदावनत करते हुए इस पद पर उप निदेशक को नियुक्त किये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार संयुक्त निदेशक के पद पर उसी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

जी नहीं। शासन द्वारा संयुक्त निदेशक को तैनात कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त निदेशक की तैनाती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के महिला एवं बाल कल्याण योजना हेतु दिये जाने वाली खाद्यान्न सामग्री कलकत्ता बन्दरगाह पर पड़े रहने की शिकायत

42–श्री मंजूर–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि केयर द्वारा उ0 प्र0 सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं हेतु कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में कितना खाद्यान्न कितने समय से पड़ा है? उक्त गोदामों से खाद्यान्न न उठाये जाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

केयर योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लगभग 14 मी0 टन एस0 एस0 आयल दिनांक 27-8-89 से तथा लगभग 100 मी0 टन एस0 एस0 आयल दिनांक 11-3-90 से कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में अवशेष पड़ा है।

वर्ष 1989-90 में केयर पोषाहार ढुलाई हेतु आमंत्रित टेण्डर में किसी भी टेण्डर दाता द्वारा समस्त टेण्डर शर्तों/औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण टेण्डर समिति द्वारा केयर टेण्डर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका जिसके कारण किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा शासनादेशों के विपरीत कार्य करने के विरुद्ध कार्यवाही

43—श्री मंजूर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुष्टाहार योजना के अंतर्गत कलकत्ता से पुष्टाहार मंगाने के लिए टेन्डरदाता की हैसियत (वर्ष 1989-90 में) शासन द्वारा 20 लाख रुपये की निर्धारित की गई थी ? यदि हां, तो क्या निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा हैसियत 60 लाख रुपये कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या निदेशक शासन के आदेशों के विपरीत कार्य करने के लिए सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं ।

उपरोक्त परीक्षण उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

यथा शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को पथकर स्वीकृत के संबंध में शासन को प्रेषित जिलाधिकारी आजमगढ़ के पत्र पर कार्यवाही

44—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को पथकर स्वीकृति से संबंधित जिलाधिकारी आजमगढ़ का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1984 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

टाउन एरिया, जीयनपुर की क्षतिपूर्ति अनुदान की धनराशि में वृद्धि किये जाने तथा बकाया क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति किये जाने के बारे में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र पहले भी शासन को प्राप्त हुए थे जिनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी को यह उत्तर दिया गया था कि उनके पत्र संख्या-234/टी0 ए0 सी0, दिनांक 13-3-83 के साथ संलग्न आडिट रिपोर्ट में कहीं भी वर्ष 1978-79 में पथकर से हुई आय का विवरण नहीं दिया गया है तथा प्रभारी अधिकारी, टाउन एरिया, जीयनपुर के पत्रांक 234/टी0 ए0 सी0, 11-3-83 से संलग्न आडिट रिपोर्ट में वर्ष 1978-79 में टाउन एरिया की कुल आय रु0 19,993/- दिखायी गयी है। इस आधार पर टाउन एरिया, जीयनपुर को पूर्णांक में केवल रु0 16,000/- प्रतिवर्ष पथकर क्षतिपूर्ति अनुदान ही देय होता है। तथापि उनके द्वारा उल्लिखित स्थिति के परिपेक्ष्य में वर्तमान में स्वीकृति की जा रही धनराशि में कोई कमी नहीं की जा रही है।

वर्तमान में उपर्युक्त टाउन एरिया को रु0 60,000/- वार्षिक क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के स्थानीय निकायों, निगमों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के समान वेतन दिये जाने की मांग

45–श्रीमती सरस्वती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, निगमों के कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन देने के आदेश पारित किये गए थे? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को वेतन मान वृद्धि का लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतन एवं वेतन वृद्धि देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

समता समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समान ही केन्द्रीय वेतनमान संस्तुत किये गये थे।

शासन द्वारा प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों हेतु समता समिति उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुत वेतनमानों को लागू करने के संबंध में दिनांक 14 फरवरी, 1990 को शासनादेश जारी किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा नगर पेयजल संकट के सुधार के लिए प्रश्नकर्ता के पत्र के संबंध में जानकारी

46–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर की पेयजल संकट के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई मांग पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1990 को या उसके आसपास प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो समस्या के हल हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

विद्युत कटौती आपातकालीन आकस्मिक की गयी थी ताकि प्रणाली क्षतिग्रस्त न हो। स्थायी रूप से विद्युत कटौती से मथुरा-वृन्दावन को मुक्त करना प्रणाली के हित में सम्भव नहीं था। फिर भी मकर संक्रांति तथा मकर कल्प स्नान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मथुरा वृन्दावन नगरों को आपात कालीन कटौती में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही विद्युत कटौती की जायेगी।

मथुरा जनपद के वृन्दावन नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

47–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की वृन्दावन नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्य तथा अनियमितताओं के

संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 6 जनवरी एवं 15 जनवरी 90 या उसके आसपास प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

उक्त प्राप्त पत्रों में उल्लिखित मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कड़ा के ग्रामों में कुओं के पानी के सूख जाने के कारण पेयजल की समस्या

48–सैय्यद लियाकत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के विकास खण्ड कड़ा के ग्रामों के कुओं का पानी सूख गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? सरकार इन गांवों में पेयजल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड कड़ा के 33 ग्रामों में कुओं का पानी सूख गया है।

पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक 96 हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है या इस वित्तीय वर्ष में भी 15-6-90 तक 43 और हैण्ड पम्प लगाकर चालू कर दिये गये हैं ।

नगरपालिका मिलकपुर जनपद रामपुर में पीने के पानी हेतु प्रस्तावित ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण

49–श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका मिलक जनपद रामपुर में पीने के पानी हेतु एक वाटर ओवर हेड टैंक का निर्माण वर्ष 1987-88 से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्तावित निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ तथा पूर्ण हो जायेगा तथा विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां, नगर पालिका मिलक जनपद रामपुर में मिलक पुनर्गठन पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत रु0 35.598 लाख है वर्ष 1987-88 में विरचित की गई थी जिसके अन्तर्गत दो नलकूप एक अवर जलाशय 900 किलो लीटर क्षमता तथा 7.1 किलो मीटर वितरण प्रणाली बिछाने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990–91 में नगर की तात्कालीक आवश्यकता को देखते हुए एक नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । आगामी वर्षों में धन उपलब्ध होने पर ओवर हेड टैंक एवं अन्य ततसंबंधी कार्य पूर्ण किये जायेंगे ।

सीमित संसाधन की उपलब्धता के कारण ।

पथकर क्षतिपूर्ति हेतु चार लाख के अनुदान दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर जानकारी

50–श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पथकर क्षतिपूर्ति हेतु रु0 चार लाख का अनुदान दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-2-90 शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रोल्लिखित मामले में शासन स्तर से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

धनाभाव के कारण पथकर क्षतिपूर्ति हेतु 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है ।

मथुरा के गताश्रम टीला क्षेत्र में मकानों के फटने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

51–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा के गताश्रम टीला में फट रहे मकानों के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 23 जनवरी, 90 मुख्य मंत्री जी के आदेश के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य मांग क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मथुरा के गताश्रम टीला क्षेत्र में फट रहे मकानों के संबंध में विधायक श्री रविकान्त गर्ग जी का पत्र दिनांक 23-1-90 का नहीं बल्कि 3-1-90 एवं उसके साथ संलग्न पं0 रमेश चन्द्र जगन्नाथ प्रसाद आदि का पत्र दिनांक 21-12-89 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नगर विकास मंत्री को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश हैं ।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 3-1-90 में मुख्य मांग है कि–

1–मथुरा में मकान फटने की समस्या का स्थाई निराकरण हेतु एक विशेष अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति का गठन ।

2–क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को पर्याप्त मुआवजा धनराशि प्रदान किया जाना।

मकानों के फटने के संबंध में पूर्व में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, के विशेषज्ञों के दल जांच की गई ।

नगरपालिका स्तर से उल्लिखित क्षेत्रों में अपने स्तर से पाइप लाइन की मरम्मत, सीवर लाइन की मरम्मत एवं टूटी नालियों की मरम्मत पूर्व में कराई गई तथा आवश्यकता पड़ने पर कराई भी जाती है । इस संबंध में पालिका प्रशासन पूर्ण रूपेण जागरूक है ।

बांदा जनपद के कर्वी तहसील की नगरपालिका चित्रकूट धाम के अवर अभियन्ता श्री श्याम करण के स्थानान्तरण का प्रस्ताव

52–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद कर्वी तहसील की नगर पालिका चित्रकूट धाम कर्वी ने अपनी बोर्ड की बैठक दिनांक 11-1-90 के प्रस्ताव

संख्या 5 (14) में नगर पालिका सदस्य के बहुमत 11 विरुद्ध 4 के द्वारा श्री श्याम करण अवर अभियन्ता के ऊपर अनेकों गम्भीर आरोप लगाकर स्थानान्तरण का प्रस्ताव किया है ? क्या इस संबंध में अध्यक्ष, नगरपालिका चित्रकूट धाम कर्वी ने पत्रांक 769/अवर अभियन्ता/89/90 दिनांक 16-1-90 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बांदा, निदेशक, स्थानीय निकाय उ0 प्र0 4, प्राग नरायन रोड, लखनऊ को वास्ते स्थानान्तरण भेजा है ? यदि हां, तो उसमें शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

श्री श्याम करण, अवर अभियन्ता, नगर पालिका चित्रकूट धाम कर्वी को अन्यत्र स्थानानान्तरित कर दिया गया है ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा की गई कथित वित्तीय अनियमितता

53–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या श्री पी0 के0 मिश्रा तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने एवं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग संबंधी प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-8-85 का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? आरोपों की जांच किस अधिकारी ने कब की ? जांच का निष्कर्ष क्या रहा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

इस विभाग में 5-8-85 का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कैलाश नाथ अग्निहोत्री के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

54–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कैलाश नाथ अग्निहोत्री के बकाया वेतन के विषय में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0 प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990 पत्रांक 757/टी/0307/एम0 एम0-12 लखनऊ/द्वारा-प्रिंसिपल-आई0 टी0 आई0 रायबरेली श्री उमेश तनेजा से आख्या मांगी थी ? क्या इस संबंध में प्राचार्य द्वारा जो उत्तर भेजा गया है उसमें फोरमैन (कार्यदेशक) श्री एस0 ए0 खान की ओ0 डी0 रिपोर्ट दिनांक 22-12-88 को छिपाकर त्रुटिपूर्ण आख्या प्रस्तुत की गयी है ? यदि नहीं, तो फोरमैन श्री खान की रिपोर्ट क्या है और आख्या क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

प्रधानाचार्य ने अपने उत्तर में श्री एस0 ए0 खान कार्यदेशक की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया ।

श्री एस0 ए0 खान कार्य निदेशक ने दिनांक 22-12-88 को रिपोर्ट लगायी थी कि श्री के0 एन0 अग्निहोत्री को जो दिनांक 1-8-88 से 10-8-88 तक अनुपस्थित था, के लिए ड्यूटी पर मान लिया जाय लेकिन इनकी संस्तुति को तत्कालीन प्रधानाचार्य ने नहीं माना ।

अनुदेशक मोटर मैकेनिक आई0 टी0 आई0 रायबरेली का बकाया वेतन

55–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदेशक मोटर मैकेनिक आई0 टी0 आई0 रायबरेली का माह अगस्त 1987 में 2 दिन का एवं सम्पूर्ण माह अगस्त, 88 का वेतन एवं सभी कर्मचारियों को देय बोनस 88-89 में अभी तक नहीं भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अनुदेशक मोटर मैकेनिक आई0 टी0 आई0 रायबरेली का माह अगस्त, 1987 का 2 दिन का वेतन अनुपस्थित रहने के कारण नहीं दिया गया । माह अगस्त, 1988 में वे 8 दिन अनुपस्थित रहे । निदेशक ने संबंधित प्रधानाचार्य को अनुमन्य वेतन के भुगतान के आदेश दे दिए हैं ।

वर्ष 1988-89 के बोनस का भुगतान 3 कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं था जिनमें अनुदेशक मोटर मैकेनिक भी शामिल है ।

वाराणसी के एवंती पेयजल समूह के विस्तार की मांग

56–श्री दयाशंकर–

क्या जिला आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में एवंती पेय-जल समूह से अवहीं, बीरा-सराय, महुंजी को पाईप लाईन से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्या उक्त गांवों को पीने के पानी उपलब्ध कराने के अन्य साधन उपलब्ध किए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

अवहीं तथा बारासराय में क्रमशः 9 व 5 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है तथा महुंजी में प्रस्तावित 6 के समक्ष 5 हैण्ड पम्प लगाए जा चुके हैं । एक हैण्ड पम्प भी इसी वित्तीय वर्ष में लगाने का प्रस्ताव है ।

ग्राम करसरा बुजुर्ग विकास खण्ड दोहरीघाट के गोठ पेयजल योजना के अन्तर्गत आने के बाद भी पेयजल संकट

57–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरसरा बुजुर्ग विकास खण्ड दोहरी घाट जनपद मऊ के गोठ पेयजल योजना के अन्तर्गत लिया गया है किन्तु उस गांव में अभी तक पाइप नहीं बिछाई गयी है ? क्या यह सही है कि इस गांव के

कुछ लोगों को पेयजल के बिल भी भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस गांव में पाइप लाइन कब तक बिछा दी जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

त्रुटिवश पूर्व में इस ग्राम के कुछ ग्रामवासियों को बिल प्रेषित कर दिए गए थे परन्तु उन बिलों के विरुद्ध ग्रामवासियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है ।

चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के बजट में इस योजना हेतु धन की व्यवस्था करायी जा रही है । धन उपलब्ध हो जाने पर उक्त कार्य सम्पान कराया जायेगा ।

लखनऊ नगर के मालवीय नगर, पाण्डेय तालाब में श्रमिक कालोनी में अवैध लोगों का कब्जा

58–श्री ओम प्रकाश एवं श्री एदल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के मालवीय नगर, पाण्डेय तालाब में स्थित श्रमिक कालोनियों में श्रमिक स्तर के ऊपर के लोग अधिकांश भवनों में निवास कर रहे हैं तथा अधिकांश ऐसे लोग रहे हैं जिनका लखनऊ में अपना निजी भवन है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वर्ष 1980 से निरीक्षक श्रमिक आवास कालोनी मालवीय नगर लखनऊ की लापरवाही के कारण हजारों मूल गृह स्वामियों को उन्हें भवन हस्तान्तरित किए जा रहे हैं ? क्या सरकार खाली भवनों को अत्यन्त अल्पआय वाले लोगों को आवंटित करेगी या ऐसे भवनों के किराए में वृद्धि किए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष में नगरपालिका फतेहपुर के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा

59–सैय्यद लियाकत हुसैन–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फतेहपुर के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 1989-90 में कुल कितना रुपया अलग-अलग मदों में दिया गया और कितना रुपया खर्च किया गया ? यदि सम्पूर्ण धन का प्रयोग नहीं किया गया तो इस संबंध में क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगरपालिका फतेहपुर को वर्ष 1989-90 में कुल रु0 16,80,000 स्वीकृत हुए । इसमें से रु0 6,70,000 साधारण सड़क अनुदान रु0 5,00,000 विशेष सड़क अनुदान रु0 50,000 मार्ग प्रकाश उपकरण क्रय हेतु तथा रु0 4,60,000 एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत लो कास्ट सैनीटेशन हेतु दिए गए । साधारण सड़क अनुदान रु0 6,70,000 में से रु0 1,09,157 का उपयोग किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि विशेष सड़क अनुदान उपयोग किए जाने की अवधि

30-9-90 तथा मार्ग प्रकाश उपकरण हेतु अनुदान की उपयोग अवधि 31-8-90 है। लो कास्ट सेनीटेशन हेतु अनुदान उपयोग किए जाने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। इस संबंध में डिजाइन एवं आवणन आदि प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गढ़वाल जल संस्थान द्वारा सीवर रहित भवनों से सीवर चार्ज किए जाने की शिकायत

60—श्री रणजीत सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जल संस्थान द्वारा ऐसे भवनों पर भी सीवर कर आरोपित किया जाता है जो सीवर लाइन के लेवल से नीचे स्थित है तथा जिन पर किसी भी दशा में सीवर संयोजन किया जाना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उ0 प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम की संबंधित धाराओं में संशोधन करायेंगे जिससे अनुचित रूप से वसूले जाने वाले सीवर कर से ऐसे भवनों को मुक्त किया जा सके?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

"उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975" की धारा 52(1) (बी) के प्राविधानों के अनुसार गढ़वाल जल संस्थान द्वारा ऐसे भवनों पर भी सीवर उद्गृहीत किया जा रहा है जो जल संस्थान की सीवर लाइन की सतह से नीचे स्थित हैं इनमें सीवर संयोजन पम्प द्वारा किया जाना सम्भव है।

उक्त विषय में संबंधित नियमों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद देहरादून के ग्राम दूधली में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण

61—श्री रणजीत सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम दूधली में पेयजल हेतु नलकूप का निर्माण कराया जा रहा था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नलकूप को बने हुए एक वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके लिए नलकूप का हस्तान्तरण पेयजल हेतु जल संस्थान को नहीं किया जा सका है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

जी नहीं। नलकूप जनवरी, 1990 में पूर्ण हुआ है तथा अभी चालू नहीं हुआ है। इस पर विद्युत कनेक्शन अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार नलकूप चालू हो जाने पर 6 माह रख-रखाव करने के उपरान्त जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

कार्यालय उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण लखनऊ मण्डल लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

62–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय उप निदेशक हरिजन समाज कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध यहीं पर तैनात हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से कार्यरत हैं और क्यों? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य सेविका श्रीमती निशा को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना

63–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 उत्तर प्रदेश को सम्बोधित, शासन के स्पष्ट निर्देश दिनांक 7 अक्तूबर, 1986 के अन्तर्गत श्रीमती निशा को जिनकी नियुक्ति मुख्य सेविका के पद पर वर्ष 1983 में निदेशालय द्वारा हो चुकी है, को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु भेजा जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां। निदेशालय आदेश दिनांक 25-3-83 के द्वारा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान बी–113 निराला नगर, लखनऊ से तीन माह के प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 4-4-83 के पूर्वाह्न में योगदान करने के निर्देश दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के कुछ मोहल्लों को नगरपालिका सीमा में लिए जाने की मांग

64–श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 19-3-1990 को मोदी नगरपालिका का स्वयं निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को यह आदेश दिये थे कि मुहल्ला संजयपुरी, देवमाबाद एवं विजय नगर आदि को नगर पालिका सीमा में ले लिया जाये ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में फल एवं आलू उत्पादक क्षेत्रों में राजकीय शीत भण्डार स्थापित करने की मांग

65–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में फल एवं आलू उत्पादन क्षेत्रों में शासन शीत भण्डारों की स्थापना करेगा ? यदि हां, तो कब और कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरीफया लाल जुवांठा–

पर्वतीय क्षेत्रों में शासन द्वारा शीत भण्डरों की स्थापना की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 1985-86 में नौगांव (उत्तरकाशी), 1987-88 में चम्पावत (पिथौरागढ़) में स्वीकृत शीत भण्डारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 1989-90 में अल्मोड़ा तथा तल्ला रामगढ़ (नैनीताल) में निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया चकिया जिला वाराणसी में कतिपय सभासदों के विरुद्ध जांच की जानकारी

66–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया चकिया जिला वाराणसी के कतिपय सभासदों सर्व श्री रवि प्रकाश चौबे, जियाउद्दीन खां, बेचन प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद तथा श्याम नारायण के विरुद्ध चेयरमैन की सूचना पर जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा कोई जांच हाल में ही कराई गयी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा अब तक उक्त सभी सभासदों को निलम्बित न किए जाने के क्या कारण हैं ? इन्हें कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

आरोपों की जांच की जा रही है ।

आरोपों का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर सभासदों के विरुद्ध नियमानुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में यूनिवर्सल एजेन्सी कलकत्ता से माल की ढुलाई का मामला

67–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल एजेन्सी, साइनागाग स्ट्रीट कलकत्ता द्वारा माल ढुलाई का कार्य परियोजना में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म से निदेशालय की संविदा है ? उक्त फर्म के साथ-साथ किन-किन फर्मों के टेण्डर प्राप्त हुए थे ? उनके रेट क्या-क्या थे ? कलकत्ता पोर्ट से माल गोदाम तक ढुलाई का सत्यापन संबंधित परियोजनाओं द्वारा किस तरह से किया जा रहा है ? क्या इसकी विस्तृत जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं । वर्तमान में कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

युनीवर्सल एजेन्सी द्वारा वर्ष 1989–90 में, खोले गये टेण्डर में टेण्डर नहीं भरा गया था जिन फर्मों ने टेण्डर दिये थे उनके रेट संलग्न सूची में अंकित है ।

परियोजना अधिकारियों के समक्ष स्टोरकीपर द्वारा पोषाहार प्राप्त किया जाता है तथा उसकी उसी समय स्टाक इन्ट्री कर दी जाती है ।

जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 162 पर)

ग्राम लीला खेड़ा विकास खण्ड मलिहाबाद लखनऊ में जल आपूर्ति व्यवस्था

68–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-लीला खेड़ा (मजरा-कटौली) विकास खण्ड-मलिहाबाद जनपद लखनऊ में जल आपूर्ति व्यवस्था सुलभ करने हेतु सरकार आजकल प्रचलित हैण्डपम्प (इन्डिया मार्क–2 डबुल बोरिंग) की व्यवस्था सुलभ करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि ग्राम सभा-कटौली, विकास क्षेत्र-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ के एक अन्य मजरे (ग्राम बनिया खेड़ा) में जल सम्पूर्ति हेतु इंडिया मार्क 2 (डबुल बोरिंग) के हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा के अन्य मजरे (ग्राम लीला खेड़ा) में उक्त प्रकार के हैण्ड पम्प क्यों नहीं लगाये गये जबकि ग्राम-लीलाखेड़ा की आबादी ग्राम बनिया खेड़ा से काफी अधिक है ? क्या सरकार इस दिशा में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

प्रश्नगत ग्राम में जलापूर्ति हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाकर शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ।

जी हां ।

प्रत्येक समस्याग्रस्त ग्राम में प्रथमतः अधिकतम दो हैण्ड पम्प लगाये जाते हैं जिनमें से एक हरिजन बस्ती में लगाया जाता है जिनके लिए स्थल ग्राम प्रधान द्वारा दिए जाते हैं । ग्राम कटौली में ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये स्थल के अनुसार एक हैण्ड पम्प मुख्य ग्राम कटौली में तथा दूसरा हरिजन बस्ती हेतु मजरा बनिया खेड़ा में लगाया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्य नियमानुसार कराया गया है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री राम प्रसाद सिंह–

[4थे सोम में अता0 प्र0 सं0 182 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जिला मेरठ में नारी संरक्षण गृह तथा बाउन्ड्री राजकीय उत्तर रक्षा गृह का अचानक निरीक्षण और कथित अनियमितताएं

70–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-4-90 को जिलाधिकारी मेरठ ने नारी संरक्षण गृह तथा बाउन्ड्री रोड स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह का अचानक निरीक्षण किया जिसमें राजकीय रक्षा गृह में घोर अनियमितताएं पाईं और नारी संरक्षण गृह में लड़कियां स्केबीज से पीड़ित पाईं जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही हेतु शासन को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं । न तो प्रश्नगत तिथि को जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था और न ही उन्होंने कोई लिखित रिपोर्ट इस संबंध में शासन को दी थी । वास्तविकता यह थी कि दिनांक 11-4-90 को तत्कालीन जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उत्तर रक्षा गृह तथा राजकीय संरक्षण गृह का उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग मेरठ मण्डल मेरठ के साथ सामान्य निरीक्षण किया गया था और जिलाधिकारी द्वारा समुचित निर्देश उपनिदेशक को दिए गए थे । जिसका अनुपालन उपनिदेशक मेरठ मण्डल ने अपने पत्र संख्या–153-62/उ0नि0स0ठी0/90, दिनांक 12-4-90 द्वारा सुनिश्चित कराया ।

सामान्य निरीक्षण के दौरान न तो कोई लड़की स्केबीज से पीड़ित पायी गयी और नहीं कोई गंभीर अनियमितता पायी गयी अपितु संवासिनियों के कपड़ों व उनके स्वास्थ्य सफाई तथा पुनर्वासन आदि बिन्दुओं पर कुछ त्रुटियां पायी गयी थीं जिसके बारे में सुधारात्मक कार्यवाही कर ली गयी ।

शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

मोहल्ला जलालपुर थाना राजाजीपुरम जिला लखनऊ में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण

71–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला-जलालपुर थाना राजाजीपुरम जिला लखनऊ में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराने संबंधी मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मोहल्ला जलालपुर राजाजीपुरम लखनऊ में सीमित संसाधनों के कारण पानी की टंकी के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है ।

जिला मऊ में विगत वर्ष में बांटी गयी छात्रवृत्ति का विवरण

72–श्री सुदाष–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 21 एवं 22 सितम्बर, 1989 को भूतपूर्व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री कल्पनाथ राय की अध्यक्षता

में मऊ जनपद की छात्रवृत्ति बांटी गयी थी ? वह कुल कितनी धनराशि थी ? क्या यह सही है कि धनराशि एवं लिस्ट के अलावा कोई दूसरी लिस्ट बनाई गयी थी ? क्या उनकी अनुपस्थिति में भी कुछ धनराशि बांटी गयी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कितनी थी ? दुबारा लिस्ट बनाने का कार्य किस अधिकारी के आदेश से हुआ ? फर्जी लिस्ट एवं बिल के भुगतान में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

73–श्री जय शंकर पाण्डेय–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

पावन नगरी अयोध्या जनपद फैजाबाद में सुलभ शौचालयों का निर्माण

74–श्री जयशंकर पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कोई योजना बनाकर शासन के नगर विकास विभाग में भेजी है ? क्या तत्कालीन अध्यक्ष, अयोध्या क्षेत्र विशेष प्राधिकरण ने सचिव नगर विकास को 7 जुलाई, 1989 को अपने अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा अयोध्या में सुलभ शौचालयों के लिए प्राधिकरण को अनुदान देने हेतु निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

आय व्ययक में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु केवल नगर पालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं के लिए ही प्राविधान किया गया था जिसके कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण को धन अवमुक्त नहीं किया जा सका । गत वर्ष 1989-90 में इस हेतु न0 पा0 अयोध्या को रु0 2.50 लाख अवमुक्त किया गया है ।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को इस हेतु धनराशि दिए जाने का प्राविधान आय-व्ययक में नहीं है ।

टाउन एरिया मानिकपुर प्रतापगढ़ से जमीनदारी प्रथा समाप्त करने विषयक शासन को लिखे गए पत्र पर कार्यवाही

75–श्री कल्याण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई पत्र श्री छोटे लाल जायसवाल, चेयरमैन टाउन एरिया मानिकपुर, जनपद-प्रतापगढ़ का दिनांक 27-12-'88 का प्राप्त हुआ जिसमें टाउन एरिया मानिकपुर से जमींदारी प्रथा खत्म करने के संबंध में शासन को लिखा गया था यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं । श्री छोटे लाल जायसवाल, अध्यक्ष नगर क्षेत्र समिति मानिकपुर प्रतापगढ़ का आयुक्त, इलाहाबाद को सम्बोधित पत्र दिनांक 16-12-88 की प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हुई थी ।

नागर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

नगरपालिका मवाना जिला मेरठ की सीमा में परिवर्तन

76–श्री कल्यान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर विकास अनुभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1720 बी/11-9-2-बी/85 दिनांक 16-7-87 के द्वारा नगरपालिका मवाना, जिला-मेरठ की सीमा वृद्धि की गई थी ? क्या यह सच है कि नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 175 बी/11-9-90-98 रिट/87 दिनांक 6 मार्च, 1990 के द्वारा सीमा वृद्धि की उपर्युक्त अधिसूचना को निरस्त करने के संदर्भ में आपत्तियां स्वीकार की गई हैं? क्या नगर पालिका मवाना, जिला-मेरठ की सीमा को घटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त नगर पालिका की सीमा घटाने के विरुद्ध श्री अमर पाल सिंह, विधायक सरधना, जिला-मेरठ का दिनांक 5-4-90 का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ?

जी हां ।

यह निर्णय लिया गया है कि 16 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना के आधार पर ही मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों की सीमा तक क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष क्षेत्र में चुनाव करायें जायें ।

77–श्री कल्यान सिंह–

[2रे बुध में अता0 प्र0 सं0 166 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद रामपुर की औद्योगिक इकाइयों के बन्द होने का कारण

78–डा0 दिनेश जोहरी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की कितनी औद्योगिक इकाइयां इस समय श्रमिक अशान्ति या अन्य किसी कारण से बन्द है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस समय जनपद रामपुर में कोई भी औद्योगिक इकाई श्रमिक अशान्ति से बन्द नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार इस जनपद में इस समय पांच औद्योगिक इकाईयां अन्य कारणों से बन्द है ।

जनपद देहरादून में ग्राम लिस्ट्राबाद में पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप जल संस्थान को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही

79–श्री रणजीत सिंह–

क्या नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम लिस्ट्राबाद में नलकूप छेदन का कार्य लगभग एक वर्ष पूर्व सम्पन्न हो चुका था? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत नलकूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी विलम्ब के कारणों की जांच करायेंगे एवं जल निगम से नलकूप का शेष कार्य पूर्ण करवाकर पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप जल संस्थान को हस्तान्तरित कराए जाने हेतु कार्यवाही करायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत नलकूप से कम श्राव उपलब्ध होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया । अब जिला प्रशासन के अनुरोध पर क्षेत्र में पेयजल की कठिनाई को देखते हुए इसे अस्थाई रूप से चालू करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार आवश्यकता नहीं है ।

नलकूप पर पम्पिंग प्लान्ट लगा दिया गया है तथा विद्युत कनेक्शन अपेक्षित है जिसके लिए धन जमा किया जा चुका है । नलकूप चालू होने पर 6 माह रख-रखाव करने के उपरांत जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

जनपद देहरादून के ग्राम जौलीग्राण्ट में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था

80–श्री रणजीत सिंह–

क्या नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय नीति के अनुसार पेयजल आपूर्ति हेतु एक साथ एक स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो नलकूप बनाये जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम जौलीग्राण्ट में पेयजल आपूर्ति हेतु एक ही नलकूप की व्यवस्था है तथा प्रश्नगत नलकूप के खराब होने की स्थिति में पेयजल योजनाओं से संबंधित ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना पड़ता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम जौलीग्राण्ट में दूसरे नलकूप छेदन हेतु विभाग को निर्देश देंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में कतिपय सड़कों की मरम्मत की मांग

81–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग लखनऊ में ठाकुर राम पाल सिंह मार्ग से बाएं पुराना सरदारी खेड़ा से सुजानपुरा को जोड़ने वाली सड़क एवं सम्बन्ध गलियों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु क्षेत्रीय विधायक तथा स्थानीय नागरिकों

द्वारा जनवरी, 1988 से लेकर अब तक अनेकों पत्रों द्वारा तत्कालीन नगर विकास मंत्री एवं सचिव नगर विकास से अनुरोध किए जाने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त कार्य को चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगर महापालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, संसाधन सीमित हैं, अतः उक्त कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

जी नहीं।

नगर महापालिका, लखनऊ के वित्तीय वर्ष 1990–91 के बजट में एतदर्थ धन उपलब्ध न होने के कारण उक्त कार्य का कराया जाना सम्भव नहीं है।

लखनऊ नगर में त्रिवेणी नगर मोहल्ले में जल निकासी की विचाराधीन योजना की जानकारी

82–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के त्रिवेणी नगर मोहल्ले के लिए चार सौ बाईस लाख रुपये की कोई जल निकासी एवं अन्य विकास कार्यों की योजना बनी है? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है और उसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित किया गया है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

लखनऊ शहर के संदर्भित क्षेत्र के लिए रुपये 422.00 लाख की कोई योजना नहीं बनायी गयी है तथापि इस क्षेत्र की जल निकासी हेतु नाले तथा नालियों के निर्माण हेतु रुपये 120.00 लाख की एक योजना शासन को प्राप्त हुई है।

चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में इस हेतु कोई प्राविधान न होने के कारण धनराशि आवंटित किया जाना सम्भव नहीं है।

विगत सर्दी में लखनऊ में अलाव में जलाई गयी लकड़ी पर व्यय का विवरण

83–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत भीषण सर्दी में लखनऊ में अलाव की कितनी लकड़ी खरीदी गई और उसका वितरण किस प्रकार से हुआ? क्या यह सच है कि अलाव की लकड़ियों का दुरुपयोग किया गया और उनका प्रयोग निजी कार्यों में किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

प्रश्नगत अवधि को शीतलहरी में कुल 3392 कुन्तल लकड़ी का क्रय किया गया था। उक्त लकड़ियों को क्षेत्रीय सभासदों व जनता द्वारा निर्धारित स्थानों पर अलाव के रूप में जलवाया गया था।

जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना अथवा शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम के संचालन बोर्डों के गठन की मांग

84–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कमाऊं मंडल विकास निगम के संचालक बोर्ड के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो गठन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरीफया लाल जुवांठा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

दोनों संचालक मंडल गठित हैं।

उरई एवं कोंच नगर जनपद जालौन में पेयजल योजना में बनवाये गये नलकूपों को चालू किये जाने की मांग

85–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उरई एवं कोंच (जनपद जालौन) नगरों में जल आपूर्ति हेतु गत वर्षों में निर्मित नलकूपों को अभी तक चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त नलकूपों को इसी वित्तीय वर्ष में चालू करने के आदेश देंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

उरई एवं कोंच नगर (जनपद-जालौन) में गत वर्षों में निर्मित सभी नलकूप चालू कर दिये गये हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन के कीतपय गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था

86–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन की कोटरा-कपासी, आटा, बबीना, भेड़ी, रामपुरा, मदारीपुर, गोहना हरौली बहादुरपुर उठेन्ट और रवी आदि ग्रामों की जल आपूर्ति चालू करने हेतु अधिशासी अभियन्ता जालौन द्वारा माह जनवरी, 90 में शासन से आवश्यक सामग्री की मांग की गयी है? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त मांग को स्वीकार कर लिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्य प्रणाली का विवरण तथा श्री राज बिहारी सिंह समिति की संस्तुतियों के क्रियान्वय की जानकारी

87–श्री मुक्तिनाथ तथा श्री शारदानन्द अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1989 से मार्च, 1990 के मध्य उ0 प्र0 जल निगम की कौन-कौन सी सिविल प्रकल्प व निर्माण शाखायें जल निगम द्वारा कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों (गंगा-प्रदूषण के कार्यों सहित) को कराती रही है तथा उक्त सिविल निर्माण शाखाओं के बढ़े हुए अनुपात को देखते राज बिहारी सिंह समिति की संस्तुतियों के अनुरूप 20 प्रतिशत के अनुपात में यांत्रिक शाखाओं का सृजन उ0 प्र0 जल निगम द्वारा उक्त वर्ष में क्यों नहीं किया गया? राज बिहारी सिंह समिति के संस्तुतियों के अनुरूप (जो शासन द्वारा पूर्व में मान ली गयी है) नये सिरे से नये यांत्रिक शाखाओं और मण्डलों के सृजन के संबंध में शासन स्तर से क्या आदेश दिए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जल निगम में मार्च, 1989 से मार्च, 1990 तक 106 सिविल शाखायें निर्माण, 31 सिविल शाखायें प्रकल्प एवं निर्माण, 30 सिविल शाखायें केवल प्रकल्प, 28 शाखायें विद्युत/यांत्रिक एवं 4 इकाईयों गंगा प्रदूषण (जिनमें सिविल/विद्युत यांत्रिक दोनों सम्मिलित हैं) प्रकल्प एवं निर्माण कार्य कराती रही हैं। सिविल निर्माण शाखाओं 138 के विरुद्ध विद्युत यांत्रिक निर्माण शाखाओं की संख्या–28 है जो राज बिहारी सिंह समिति की सिफारिशों के अनुरूप लगभग 20 प्रतिशत ही है।

राज बिहारी सिंह समिति की सिफारिश के अनुरूप विद्युत यांत्रिक शाखाओं की संख्या–20 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। अतः नये सिरे से यांत्रिक शाखा/मण्डलों के सृजन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बलिया में जल निगम की एक नयी यांत्रिक शाखा खोले जाने की मांग

88–श्री मुक्तिनाथ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद व जनपद बलिया के अन्य विधायकों की संस्तुति सहित श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा रामपुर महादल जिला बलिया का कोई प्रार्थना-पत्र जनपद बलिया में उ0 प्र0 जल निगम की यांत्रिक शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में उनके कार्यालय में दिनांक 19-1-90 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर शासन स्तर से यांत्रिक शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में क्या आदेश दिए गए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां।

पत्र की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं–

बलिया, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जनपद में 6 सिविल शाखाओं के विरुद्ध कोई यांत्रिक शाखा नहीं है। बलिया जनपद का यांत्रिक कार्य

वाराणसी जनपद की यांत्रिक शाखा से कराया जाता है, जिससे कार्य त्वरित गति से न हो पाने के कारण बलिया जनपद में एक यांत्रिक शाखा खोलने की मांग की गयी है।

बलिया जनपद में यांत्रिक शाखा खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

नगर महापालिका, नगरपालिकाओं, टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के बकाये वेतन, बोनस, एरियर्स आदि के भुगतान की मांग

89–श्री नजमुद्दीन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया के सफाई कर्मचारियों के वेतन, बोनस, एरियर्स एवं मंहगाई भत्ते आदि के बकाया लगभग एक अरब 35 लाख रुपए का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

शासन स्तर पर बकाया वेतन आदि के सत्यापित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भुगतान का मूल दायित्व संबंधित स्थानीय निकायों का है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ व अन्य नगर महापालिकाओं में सफाई बीट इंचार्ज के पद समाप्त किये जाने की शिकायत

90–श्री नजमुउद्दीन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका सहित अन्य कुछ महापालिकाओं में कुछ सफाई कर्मचारियों को सफाई नायक की भांति बीट इन्चार्ज बना दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में शासनादेश संख्या–377ए/11-7-90 नगर विकास अनुभाग-7 दिनांक दिनांक 20 फरवरी, 1990 द्वारा ऐसे समस्त बीट इजार्जों के पद समाप्त कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शासनादेश का पालन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर स्वतन्त्र मोर्चा, प्रतिनिधि मंडल द्वारा शासन का ध्यान दिलाये जाने पर नगर महापालिकाओं में बीट इंचार्ज पद न होते हुए भी उक्त पद पर कुछ लोगों द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 1990 द्वारा समाप्त करने के आदेश नगर महापालिकाओं को दिए जा चुके हैं।

पद न होते हुए भी बीट इंचार्ज के रूप में कार्य करने की व्यवस्था को समाप्त करने एवं कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दे दिए गये हैं।

लखनऊ नगर में दस नये नलकूप लगाये जाने की मांग

91–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में पेयजल आपूर्ति के सुधार हेतु जल निगम ने तत्काल 10 नए नलकूप लगाने हेतु दिनांक 24-10-1989 उनको पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

प्रतिनियुक्ति के विषय में सरकार की नीति

92–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रति नियुक्तियों के विषय में उनकी क्या नीति है ? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के विरुद्ध है ? यदि हां, तो 1984 में जल संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर आये अभियन्ता राशिद अहमद जो पूर्वान्चल निवास निगम के प्रबंध निदेशक हैं, को 6 वर्षों में 3 बार प्रतिनियुक्ति की अवधि में विस्तार दिए जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार अब उन्हें वापस जल संस्थान भेज रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

शासकीय नीति के अनुसार 5 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की व्यवस्था है ।

निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्तियां दी जाती है ।

पूर्वान्चल विकास निगम के शासन स्थित प्रशासकीय विभाग के अनुरोध पर श्री राशिद अहमद खां की प्रतिन्युक्ति की अवधि में समय-समय पर विस्तार किया जाता रहा है ।

श्री राशिद अहमद को प्रतिनियुक्ति से वापसी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल तिलहर जिला शाहजहांपुर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान

93–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो तो कब तक ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को चीनी वेतन मंडल की अनुशंसाओं तथा समय-समय पर त्रिदलीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है । इस मिल में नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वेतन का भुगतान हो रहा है, जो निर्धारित वेतन से कम है, जिसके संबंध में वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्देशवाद दायर किये जा चुके हैं, जो अभी विचाराधीन हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जलालाबाद, तिलहर व जैतीपुर के गांवों में पेयजल हेतु हैण्ड पाइप लगाने की मांग

94–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जलालाबाद, तिलहर व जैतीपुर के कितने ग्रामों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प 31-3-90 तक लग गये हैं और बाकी ग्रामों में कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जलालाबाद, तिलहर व जैतीपुर के क्रमशः 183 ग्रामों, 153 ग्रामों व 140 ग्रामों में (कुल 476 ग्रामों में) पेय जलापूर्ति हेतु दिनांक 31-3-1990 तक हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ।

95–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

96–श्री केदार नाथ सिंह–

[4थे सोम में अता0प्र0सं0 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्मोड़ा जनपद में कुकिंग गैस वितरण में अव्यवस्था

97–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद में कुकिंग गैस वितरण व्यवस्था एक राज्य सरकार के प्रतिष्ठान के पास है जो 5 रुपये प्रति सिलिण्डर गैस घर पहुंचाने के लेने के बावजूद भी घर पर गैस नहीं पहुंचाती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि उक्त प्रतिष्ठान गैस सिलिण्डर उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाये जायें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुगांठा—

जी हां । अल्मोड़ा शहर में कुकिंग गैस का वितरण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान कुमायूं मंडल विकास निगम के पास है । कुकिंग गैस सिलिण्डर घर तक पहुंचाने के लिये इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा रु0 5.00 प्रति सिलिण्डर की दर स्वीकृति की गई है परन्तु इस दर पर कोई भी ठेकेदार कार्य करने को तैयार नहीं है अतः जन सुविधा को देखते हुए अल्मोड़ा शहर में 14 मुख्य स्थानों पर (स्पाट डिलीवरी) प्रणाली से गैस वितरण किया जा रहा है, दरों में वृद्धि हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन से अनुरोध किया गया है ताकि वहां पर होम डिलीवरी व्यवस्था प्रारम्भ की जा सके ।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर के भवन निर्माण की योजना

98—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर के भवन निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवाठा—

जी हां । प्रश्नगत भवन निर्माण हेतु आगणन अभी हाल में शासन को प्राप्त हुआ है । वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य सम्भव हो पायेगा ।

जनपद चमोली में राजकीय इण्टर कालेज गड़ोरा के भवन निर्माण की मांग

99—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में राजकीय इण्टर कालेज गड़ोरा के भवन निर्माण हेतु स्थानीय जनता द्वारा 27 जनवरी, 1990 से लेकर 8 फरवरी, 90 तक अनशन किया गया था जो जिला प्रशासन के आश्वासन पर समाप्त हुआ था? क्या यह सही है कि यह कालेज बहुत पुराना है, वहां पर भवनों की भारी कमी है तथा भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है? यदि हां, तो फिर भी वहां पर विद्यालय भवन के न बनाये जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार यथाशीघ्र वहां भवनों का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां ।

जी हां ।

मुख्य कठिनाई वित्तीय संसाधनों की है । वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

100—श्री राम प्रसाद सिंह—

[4थे बुध में अता0प्र0सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में बैरिया कस्बे को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव

101—श्री भोला पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में बैरिया कस्बे को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव का सर्वेक्षण कराया गया? यदि हां, तो बैरिया कस्बे की कितनी आबादी एवं क्षेत्रफल है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । जनपद स्तर पर ग्राम सभा बैरिया तथा ग्राम सभा कोटवा को मिलाकर टाउन एरिया बैरिया बनाने का सर्वेक्षण कराया गया है । ग्राम सभा बैरिया की आबादी 15,466 है तथा क्षेत्रफल 395-895 हेक्टेयर है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम प्रबन्ध निदेशक/वित्त अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी के पद रिक्त होने का कारण

102—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रबन्ध निदेशक/वित्त अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी के पद वर्तमान समय में रिक्त होने का क्या कारण है और इस पर तैनाती कब तक कर दी जायेगी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रबन्ध निदेशक के पद के समक्ष श्री हरी शंकर चौरसिया (प्रभारी) प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है । जल निगम में वित्त अधिकारी का कोई पद नहीं है। मुख्य लेखाधिकारी का पद मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये रिक्त रखा गया है ।

लखनऊ नगर विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विकास के लिए धन का आवंटन

103—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष 1989-90 में लखनऊ शहर के पिछड़े क्षेत्रों को नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो इन गांवों के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

लखनऊ शहर के हरिजन बाहुल्य मार्ग महाकालेश्वर के शीघ्र निर्माण की मांग

104—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

नगर विकास मंत्री बतायें की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में महाकालेश्वर मार्ग वर्ष में बनवाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु निविदा आदि की औपचारिकतायें पूरी की जा रही है जिसके पूर्ण हो जाने पर मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देहरादून ग्राम प्रेमपुर माफी का मजरा के पास टोन्स नदी पर पुल बनवाने की मांग

105–श्री रणजीत सिंह–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री के संज्ञान में है कि देहरादून जनपद के ग्राम प्रेमपुर माफी का मजरा ग्राम मस्तन्दवाला एक ओर टोन्स नदी एवं दूसरी ओर नून नदी से घिरा हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम वर्षा ऋतु में पुल के अभाव में तमाम वाह्य क्षेत्रों से अलग-अलग हो जाता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी टोन्स नदी पर पुल अथवा झूला पुल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां। यह सत्य है कि वर्षा ऋतु में पानी बढ़ जाने पर ग्रामवासियों को व शहर आने जाने में कठिनाई होती है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में ही उक्त स्थल पर पुल अथवा झूला पुल के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव होगा।

पूर्वांचल एवं मैदानी क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने हेतु मानक सिद्धान्त की जानकारी

106–श्री रणजीत सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचलों एवं मैदानी क्षेत्रों में कितनी गहराई तक खुदाई करके पाइप लाइन बिछाये जाने के मानक सिद्धान्त हैं? क्या इन मानक सिद्धान्तों का पालन पूर्णरूप से विभाग द्वारा किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पर्वतीय अंचलों के लिए एक तकनीकी समिति का गठन कर जांच का आदेश देंगे तथा जांच निष्कर्ष के पश्चात् दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

पर्वतीय क्षेत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः पाइप के बाहरी व्यास के अतिरिक्त 0-9 से 1-0 मीटर गहराई तक खुदाई कराके पाइप लाइन बिछाई जाती है । सामान्यतः इसका जल निगम द्वारा पालन किया जाता है परन्तु कई बार विशेष परिस्थितियों में स्थल की स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है । पर्वतीय अंचलों के लिये तकनीकी समिति गठित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । शिकायत प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने के आधार पर समाम्बित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

107–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

108–डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की सरकारी नीति की जानकारी

109–श्री हृदय नारायण–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किसी स्थान पर आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षण खोलने की क्या नीति है? किसी नये स्थान को उपयुक्त मानते समय कौन से मानक अपनाये जाते हैं? क्या प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के तहसील केन्द्र पुरवा पर एक आई0 टी0 आई0 खोले जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र माह अप्रैल 90 में मंत्री जी को मिला है? यदि हां, तो वहां आई0 टी0 आई0 कब तक खोला जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में किसी स्थान पर आई0टी0आई0 खोलने हेतु मापदण्ड भारत सरकार डवारा लागू की गयी प्रशिक्षण नियमावली के पैरा-44 से दिये गये हैं । तद्नुसार प्रशिक्षण हेतु समुचित विद्युत व्यवस्था, जल की उपलब्धता मार्ग व्यवस्था प्रशिक्षार्थियों की निरन्तर उपलब्धता निकट में औद्योगिक इकाईयों का होना आवश्यक होता है । तहसील पुरवा में आई0टी0आई0 खोले जाने विषयक संदर्भ गत पत्र शासन में प्राप्त हुआ है । परन्तु जिला योजना समिति, उन्नाव से तहसील पुरवा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है ।

लखनऊ में इन्दिरा नगर में अरावली मार्ग, गंगा मार्ग पर लगने वाली अनाधिकृत बाजार की तहबाजारी वसूलने का कारण

110–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में इन्दिरा नगर में अरावली मार्ग, गंगा मार्ग पर आवासीय इलाके में लगने वाले अनधिकृत बाजार की तह-बाजारी की वसूली नगर महापालिका द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो आवासीय इलाके में लगने वाले अनाधिकृत बाजार को हटाने की बजाय वहां तहबाजारी वसूलने का क्या कारण है? क्या इस वसूली को तत्काल बन्द किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

प्रश्नगत क्षेत्र में बाजार काफी समय से लगता चला आ रहा है और महापालिका द्वारा तहबाजारी की वसूली की जा रही है । उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा जब तक उक्त क्षेत्र में वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक बाजार लगना स्वाभाविक है । उक्त स्थिति में तहबाजारी न वसूल किये जाने से महापालिका को आर्थिक क्षति होगी । क्योंकि वहां पर बाजार लगता ही रहेगा । उपरोक्त के आधार पर तहबाजारी की वसूली बन्द करना नगर महापालिका के हित में न होगा ।

जनवरी 1990 से अप्रैल 1990 के मध्य निलम्बित किये गये जिला हरिजन कल्याण अधिकारियों की संख्या

111–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 90 से अप्रैल 90 तक कितने जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी निलम्बित किये गये और इनके निलम्बन के कारण क्या थे?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रश्नगत अवधि में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग के चार अधिकारियों को उनके विरुद्ध गम्भीर आरोपों पर प्रस्तावित विभागीय अनुशासनिक जांच के कारण निलम्बित किया गया ।

स्वरूप केमिकल्स प्राइवेट लिमि0 वाटर वर्क्स रोड एशबाग लखनऊ से निकाले गये कर्मचारी

112–श्री रामरती बिन्द–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वरूप केमिकल्स प्रा0 लि0, वाटर वर्क्स रोड, एशबाग लखनऊ द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संस्थान के मालिक के द्वारा कारखाने को हटाने के नाम पर वर्ष 1988 के मध्य से 1989 के मध्य सैकड़ों मजदूरों को सेवा से हटा दिया गया परन्तु कारखाने को हटाया नहीं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कारखानों के मालिक के विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेसर्स स्वरूप कैमिकल्स प्रा0 लि0 वाटर वर्क्स रोड एशबाग, लखनऊ में कीटनाशक दवाए बनाई जाती है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार कारखाना हटाने के उद्देश्य से वर्ष 1988 के मध्य से 1989 के मध्य किसी मजदूर को सेवा से नही हटाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

113–श्री कुंवर सिंह गेगी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिकीकरण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगीकरण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ में नगरीय भूमि सीमारोपण अधिनियम के अधीन मास्टर प्लान में किसान परिवारों की कृषि भूमि का अधिग्रहण

114–श्री कल्याण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ में नगरीय भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के अधीन मास्टर प्लान में 80 हजार किसान परिवारों की कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-1-90 का कोई ज्ञापन, जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रमुख मांगें क्या-क्या है? क्या शासन उन मांगों को स्वीकार किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

ज्ञापन में मुख्य मांगे निम्न प्रकार हैं :–

नगर भूमि(अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त की जाये, अधिग्रहीत भूमि के लिये बाजार भाव से एक मुश्त मुआवजा दिया जाये तथा जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जाये उनके परिवार के वयस्कों को योग्यतानुसार राजकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये ।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 भारत सरकार का अधिनियम है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद आगरा, सहित 12 नगरों में लागू किया गया है । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तथा मुआवजा निर्धारण उक्त अधिनियम के अनुसार विधि सम्मत रूप से किया जाता है । प्रभावित किसानों के परिवार के सदस्यों को राजकीय सेवा में लिया जाना अधिनियम की परिधि में नहीं है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सरकार से मिलने वाली सुविधाएं

115–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्ध तथा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रदेश सरकार द्वारा सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्या अन्य राज्यों की भांति यहां भी सुविधायें दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर ऐसे समस्त राजकीय संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के भीतर साज-सज्जा/मशीन, भवन, स्टाफ आदि की मूलभूत समस्त प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

नगरपालिका शुक्लागंज जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कतिपय समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

116–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका शुक्लागंज, जनपद-उन्नाव की स्थानीय समस्याओं से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 7-4-90 को मंत्री जी को दिये ज्ञापन पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मा0 विधायक का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु संबंधित अनुभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । ज्ञापन की प्रति मा0 विधायक से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी । ?

वाराणसी जल संस्थान के कर समाहर्ता श्री देवेन्द्र कुमार के निलम्बन में अनियमितता

117–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जल संस्थान के कर समाहर्ता श्री देवेन्द्र कुमार सिंह के अनुशासनिक जांच पर महाप्रबन्धक, जल संस्थान वाराणसी ने जांचोपरान्त आदेश संख्या–118/11/ज सं0, दिनांक 1-12-84 में उल्लेख किया है कि श्री हरिवंश दूबे सचिव, जल संस्थान वाराणसी ने बिना पूर्ण तथ्यों की छान-बीन किए तथा निलम्बन विषयक विभिन्न शासनादेशों को नजरअन्दाज कर निलम्बन की संस्तुति की थी ? क्या श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कर समाहर्ता के निलम्बन प्रकरण में श्री हरिवंश दूबे दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में श्री दूबे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा निलम्बन अवधि के धनराशि की वसूली की गई है ? यदि हां, तो क्या इसे श्री हरिवंश दूबे की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । तत्कालीन महाप्रबन्धक वाराणसी जल संस्थान के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, कर समाहर्ता के निलम्बन में श्री हरिवंश दूबे, तत्कालीन सचिव, वाराणसी जल संस्थान को शासनादेशों का बिना समुचित रूप से देखे निलम्बन की संस्तुति के लिये दोषी पाया गया ।

आयुक्त वाराणसी मण्डल की आख्या मांगी गई है, जिस पर उनके द्वारा जांच कराई जा रही है । आयुक्त, वाराणसी मण्डल से आख्या प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद चमोली में कतिपय राजकीय इण्टर कालेजों के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव

118–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चमोली में राजकीय इण्टर कालेज, , गडोरा, राजकीय इण्टर कालेज लमगोन्डी, राजकीय इण्टर कालेज ल्वारा राजकीय कन्या हाईस्कूल अगस्त्यमुनि राजकीय इण्टर कालेज नन्द प्रयाग एवं राजकीय इण्टर कालेज कोठगी के विद्यालय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गये हैं? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी नहीं ।

प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

जनपद देहरादून के ग्राम बुल्लावाला-झबरावाला में इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

119–श्री रणजीत सिंह–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद देहरादून के ग्राम बुल्लावाला-झबरावाला (मारवमग्राण्ट) में जूनियर में जूनियर हाईस्कूल तक की शिक्षा का प्रबन्ध है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रश्नगत ग्राम के विद्यार्थियों को डोईवाला जाना पड़ता है और वर्षा ऋतु में रास्ते में पड़ने वाली सुसवा नदी में बरसाती पानी आ जाने से विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत ग्राम में राजकीय हाईस्कूल खोले जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां : जनपद देहरादून के ग्राम बुल्लावाला झबरावाला (मारखमग्राण्ट) में जूनियर हाई स्कूल तक की ही शिक्षा का प्रबन्ध है । वस्तुत: प्रश्नगत ग्राम के विद्यार्थियों को इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण करने के लिये डोईवाला जाना पड़ता है । ग्राम बुल्लावाला में नया हाई स्कूल खोलने के विषय पर विचार किया जा रहा है ।

नगरपालिका शाहजहांपुर के चुनाव में पराजित उम्मीदवार को सभासद नाम निर्देशित करने पर आपत्ति

120–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दौलत राम जो 10-1-89 को नगरपालिका शाहजहांपुर के चुनाव में वार्ड नं0–16 से चुनाव लड़कर पराजित हुए थे, को नगर पालिका शाहजहांपुर में सभासद नामांकित किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी नियम विरुद्ध होने के नाते उनका नामांकन निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सभासद के चुनाव में पराजित किसी भी प्रत्याशी को शासन द्वारा सभासद नामांकित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है ।

नगरपालिका सी0 टी0 बोर्ड बनाये जाने की मांग

121–श्री राम छबीला–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका देवरिया को सी0 टी0 बोर्ड बनाये जाने के संबंध में रामायण राव सभासद नगरपालिका देवरिया ने शासन को पत्र दिनांक 7-3-90 को दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष नगरपालिका देवरिया के भ्रष्टाचार की प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत

122–श्री राम छबीला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगरपालिका देवरिया के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 26-3-90 पत्र सं0-1076/लखनऊ/90 शासन को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

अधीक्षक राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

123–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-3-89 पर अधीक्षिका राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर की तत्कालीन अधीक्षिका को नेत्रहीन कर्मशाला गोरखपुर के अधीक्षिका पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया जहां उन्होंने 9-7-89 को कार्यभार ग्रहण किया । तत्पश्चात उन्हें राजकीय नेत्रहीन कर्मशाला गोरखपुर से राजकीय संरक्षण गृह वाराणसी में अधीक्षिका के पद पर दिनांक 18-5-90 को स्थानान्तरित किया गया जहां इन्होंने 31-5-90 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्रश्नगत अधीक्षिका के विरुद्ध राजकीय संरक्षण गृह गोरखपुर के कार्यालय से संबंधित शिकायतों की जांच विभागाध्यक्ष ने जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से करायी थी लेकिन शासन स्तर पर जांच आख्या त्रुटिपूर्ण पायी गयी और अतिरिक्त सूचना विभागाध्यक्ष से मांगी गयी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आंगनबाड़ी सेविकायें व सहायकों को नियमित किये जाने की मांग

124–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविकायें व सहायक क्या सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो उन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता नीति लागू करने की मांग

125–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता एक रुपया पैंसठ पैसे प्रति मूल्य सूचकांक के आधार पर मिलता है? यदि हां, तो उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के कर्मचारियों को एक रुपये पैंतीस पैसे प्रति अंक के दर से ही क्यों भुगतान किया जा रहा है? मंत्री जी वस्त्र निगम के कर्मचारियों को एक रुपये पैंसठ पैसे की दर से कब तक भुगतान करने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राज्य के कुछ सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को महंगाई भत्ता एक रुपया पैंसठ पैसे प्रति अंक की दर से मिलता है जो पक्षो के मध्य हुए समझौते पर आधारित है । इसी प्रकार उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक रुपया पैंतिस पैसा प्रति अंक की दर से दिये जाने के संबंध में हुई सहमति के आधार पर भुगतान हो रहा है । चूंकि महंगाई भत्ते की दर आपसी सहमति से ही निर्धारित होती है, यह कहना कठिन है कि उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम में महंगाई भत्ते की दर रु0 1.65 कब होगी।

जनपद चमोली में जोशीमठ औली रोपवे के निर्माण में शीघ्रता की मांग

126–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में जोशीमठ-औली रोपवे का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जोशीमठ गोरसू रोपवे का निर्माण कार्य मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नैनी भारत सरकार का उपक्रम (टी0 एस0 एल0) द्वारा कराया जा रहा है । उक्त प्रतिष्ठान के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर उक्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 1991-92 में पूर्ण होने की सम्भावना है। जोशीमठ गोरसू परियोजनाओं के निर्माण हेतु त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, नैनी इलाहाबाद के साथ 17-7-82 को अनुबन्ध हुआ था और उसी समय परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो गया था परन्तु रोपवे निर्माण हेतु भूमि एवं वन-भूमि के हस्तान्तरण में बहुत अधिक विलम्ब होने के कारण निर्माण कार्य में विशेष प्रगति नहीं हो सकी । भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त उक्त परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जनपद चमोली में अगस्तमुनि एवं गोचर स्थानों पर स्टेडियम के निर्माण की मांग

127–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन जनपद-चमोली में अगस्त्यमुनि, एवं गोचर स्थानों में खेलकूद स्टेडियम निर्माण करायेगा? यदि हां, कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी नहीं ।

शासन की वर्तमान योजनानुसार खेलकूद जिला मुख्यालय पर बनाने की योजना है ।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में बहुउद्देशीय सभा कक्ष बनाये जाने की मांग

128–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में बहुउद्देशीय सभाकक्ष (मल्टीपर्पज हाल) के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जायेगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1985 से 1989 तक की गई छात्रवृत्तियों का विवरण

129–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में वर्ष 1985 से 1989 की अवधि में किन-किन स्कूलों के हरिजन पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी गई ? क्या जूनियर हाईस्कूल पकरा बहरौली को उक्त अवधि में कोई धन आवंटित किया गया ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना धन

आवंटित किया गया ? क्या आवंटित की गयी धनराशि नियमानुसार थी ? यदि नहीं, तो अनियमितता हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130–श्री किशन सिंह तड़ागी–

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नैनीताल में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने की मांग

131–श्री किशन सिंह तड़ागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल शहर में वर्ष 1989 में वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु धन आवंटित हो गया था किन्तु अभी तक उक्त प्लान्ट को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हा, तो क्यों ?

श्री बरांफिया लाल जुवाठा–

केवल आंशिक रूप से धन आवंटित किया गया था । भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि का भुगतान कर साइट को डवलप कर दिया गया है । तकनीकी अध्ययन से पानी के मितव्ययी शोधन का प्रस्ताव बनाया गया है जिसके अन्तर्गत अत: स्रोत कूप में बोरिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

132–श्री किशन गोपाल–

[4थे मंगल में अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आगरा में नये जल संस्थान बनाने का प्रस्ताव

133–हरद्वार दुबे एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक योजना के तहत आगरा में नया जल संस्थान सिकन्दरा में बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है तथा विश्वबैंक की प्रथम किश्त जल संस्थान बनाने हेतु प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो इस संबंध में जमीन अधिग्रहण के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत धारा 4 व धारा 6, सपठित धारा 17, की आवश्यक अधिसूचनाएं सरकारी गजट में क्रमश: दिनांक 24-10-1988 व 24-6-1989 को प्रकाशित करायी जा चुकी है । उक्त पर धारा–9 की आपत्तियां भी दिनांक 25 8-89 को सुनी जा चुकी हैं । किन्तु इस बीच उक्त जल संस्थान हेतु प्रस्तावित 80-4-15 बीघा भूमि में से 23-7-0 बीघा भूमि पर भूस्वामियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । शेष भूमि के कब्जा/दखल की कार्यवाही के आदेश दिनांक 12-2-90 को किए गए । उक्त संबंध में संबंधित भूस्वामियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं ।

134–श्री उदल–

[4थे शुक्र में अता0 प्र0 सं0 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय गांवों में निर्धारित जनसंख्या के आधार पर हैण्ड पम्प लगाने की मांग

135–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भररा, बरहाना किरवाबली, भैंसोड़ा, जलालपुर, बिहटा चन्दियाना, गैसूपुर, बसीबाघर, मांकड़ी, मबई तिलखनी, भगवन्तपुर नरसेना, अमरपुर, भड़कला पूरैना, सिरोरा, लड़ाना, देहरा, काचरोट करियारी, खिजरपुर, परवाना, खनपुरा, दुलखड़ा, जाड़ौल, मुल्तानी, दौलतपुर कला, बाहमपुर, बहीरखेड़ा, नवीनगर, रोन्डा मानकरोड़ा, खन्डोई, नगला मदारीपुर, अमरगढ़, ढलना, रघुनाथपुर कमालपुर एवं ऊंचागांव, जनपद-बुलन्दशहर में ए0 आर0 पी0 इण्डिया मार्क (2) के दो-दो हैण्ड पम्प लगा दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत 250 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प लगाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर इण्डिया मार्क (2) हैण्ड पम्प लगाने हेतु विशेष अनुदान स्वीकार करेंगे यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी के विरुद्ध विधायकों की शिकायतें

136–श्री ओम प्रकाश एवं श्री कृष्ण किंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी के विरुडध नवम्बर/दिसम्बर, 1989 में बारह विधान सभा सदस्यों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कोई शिकायती पत्र शासन के विभिन्न स्तरों पर भेजा था ? यदि हां, तो जल निगम के चेयरमैन द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां ।

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संबंधित अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । उसे ऐसा कोई विशिष्ट बिन्दु नहीं पाया गया, जिस पर पृथक से जांच की आवश्यकता हो ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन मुख्यालय स्तर पर विभिन्न संवर्ग के रिक्त स्थान

137–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के 3 पद, जिला सेवायोजन अधिकारी के 2 पद तथा सहायक सेवायोजन अधिकारी के 6 पद एवं क्षेत्र के सेवायोजन कार्यालयों में सहायक सेवायोजन अधिकारी

के 3 पद, ड्राइवर के 3 पद, अनुदेशक आशुलिपिक के 10 पद अनुदेशक भाषा के 2 पद, अनुदेशक सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के 2 पद, अन्वेषक कम-कम्प्यूटर के 11 पद तकनीकी सहायक के 9 पद, आशुलिपिक के 3 पद वरिष्ठ सहायक के 4 पद तथा कनिष्ठ लिपिक का 01 पद, जीरो वेस बजटिंग के नाम पर समाप्त कर दिये गये, जबकि सेवायोजन प्रखण्ड की कोई भी योजना समाप्त नहीं की गयी? क्या सेवायोजन कार्यालयों के 12 वाहन तथा 23 टेलीफोन समर्पित कर दिये गये, जबकि वाहन और टेलीफोन स्वयं में कोई योजना नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अधीन संबंधित योजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन/पुनरीक्षण करने के उपरान्त ही शून्य बजट प्रणाली के अन्तर्गत विभाग के सेवायोजन प्रखण्ड के क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के 3 पद, जिला सेवायोजन अधिकारी के 2 पद, सहायक सेवायोजन अधिकारी के 9 पद, ड्राइवर के 3 पद तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 41 पद नियमानुसार समाप्त/सरप्लस घोषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 12 वाहन तथा 23 टेलीफोन भी समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त पदों के पदधारकों तथा वाहनों को नियमानुसार विभाग की अन्य योजनाओं में समायोजित किया जायेगा। इसके साथ ही जनपद रायबरेली, आगरा एवं प्रतापगढ़ में चल रही सचल सेवा की योजना भी शून्य बजट प्रणाली के अंतर्गत समाप्त कर दी गयी है।

प्रदेश के अभियंत्रण विभागों के सिविल एवं यांत्रिक अभियंताओं के कार्य प्रणाली के संबंध में श्री राज बिहारी सिंह समिति की संस्तुतियों की जानकारी

138–श्री मुक्ति नाथ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अभियन्त्रण विभागों के सिविल एवं यांत्रिक अभियंताओं की कार्य दशा सुधारने के सम्बन्ध में पूर्व में शासन द्वारा श्री राजबिहारी सिंह की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने जल निगम द्वारा कराये जा रहे अनुरक्षण कार्यों को विद्युत यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं को देने के सम्बन्ध में क्या संस्तुतियां दी थीं तथा उस पर शासन स्तर से क्या निर्णय लिया गया था? यदि कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है तो अब क्या निर्णय लिया जा रहा है एवं उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या आदेश दिए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के सिविल एवं यांत्रिकी के कार्यों के निर्धारण हेतु वर्ष 1972 में श्री राज बिहारी सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने निम्नलिखित दो सिफारिशें की थीं :–

1–स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के बारे में समिति की राय यह है कि अभी तक विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं को परामर्शदाताओं के रूप में रखने की जो पद्धति है वह ठीक नहीं है और इनको कार्यकारी चार्ज देना चाहिए। यह चार्ज उसी प्रकार से दिया जाय जैसा कि अभी तक सिविल अभियंताओं को दिया जाता है।

2—जल सम्पूर्ति व्यवस्था के बारे में एक ओर सिविल अभियंताओं की ओर दूसरी ओर विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं का अलग-अलग मन्तव्य था परन्तु योजना में किसी अनुशासन का अभियन्ता अधिक प्रभावकारी और दक्षता पूर्वक कार्य कर सके, इस बात की विवेचना करते हुए समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि पूरे विभाग में जितना भी काम हो रहा है उसका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं का है और उसी अनुपात में उक्त स्टाफ की नियुक्ति की जाय। उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर शासनादेश संख्या-3504/9-3-74-699-1-सी/73, दिनांक 25-5-74 के अन्तर्गत यांत्रिक अभियन्ताओं को सिविल अभियंताओं की भांति शाखाओं/मण्डलों में तैनात किया गया है।

जल निगम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा पेयजल के संबंध में गलत सूचना देने की शिकायत

139—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत पेयजल के सम्बन्ध में गलत सूचना देने के सम्बन्ध में जिला परिषद्, गोरखपुर ने जनवरी, 90 की बैठक में उक्त अभियन्ता को निलम्बित करने का प्रस्ताव पारित कर शासन से उसके निलम्बन की मांग की थी? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां।

जल निगम द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का सामान कलकत्ता बन्दरगाह से मंगाने हेतु हुए टेण्डर में गड़बड़ी

140—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 में कलकत्ता बंदरगाह से खाद्यान्न मंगाने के लिए यातायात टेण्डर आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो क्या माह जनवरी, फरवरी, 1990 में न्यूनतम टेण्डरदाता से खाद्यान्न मंगाने के लिए टेण्डर स्वीकृत कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या इसी फर्म से खाद्यान्न मंगाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां।

मेसर्स कानपुर, पटना रोड लाइन्स कानपुर का टेण्डर सबसे कम दर का था जिसे समस्त औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल निगम के कुछ सर्विसों में स्थानान्तरण नीति का पालन न होने की शिकायत

141–श्री हरवंश सहाय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, देहरादून/गोरखपुर/इलाहाबाद/आगरा/मध्य जोन में किन-किन से सहायक अभियन्ताओं (प्रभारी)/सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं को 10 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है? क्या इन अभियन्ताओं के स्थानान्तरण मुख्यालय की नीति दिनांक 23-1-90 के अनुसार तुरन्त अन्यत्र क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश जल निगम गोपेश्वर (चमोली) से स्थानान्तरित किये गये अवर अभियन्ताओं का विवरण

142–श्री हरिवंश सहाय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, गोपेश्वर (चमोली) में वर्ष 1989 में किन-किन अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है तथा उन्हें अभी तक कार्यमुक्त न करने का कारण क्या है? क्या उन्हें तुरन्त कार्यमुक्त कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद वाराणसी के ग्राम विरमानपुर राजातालाब में नन्दन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता एवं अनुदान दिये जाने की मांग

143–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के ग्राम विरमानपुर राजा तालाब में नन्दन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है? यदि हां, तो क्या यह संस्थान मान्यता प्राप्त है और उसे सरकारी अनुदान दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो कब तक सरकारी अनुदान दे दिया जायेगा?

श्री मोहम्मद आजम खा–

जी हां।

इस संस्थान में चल रहे ड्राफ्ट्समैन (सिविल) व्यवसाय को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से स्थायी सम्बन्धन प्राप्त है। इस संस्थान को कोई सरकारी अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

निजी संस्थानों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए कोई सरकारी अनुदान दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में बीज प्रमाणीकृत आलू का विपणन

144—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-90 जनपद चमोली में विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत तपोवन क्षेत्र में बीज प्रमाणीकृत आलू के विपणन के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बरीफिया लाल जुवांठा—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृति हेतु लम्बित मामलों का विवरण

145—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 31 मार्च, 1990 तक विभिन्न योजनाओं के कितने मामले वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं? शासन द्वारा इनकी स्वीकृति हेतु क्या कोई ठोस प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरीफिया लाल जुवांठा—

जनपद चमोली में 31 मार्च, 1990 तक वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अधीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 23 प्रस्ताव तथा याचक विभागों के स्तर पर 119 प्रस्ताव विचाराधीन हैं । जी हां, जनपद चमोली में अभियान के रूप में दिनांक 25-4-90 से 26-4-90 तक स्थल पर प्रगति की समीक्षा (रिव्यू) की गयी । साथ ही प्रगति में हो रही कठिनाइयों पर विचार-विमर्श तथा तत्परता से निस्तारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया ।

पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यालयों में कृषि विषय खोले जाने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र

146—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-3-90 का पत्र पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में कृषि विषय को प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बरीफिया लाल जुवांठा—

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों में अन्य विषयों के अतिरिक्त कृषि विषय को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है ।

सेवा निवृत्त डा0 रमेश चन्द्र वार्ष्णेय चिकित्साधिकारी श्रमिक कल्याण केन्द्र प्रीमियर नगर अलीगढ़ को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान की मांग

147—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रमेश चन्द्र वार्ष्णेय जो श्रमिक कल्याण केन्द्र, प्रीमियर नगर अलीगढ़ के चिकित्साधिकारी के पद से दिनांक 31 जुलाई, 88 को सेवा निवृत्त हुए हैं, का राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में जमा रु0 5,000/- का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद आजम खां—

डा0 रमेश चन्द्र वार्ष्णेय, जो श्रमिक कल्याण केन्द्र, प्रीमियर नगर, अलीगढ़ के चिकित्साधिकारी के पद से दिनांक 31 जुलाई, 1988 को सेवा निवृत्त हुए हैं, का राज्य कर्मचारियों सामूहिक बीमा योजना में दिनांक 1-3-76 से 31-7-78 तक रुपया 3320/- की धनराशि की कटौती उनके वेतन से की गई है । इनको अनुमन्य बीमा की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद सोनभद्र के विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले बेरोजगार नवयुवकों की संख्या तथा सेवायोजन

148—श्री विजय सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र में विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय आरम्भ होने से दिसम्बर, 1988 तक कितने स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों का पंजीकरण हुआ? उनमें से कितनों को सेवायोजित किया जा चुका है और कितने अभी तक बाकी हैं?

श्री मोहम्मद आजम खां—

विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय दुद्धी जो कि नवसृजित जनपद सोनभद्र में स्थित है, की स्थापना शासनादेश दिनांक 28-7-79 द्वारा दी गई थी । इस कार्यालय की स्थापना की तिथि से वर्षवार पंजीयन, काम पर लगाये गए तथा सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	पंजीयन	सेवायोजित	सक्रिय पंजी पर उपलब्ध
1979	695	—	94
1980	1334	2	1415
1981	552	101	646
1982	2572	51	2419
1983	1448	157	1450
1984	1223	6	1597
1985	861	30	2320
1986	691	82	2897
1987	871	72	2552
1988	1183	83	2824

149–श्री विजय सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सोनभद्र में संवायोजन कार्यालय राबर्ट्सगंज कब खुला तथा उसके स्थापित होने की तिथि से दिसम्बर, 1988 तक कितने स्थानीय बेरोजगार नवयुवकों का पंजीकरण हुआ ? उनमें से कितनों को संवायोजित किया जा चुका है और कितने अभी तक बाकी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर संवायोजन कार्यालय राबर्ट्सगंज को ही दिनांक 12 जनवरी, 1990 को शासनादेश द्वारा नवसृजित सोनभद्र जनपद बनने पर जिला संवायोजन कार्यालय, सोनभद्र के रूप में उच्चीकृत किया गया ।

उक्त कार्यालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में बेरोजगार नवयुवकों को उपलब्ध करायी गयी संवायोजन सहायता का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	पंजीयन	नियुक्ति	सजीवा पंजी
1985	9971	262	25544
1986	7969	464	32888
1987	8486	305	28798
1988	10275	530	30426

गढ़वाल जनपद में कोटद्वार नगर क्षेत्र एवं भाबर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की मांग

150–श्री भारत सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में कोटद्वार नगर क्षेत्र एवं भाबर ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक ये ट्यूबवेल लग जायेंगे?

श्री बरफिया लाल जुवांठ–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

151–श्री भारत सिंह रावत–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

एक हाथ अथवा एक पैर से विकलांग व्यक्तियों को विकलांग सुविधा दिये जाने की मांग

152–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा निर्गत नियमों के अन्तर्गत एक हाथ अथवा पैर से विकलांग व्यक्तियों को अनुदान न दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या मानवीय आधार पर इस नियम को परिवर्तित करने पर विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां, विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को नियमावली के प्राविधानों के अनुसार भरण पोषण हेतु रु0 100/- प्रतिमाह अनुदान दिये जाने की योजना है । अनुदान पाने

के लिए विकलांग व्यक्तियों का तात्पर्य उस व्यक्ति से ही नहीं होता है जिसका मात्र एक पैर अथवा एक हाथ न हो बल्कि उस व्यक्ति से है जिसकी शारीरिक अक्षमता ऐसी स्थायी प्रकार की हो कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिये अयोग्य हो गया हो । स्थायी रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए ही भरण पोषण अनुदान की व्यवस्था है । एक हाथ और एक पैर न होने पर यदि वह व्यक्ति स्थायी प्रकार से अक्षम नहीं है तो उसे अनुदान देने के लिए सम्प्रति नियमों में परिवर्तन का कोई विचार नहीं है ।

153–श्री सत्य प्रकाश विकल–

[4थे मंगल में अता0प्र0सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरमहापालिका इलाहाबाद के कर अधीक्षक को स्थानान्तरण के बाद भी कार्यमुक्त न किया जाना

154–श्री राम करन आर्य–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, इलाहाबाद में कार्यरत एक कर अधीक्षक का स्थानान्तरण जून, 88 एवं मई, 89 में देवरिया के लिए किया गया था? यदि हां तो उसे आज तक इलाहाबाद से कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार अब उसे इलाहाबाद से हटाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी नहीं । परन्तु नगर पालिका, देवरिया के एक कर अधीक्षक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को नगर पालिका देवरिया से नगर महापालिका, इलाहाबाद स्थानान्तरित किया गया था । जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया । श्री श्रीवास्तव को नगर महापालिका, इलाहाबाद से नगर पालिका देवरिया हेतु कार्यमुक्त करने के लिये अनेक बार नगर महापालिका, इलाहाबाद को लिखा गया परन्तु श्री श्रीवास्तव की पारिवारिक कठिनाईयों के कारण वे नगर महापालिका इलाहाबाद से कार्यमुक्त न हो सके । श्री श्रीवास्तव को पुनः दिनांक 19 मई 1990 को नगर महापालिका, इलाहाबाद से नगर पालिका, देवरिया स्थानान्तरित किया गया । परन्तु उनकी पत्नी की बीमारी के कारण देवरिया किया गया स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया ।

नगर महापालिका इलाहाबाद के आठ साल से अधिक समय से कार्यरत कर अधीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

155–श्री जगदीश लाल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, इलाहाबाद में कितने ऐसे कर अधीक्षक हैं, जो 8 वर्ष से अधिक समय से वहीं काम कर रहे हैं ? उन्हें आज तक हटाये न जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगर महापालिका इलाहाबाद में ऐसा केवल एक कर अधीक्षक कार्यरत है ।

उक्त कर अधीक्षक की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सका ।

जनपद चमोली में विजय नगर पठालीधार सम्पर्क मोटर मार्ग तथा अगस्त्य मुनि डोभा-गणेशनगर सम्पर्क मोटर मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

156–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चमोली में विजय नगर पठालीधार सम्पर्क मोटर मार्ग तथा अगस्त्यमुनि, डोभा-गणेशनगर सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री दरफिया लाल जवांठा–

जनपद चमोली में विजय नगर पठालीधार सम्पर्क मार्ग का निर्माण तीन चरणों में प्रस्तावित था । दो चरणों (9 कि0 मी0) का कार्य पूर्ण हो चुका है अन्तिम चरण (2 कि0 मी0) का कार्य जिला जज के मार्च 90 में दिये गये स्थगन आदेश के कारण रूका हुआ है । स्थगनादेश निरस्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य पूरा कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

अगस्त्य मुनि-डोभा गणेश नगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कतिपय आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अब प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जनपद चमोली में गढ़केशरी अनुसूया बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्य-मुनि के विद्यालय के भवनों के निर्माण की मांग

157–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गढ़केशरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि के विद्यालय के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

जी हां । अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के निर्माण हेतु चार लाख रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव हुआ था जिसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी । पी0 एल0 ए0 में जमा उक्त धनराशि महाविद्यालय को अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद चमोली में कतिपय सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

158–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कोटी-जोंटा-कोव-गढ़कोट-मेटा मल्ला-लोल्टी सम्पर्क मोटर मार्ग, थराली-घाट मोटर मार्ग का घनूर पानी तक विस्तार का प्रस्ताव तथा रुद्रप्रयाग कोटेश्वर, चोपड़ा मोटर मार्ग के उडामण्डा तक विस्तार के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो शासन इन पर क्या विचार कर रहा है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

प्रश्नाधीन सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण/विस्तार का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

निलंबित रीजनल एम्प्लायमेन्ट आफिसर, मेरठ, श्री डी0 के0 कौशिक के विरुद्ध आरोपों की जानकारी

159—श्री कल्यान सिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि माह अप्रैल, 1990 के प्रथम सप्ताह में श्री डी0 के0 कौशिक रीजनल एम्प्लायमेन्ट आफिसर, एम्प्लायमेन्ट एकेसचेंज, मेरठ को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ? क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी का निलम्बन स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

बिना आदेशों के उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने तथा अन्य अनियमितताओं के कारण श्री डी0 के0 कौशिक को निलम्बित किया गया । यह सही है कि माननीय उच्च न्यायाय ने सशर्त स्थगन आदेश दिया है जिसमें कोई कारण नहीं दिये गये हैं ।

160—श्रीकृष्ण कुमार नवमान—

[दि0 15-6-90 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

बांदा जिले के कालिंजर करतल विन्ध्यवासिनी देवी बरई मानपुर में पेयजल हेतु टंकी के निर्माण की मांग

161—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में कालिंजर करतल विन्ध्य-वासिनी देवी बरई मानपुर में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनवाने के संबंध में प्रशनकर्ता का दिनांक 19 जनवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त स्थानों के सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो अलग-अलग सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है और कब तक पानी की टंकियों का निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

कुछ स्थानों का सर्वेक्षण कराया गया जिनकी रिपोर्ट एवं स्थिति निम्नानुसार है :—

कालिंजर :—सर्वेक्षण कराया गया सर्वेक्षणोपरान्त नलकूप की सफलता की सम्भावना पाई गई है । प्रारम्भिक प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है । इसकी तकनीकी स्वीकृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा धनावंटन किये जाने पर ही पानी की टंकी का निर्माण कराया जा सकेगा ।

करतल :—सर्वेक्षण अभी कराया जाना है । पानी की टंकी का कोई प्रस्ताव नहीं है । ग्राम इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प से लाभान्वित है ।

विन्ध्यवासिनी देवी:—सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त नलकूप सफलता की सम्भावना पायी गई है । प्रारम्भिक प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है । इसकी तकनीकी स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर ही पानी की टंकी का निर्माण कराया जा सकेगा ।

बरईमानपुर :—सर्वेक्षण अभी कराया जाना है । पानी की टंकी का कोई प्रस्ताव नहीं है । ग्राम इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प से लाभान्वित है ।

रावत जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाना

162—श्री रणजीत सिंह तथा श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति संवैधानिक आदेश 1950 (शेड्यूल्ड कास्टकान्स्टीट्यूशन आर्डर 1950) तथा अनुसूचित जाति/जन जाति आदेश (संशोधित) अधिनियम 1950 (शेडयूल्ड कास्ट एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स आर्डर) अमेन्डेड (एक्ट, 1976) की सूची के क्रम—61 में उत्तर प्रदेश के लिए ''रावत'' जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में समस्त रावत जाति के नागरिकों को अनुसूचित जाति के नागरिकों की भांति मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार ''रावत'' जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है ।

रावत जाति, जो अनुसूचित जाति में है, उन्हें अनुसूचित जाति की सुविधायें प्राप्त हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल जनपद में कोटद्वार भावर में पेयजल आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन दिये जाने की मांग

163—श्री भारत सिंह रावत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में कोटद्वार भावर में पेयजल आपूर्ति हेतु चौकीघाटा में टैंक कब बना ? उस टैंक से पेयजल आपूर्ति हेतु अभी तक विडयुत कनेक्शन क्यों नहीं किया गया ? कब तक विडयुत कनेक्शन किया जायेगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

वर्ष 1983 में ।

उस टैंक से पेयजल आपूर्ति के लिए विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है । अत: विडयुत कनेक्शन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल संकट को दूर करने हेतु जनपद गाजीपुर में पानी टंकियों की संख्या

164—श्री अफजाल अंसारी तथा श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में पेयजल संकट दूर करने हेतु कितनी पानी की टंकियां बनायी गयी हैं तथा उनकी क्षमता क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि टंकियों की कमाण्ड एरिया क्या है ? क्या पूरे कमाण्ड एरिया में टंकियों से पानी की सप्लाई की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जनपद गाजीपुर में पेयजल संकट को दूर करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 52 तथा नगर क्षेत्र में 15 पानी की टंकियां बनाई गई हैं । उनकी क्षमता 100 से 450 कि0 ली0 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 100 से 2000 कि0 ली0 नगरीय क्षेत्र में है ग्रामीण क्षेत्र की 52 पेयजल टंकियों की कमाण्ड एरिया 524 राजस्व ग्राम हैं तथा 15 नगर क्षेत्र की टंकियों की कमाण्ड एरिया 7 नगर हैं । इन टंकियों से ग्रामीण क्षेत्र के 524 ग्रामों में से 491 ग्रामों में पानी पहुंच रहा है नगर क्षेत्र की 15 टंकियों से 7 नगर में पानी पहुंच रहा है। 33 ग्रामों में पेयजल विद्युत आपूर्ति में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, योजनाओं के रख रखाव हेतु वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण पर्याप्त धन की उपलब्धता में कमी आदि कारणों से नहीं पहुंच पाता है ।

जनपद गाजीपुर में विभिन्न नगर पालिकाओं में पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत बनायी गई पानी टंकियों का विवरण

165–श्री अफजाल अंसारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका मुहम्मदाबाद, नगर पालिका जमानियां; टाउन एरिया जंगीपुर, सादात, बहादुरगंज व सैदपुर जि0 गाजीपुर की वर्तमान समय में कितनी-कितनी आबादी है और इन कस्बों में पेयजल व्यवस्था हेतु कितनी-कितनी क्षमता की जल निगम की टंकियां उपलब्ध है ? इन टंकियों द्वारा कितने व्यक्तियों को पानी उपलब्ध कराया जाता है? क्या पानी की सप्लाई की कमी को दूर करने हेतु उपरोक्त स्थानों पर नई टंकियां बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो मुहम्मदाबाद में तीसरी टंकी का निर्माण कब शुरू होगा?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नगर पालिका मुहम्मदाबाद नगर पालिका जमानियां, टाउन एरिया जंगीपुर, सादात, बहादुरगंज व सैदपुर जिला गाजीपुर की वर्तमान आबादी क्रमशः लगभग 23000, 21000 8800, 9000, 14000 व 16000 है उक्त कस्बा में क्रमशः 368, 418· 650 200, 120 व 1135 किलो लीटर क्षमता की पानी टंकियां उपलब्ध हैं जिनसे लगभग 80 प्रतिशत आबादी को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है । सीमित संसाधनों के कारण इनमें से किसी भी क्षेत्र में नई टंकी बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

नगरपालिका नवाबगंज बाराबंकी को दी गयी सड़क अनुदान की धनराशि का विवरण

166–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका नवाबगंज जनपद बाराबंकी को सड़क अनुदान हेतु शासन से कोई धनराशि वर्ष 1988-89, 1989-90 में प्राप्त हुयी है? यदि हां तो कितनी?, क्या प्राप्त धन में, पालिका को अपना अंशदान मिलाना जरूरी है? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व उक्त अनुदान में पालिका ने अपना अंशदान जमा किया है? यदि हां, तो कितना?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

जी हां । वर्ष 1988-89 में साधारण सड़क अनुदान रु0 3,90,000/- विशेष सड़क अनुदान रु0 1,05,000 तथा बाढ़ सहायता के रूप में रु0 1,00000/- तथा वर्ष 1989–90 में रु0 3,90,000 साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया ।

जी हां । ठेकेदारों को भुगतान से पूर्व नगरपालिका द्वारा अंशदान मिलाया गया है । आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वर्ष 1988-89 में केवल रु0 41,000 तथा वर्ष 1989-90 में रु0 4,400 अंशदान मिलाया गया है ।

अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट के राजकीय इण्टर कालेज कोटा चानी के भवन हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

167–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज कोटा चानी वि0 खण्ड सल्ट जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987-88 से 1990 मार्च तक आवासीय भवन एवं विद्यालय भवन के लिए कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया है?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

प्रश्नगत विद्यालय के आवासीय भवन और विद्यालय भवन के निर्माण के लिये वर्ष 1987-88 से 1990 मार्च तक कोई धन आवंटित नहीं किया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कलजीखान के अन्तर्गत स्थान बाडियू में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु कार्यवाही

168–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र कलजीखान के अन्तर्गत स्थान बाडियू में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के पत्रांक एल0 डी0/7063/88 दिनांक 22-7-88 के द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित तथा सांसद श्री चन्द्र मोहन सिंह के दिनांक 3-7-86 के पत्र द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह से अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो स्थान बाडियू में एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? कब तक वहां पर चिकित्सालय की स्थापना कर दी जायेगी?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु मा0 सांसद श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी का पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । स्थान बाड़ियू में एक चिकित्सालय उपकेन्द्र पहले से ही कार्यरत है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उक्त स्थान पर और कोई नया चिकित्सालय स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

राजकीय चिकित्सालय जालनी तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के भवन के निर्माण में विलम्ब का कारण

169–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालय जालनी तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण का ठेका किस सन् में दिया गया था? उक्त भवन का निर्माण का कार्य अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं? कब तक उक्त भवन का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

प्रश्नगत चिकित्सालय के निर्माण का ठेका वर्ष 1988 में दिया गया था । भवन निर्माण का सिविल कार्य पूर्ण है । सेनेट्री का कार्य दिसम्बर, 1990 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जालनी जिला अल्मोड़ा के भवन निर्माण में हो रहे विलम्ब की शिकायत

170–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र जालनी अल्मोड़ा का भवन निर्माण विगत दो वर्षों से पूरा हो चुका है किन्तु जल आपूर्ति अभी तक चालू नहीं हो सका? इस विलम्ब का क्या कारण है? इसमें पाये गये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही अपेक्षित है तथा जल आपूर्ति कब तक सम्भव होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बरफिया लाल जुवांठा–

प्रश्नगत भवन का निर्माण कार्य दो वर्ष पूर्व नहीं अपितु दिसम्बर, 89 में पूर्ण हुआ है । जलापूर्ति ग्राम शिलिंग के नीचे गधेरे से किया जाना प्रस्तावित था किन्तु ग्राम सभा ने अपनी बैठक दिनांक 6-4-88 में जल आपूर्ति न करने का प्रस्ताव पारित कर पानी देने से मना कर दिया । अन्य किसी स्रोत से जल उपलब्ध नहीं है । इस मामले में किसी कर्मचारी/अधिकारी का दोष नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड के सीमा के अन्दर अवैध निर्माण कार्य

171–श्री किशन सिंह तड़ागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा के अन्दर अवैध निर्माण कार्य जो ढालदार जमीन पर हो रहा है और जिसकी वजह से चट्टाने टूट रही हैं को रोकने हेतु कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

बृहत्तर नैनीताल विकास प्राधिकरण के विखण्डित होने के पश्चात् आवासीय भवनों के मानचित्र की स्वीकृति का प्रभार नैनीताल नगरपालिका को प्रदान किया गया और व्यवसायिक/सरकारी व गैर सरकारी भवनों की स्वीकृति का अधिकार नवगठित नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को दिया गया । उपरोक्त अधिकारों के अन्तर्गत नगरपालिका नैनीताल की सीमा के अन्दर अनाधिकृत आवासीय निर्माण के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा चालान और नोटिस जारी किये जा रहे हैं । नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण डवारा भी व्यवसायिक/सरकारी व गैर सरकारी भवनों के अवैध निर्माण को रोकने की कार्यवाही की जा रही है ।

12 बजकर 20 मिनट

*श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, 90 प्रतिशत पत्रकार आपके पक्ष में हैं तो आप उनमें से कुछ को बिठा दिया करें ताकि जो यहां शासन की नीतियां हैं, जो घोषणायें होती हैं, जो अक्षमतायें होती हैं, उनको प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जा सके । कम से कम प्रदेश की 13 करोड़ जनता को यह पता तो लगना ही चाहिये कि हम यहां सदन में बैठकर उनके लिये क्या कर रहे हैं, पत्रकारों के न रहने से जनता यह सब जानने से वंचित रह जाती है, इसलिये आप 90 प्रतिशत में से कुछ को अपना अधिकार इस्तेमाल करके बैठा दिया करें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मुईद साहब और अन्य सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रकरण समाप्त हो जायें, उन प्रकरणों को अकारण कृपया सदन में न लाने की कृपा करें । यह बहुत बड़ी कृपा प्रदेश की जनता पर होगी और मुझ पर होगी । आपको मैं यह भी बता दूं कि सदन की एक गरिमा है और कोई भी संस्था हो, विभाग हो, हम नहीं चाहते हैं कि 90 प्रतिशत आये या 10 प्रतिशत न आये, हम तो यह चाहते हैं कि शत प्रतिशत आयें, इसी में हमारी आपकी सबकी गरिमा है । अब मैं 301 ले रहा हूं उसके बाद 311 लूंगा ।

नियम–301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 जून 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना की, जनपद लखीमपुर-खीरी में निघासन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना श्री हरिचरण यादव की जनपद सुल्तानपुर में अमेठी तहसील में टिकरी राजबहा की सफाई समुचित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री शिव बालक पासी की जनपद रायबरेली के सलोन विकास खण्ड में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री राम लखन वर्मा की प्रदेश के सरकारी अमीनों द्वारा की जा रही प्रदेश व्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । पांचवीं सूचना श्री जयशंकर पाण्डेय की फैजाबाद शहर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । छठी सूचना श्री राम स्वरूप वर्मा की वाराणसी जनपद के मुख्य अभियन्ता, विद्युत द्वारा अनुसूचित जाति के विद्युतकर्मियों की अवैध छंटनी के सम्बन्ध में है । सातवीं सूचना श्री मुक्तिनाथ की जनपद देवरिया के रूद्रपुर क्षेत्र में नदियों के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

यह सब सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जाती हैं और इन पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है माननीय सदस्यों की शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद लखीमपुर खीरी में निघासन विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से तबाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निरवेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्व की सूचना लाना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र 72, निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग 80 झोपड़ी फूस, लकड़ी, कोरव, बल्ली से बनी झोपड़ियों वाले गांवों में आग लग जाने से बीसों गांवों की झोपड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं, वन निगम की अधिक दर होने के कारण अग्निपीड़ित झोपड़ी बनाने हेतु कोरव, बल्ली, थाम-थूनी नहीं खरीद सकते जिसके फलस्वरूप हजारों झोपड़ियां नहीं बन सकीं कृपया इस संबंध में शासन को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें जिससे गरीब लोगों की सहायता हो सके ।]

जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील में टिकरी रजबहा की समुचित सफाई न होने से फसल की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिचरण यादव–

[मान्यवर, टिकरी रजबहा लहना माइनर के टेल तक की पूरी एवं समतल खुदाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है परिणामस्वरूप किसानों की सैकड़ों बीघा बुई बोई फसल रजबहा व माईनर के कटाव से ग्राम परसौईया व लहना विकास क्षेत्र भादर तहसील अमेठी प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है इस संबंध में मैंने स्वयं सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखकर व टेलीफोन से कहा लेकिन खुदाई व सफाई का कार्य नहीं किया गया यह भी उल्लेखनीय है कि कागज पर खुदाई कार्य पूरा कर सारा पैसा हड़प लिया गया है टेल तक खुदाई हो जाने से टेल पर स्थित खेतों की सिंचाई भी हो जायेगी तथा दोनों रजबहा व माइनर टेल पर स्थित नाले तक पहुंच जाने से पानी निकल जाता रहेगा और कटाव की समस्या हल हो जायेगी ।]

जनपद रायबरेली के सलोन विकास खण्ड में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव बालक पासी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन के अन्तर्गत ग्राम 1–काजीपुर 2-लहुरेपुर 3-गोपालपुर 4–नया पुरवा मजरा नूरूद्दीनपुर 5–अनन्तपुर 6-मडिया मजरे गढ़ी इस्लामनगर 7-इच्छन गोड़ा 8-केशवापुर 9-पीरा नगर (पीर मतेही उद्दीनपुर) में पेयजल कूप सूख जाने के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है और जन जीवन त्रस्त है जमीन बलुआ और भूड़ के कारण कुएं प्रायः सफल नहीं हैं ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्राम में हरिजन और सामान्य आबादी के अनुपात में 4 से 6 तक इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प लगाकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के अन्तर्गत समस्या का निदान किया जाय ।]

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश के सहकारी कुर्क अमीनों द्वारा राज्य व्यापी हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामलखन वर्मा–

[मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित लोक महत्व का मामला आप व सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

उ0 प्र0 सहकारी संग्रह कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के पांच हजार से अधिक सहकारी कुर्कअमीन 14 जून, 1990 से हड़ताल पर हैं, वह निबन्धक सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय के समक्ष धरना भी दे रहे हैं। इस हड़ताल के कारण प्रदेश के सहकारी बकायों की वसूली ठप्प है।

सहकारी अमीन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 6-11-85 के परिपालन में सरकारी करण करने, समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति अपनाते हुए, राजस्व अमीनों की भांति वेतन प्रोन्नति व अन्य सुविधाएं देने समस्त कर्मचारियों के नियमितीकरण व स्थायीकरण आदि मांगों को लेकर आन्दोलनरत हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार के संज्ञान में उक्त तथ्य लाते हुए मांग करता हूं कि सहकारी कुर्क अमीनों की मांगें अविलम्ब स्वीकार कर उनके आन्दोलन को समाप्त कराया जाय ।]

फैजाबाद शहर में जल भराव से नारकीय जन जीवन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयशंकर पाण्डेय–

[मान्यवर, बरसात का समय आने वाला है तथा फैजाबाद नगर में नालों की सफाई न होने के कारण जन-जीवन पर संकट व्याप्त हो गया है । मोहल्ला नाका टकसाल, महाजनी टोला फतेहगंज, दिल्ली दरवाजा, बहेलिया टोला, अमानीगंज, खुर्देवाद, पठान टोला आदि में जीवन नारकीय हो जाता है तथा सड़क और नाले का स्तर समान हो जाता है जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है ।

आवास विकास अमानीगंज के नाले से पठान टोलिया के सैकड़ों परिवारों का जीवन उक्त जलभराव से संकटमय है तथा बरसात के दिनों में हजारों एकड़ फसल, बाग तथा मकान गन्दे तथा विषैले पानी से घिर जाता है ।

आपसे निवेदन है कि आप नगर विकास मंत्री जी को तत्काल निर्देश दें कि समुचित धन उपलब्ध कराकर सफाई सुनिश्चित करायें ।]

वाराणसी जनपद के मुख्य अभियन्ता विद्युत द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मियों की अवैध छटनी करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामस्वरूप वर्मा–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विशेष भर्ती अभियान के तहत मुख्य अभियन्ता विद्युत वाराणसी क्षेत्र द्वारा नियुक्त 46 अनुसूचित जाति के विद्युत कर्मियों की अवैध छंटनी किए जाने के कारण उन विद्युत कर्मियों द्वारा मुख्य अभियन्ता विद्युत पूर्वांचल सिगरा वाराणसी के कार्यालय के समक्ष धरना जारी है । इस अछूत विरोधी छटनी से सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध एवं अशान्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके उन 46 अछूतों की छंटनी रोकें और अछूत विरोधी अधिकारी के खिलाफ जो सरकार की छवि धूमिल कर रहा है, कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटाव से जनजीवन की तबाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुक्ति नाथ–

[माननीय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान देवरिया जिला अन्तर्गत 202 रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में हो रहे नदियों के कटान से जन जीवन एवं क्षेत्र की तबाही की स्थिति की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय, उपरोक्त क्षेत्र में गोर्रा व राप्ती नदियों से क्षेत्र के अनेक गांवों में इतनी भीषण कटान है कि सम्पूर्ण गांव नदी की धारा में विलीन होने की स्थिति में है ।

मेरा आपसे साग्रह अनुरोध है कि सरकार को इस क्षेत्र को बचाने के लिए आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ।]

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 311 के पहले नियम 300 लिए जाने की परम्परा है, उसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

311 के अन्दर जो सूचनाएं ली जाती हैं, होता यह है कि अन्य मुद्दों को लेकर उनकी बात को सुन लिया जाय, इसलिए इसे किसी भी समय सुना जा सकता है । अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ, 301 समाप्त हुआ है, अब इसलिए 311 को लिए ले रहा हूं, इसके बाद 300 होगा ।

श्री नकली सिंह–

मान्यवर, मेरे 311 का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, पहले आप 311 नियम के बारे में जानकारी कर लें । इसमें है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे ।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री नकली सिंह–

मान्यवर, मैं तो केवल अनुरोध कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठ जायें ।

नियम–311 के अन्तर्गत श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, अमरनाथ त्रिपाठी, श्री धर्मपाल की एक सूचना प्राप्त हुई है, मैंने इस सूचना को देखा।

श्री अध्यक्ष–

मैं 311 के अन्तर्गत इसे अस्वीकार करता हूं । आपको इस पर बोलने की अनुमति नहीं देता हूं ।

(श्री नकली सिंह और श्री इम्तियाज मोहम्मद खां के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

वहां पर हत्या हो रही है । अल्पसंख्यक वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

और भी नियम हैं । नियम-51 है, नियम–56 है, आप उसमें ला सकते हैं । नियम–311 में मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

मान्यवर, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां को दो मिनट का समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अस्वीकार करने के बाद उन्हें कैसे सुन लिया जाय । आपको मालूम होना चाहिए कि आज माननीय नेता सदन को भी बोलना है और बहुत से माननीय सदस्यों को सामान्य बजट चर्चा पर बोलना है ।

(श्री नकली सिंह, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री धरम पाल, श्री चन्द्र मणी त्रिपाठी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं ।

(श्री नकली सिंह व श्री इम्तियाज मोहम्मद खां सदन के फ्लोर पर आ गए।) दोनों एक साथ कहने लगे कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर रही है । आप हमें सुनें । इसके बाद श्री नकली सिंह व श्री इम्तियाज मोहम्मद खां वापस अपने-अपने स्थान पर चले गए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि आप श्री इम्तियाज साहब को सुन लें । वह कुछ बात कहना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के तो वह इतने व्यवधान में बोल चुके हैं । फिर मैं इसे नियम–311 के अन्तर्गत स्वीकार कर चुका हूं ।

(लगातार शोर)

(कांग्रेस के श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री नकली सिंह एवं कई अन्य माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

अस्वीकार होने के बाद आपकी कोई बात कार्यवाही में नहीं आयेगी ।

(श्री नकली सिंह के खड़े रहने पर)

आपकी कोई बात कार्यवाही में नहीं आयेगी, आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई बात कार्यवाही में नहीं आयेगी । आप बैठें ।

(श्री अध्यक्ष के मना करने के बावजूद भी श्री इम्तियाज मोहम्मद खां बोलते रहे, सत्ता पक्ष की ओर से भाषण में व्यवधान डालने की दृष्टि से किए गए शोर के कारण भाषण का कोई अंश सुना नहीं जा सका)

(श्री इम्तियाज मोहम्मद खां के बैठ जाने के बाद)

दूसरी सूचना माननीय नकली सिंह और विमल प्रसाद तिवारी जी की है । सूचना देनी है कि नियम 56 में कई सूचनाएं आ गई हैं उसमें ले लिया जायगा, नियम 311 में अस्वीकार करता हूं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी जी की है, जिसमें उन्होंने किसी निश्चित घटना का उल्लेख नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम के अन्तर्गत नहीं है तो कैसे सुन लूं । मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजे देता हूं ।

नोट–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना माननीय हरिचरण यादव की है, मैं उनसे कहूंगा कि दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लें ।

श्री हरिचरण यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने सूचना कुछ दी है और बोल कुछ रहे हैं । आप अपनी सूचना को पढ़ें। आप मेरे पास आकर देख लें । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरिचरण यादव–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री हरिचरण यादव–

मैंने मान्यवर 56 में दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

इस समय 300 की सूचनाओं को ले रहा हूं। आप बैठें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं समझता हूं कि 300 की सूचनाओं को लिया जा रहा है और आपने यादव जी को बोलने का अवसर दिया, लेकिन जिस विषय पर यह बोल रहे हैं, उसका उल्लेख उनकी सूचना में नहीं है । प्रमोद तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने सदस्यों को समझाएं कि जिस सूचना को दें उसी पर भाषण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह भूमवश हो गया है । आपके मंत्री भी प्रश्न और होता है और उत्तर दूसरे का देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

भूम तो सभी को हो सकता है, लेकिन माननीय सदस्य सुनें तो।

प्रदेश के जंगलात्यों से उत्पादन करने वालों के साथ प्रभेद बरते जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

***श्री रघुवर दयाल वर्मा–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जमींदारी प्रथा का समापन भूमि सुधार अधिनियम, 1950 द्वारा किया गया और उसके द्वारा जमीन पर काम करने वालों को, जो जमीन को जोतते थे, उनको भू स्वामी बनाने का प्रस्ताव

[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इसी सदन में आया था और उस भूमि अधिनियम के तहत विचौलिए जो जमींदार थे, उनका समापन हो गया। इसी प्रकार से जो नदी, नाले, ताल, पोखर थे, उनको ग्राम सभाओं से सम्बद्ध कर दिया गया और उनकी नीलामी का अधिकार उनको दे दिया गया।

(इस समय 12 बजकर 38 मिनट पर उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

कि तालाब, पोखर, कमलगट्टा, मत्स्य पालन आदि के लिए जितने भी ये उत्पादन के कार्य हैं उन सब के लिए नीलामी की धारा के तहत . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । उपाध्यक्ष जी संविधान के अनुच्छेद 14/15 के तहत कानून की विषमता के तहत में जिस बात की आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वह सही मायने में नियम 300 के अंतर्गत आता है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं । उसे बताने के लिए मुझे समय की सीमा में न रखें । मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायं । मेरा निवेदन सुन लें । निवेदन यह है कि आज आपके पास बहुत थोड़ा समय है और सामान्य चर्चा का आज अंतिम दिन है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि अब आप जीरो आवर को समाप्त करें । सामान्य चर्चा पर आपको बोलने का समय मिलेगा। अंतिम दिन है अन्यथा 4 बजे तक का समय है, 4 बजे मुख्य मंत्री जी बोलेंगे । इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप अधिक समय सामान्य चर्चा पर लें । (व्यवधान) आप तो बोल ही रहे हैं । आपने बहुत समय ले लिया है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मेरी पूरी बात नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्याय–

ठीक है, बोलें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन पर खेती करने वाले आसामी सीरदार आदि बेदखली से सुरक्षित कर दिये गये लेकिन प्रदेश के तालाबों, पोखरों, झीलों/जलाशों में मछली, सिंघाड़ा, तालमखाना आदि उत्पादन करके रोटी रोजी कमाने वाले लोग बेदखल कर दिये गये और वे सब गांव समाओं में निहित होकर ये जलाशय हर साल नीलाम किये जाने लगे । इस प्रकार संविधान की धारा 14 व 15 के अंतर्गत कानून की व्यवस्था के तहत प्रदेश के जलाशयों में उत्पादन करने वालों के साथ प्रभेद करता गया जो संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल है। मान्यवर, भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत धारा 7

और धारा 122 के अंतर्गत उन्हें असामी के रूप में पट्टा देने की नीति दर्शायी गई है । मेरा निवेदन है कि जो तालाबों, पोखरों, झीलों जलाशयों को पट्टे पर देने की व्यवस्था थी, जिनका ठेका किया जाता था, इस समानता के कानून को सभी विभागों में लागू किया जाय और 10 साल के पट्टे 3 वर्ष की अवधि के आधार पर किये जायं। भूमि व्यवस्था अधिनियम (प्रथम संस्करण) 1987 जो है उसकी धारा 7 और 122 में जो प्राविधान है उस प्राविधान को संशोधित करके सभी विभाग पर लागू करें । लेकिन पी0 डब्लू0 डी0 ने अलग बना रखा है, सिंचाई विभाग ने अपना अलग बना रखा है । जो एक ही प्रकार का उत्पादन करते हैं उनको एक ही कानून के अंतर्गत रखने का संवैधानिक अधिकार है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सबको आप एक ही कानून के अन्दर रखने की व्यवस्था करें । . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मनोहर लाल जी आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं है ।

श्री मनोहर लाल–

मेरे हस्ताक्षर हैं मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, धरती पुत्र किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने इस विधान सभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया था और उत्तर प्रदेश के अन्दर यह समाप्त हो गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 40-42 साल से यहां पर एक अजीब हालत पैदा कर दी गई है कि जो राजस्व विभाग है वह मानता है कि नदियों के किनारे तालाबों में काम करने वाले जो मल्लाह हैं, केवट हैं, कहार हैं, बिन्द हैं उनकी नीलामी ग्राम सभाओं को मिलनी चाहिए लेकिन सरकार के दूसरे विभाग उनको मान्यता नहीं देते हैं । पूरे प्रदेश में करोड़ों की संख्या में तालाब होने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग मान्यता नहीं देता है । राजस्व विभाग भी ज्यादती करता है क्योंकि इन तालाबों आदि की नीलामी पंचायतें करती है तो गरीब मछुवारे वर्ग के लोग बोली नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहां पर जमींदारी प्रथा लागू होने से कमजोर वर्ग के लोग ले नहीं पाते हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा इस सरकार से जो पापुलर सरकार है, से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, कांग्रेस वाले तो अपने किये की सजा भुगत रहे हैं । (व्यवधान) चौधरी चरण सिंह ने उनके लिए किया था । तो मेरा निवेदन है संसदीय कार्यमंत्री जी से कि वह सभी विभागों को आदेश दें कि इन लोगों को मान्यता प्रदान करें ताकि उनकी रोटी रोजी चल सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की नोटिस थी उस पर माननीय मनोहर लाल जी के हस्ताक्षर थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किये । मछुवारों को जो राजस्व

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

विभाग पट्टा देता है उसी प्रकार की प्रथा हर विभाग में लागू करने की बात माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी और माननीय मनोहर लाल जी ने की है। वह दोनों बड़े पुराने विद्वान सदस्य हैं उनको पूरी नियमावली का ज्ञान होगा वह इस प्रकार के विषयों में संकल्प ला सकते हैं । लेकिन नियम 300 की परिधि में यह कहां आता है । न इससे कोई कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन हुआ है और न संविधान की किसी धारा का उल्लंघन हुआ है इसलिए यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। वे चाहे तो इसके लिए अलग से प्रस्ताव ला सकते हैं जिसका उनको अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) आपने काफी समय ले लिया और संविधान के भी उदाहरण दे दिए अब आप बैठें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप विषय की गम्भीरता को न लेकर कह रहे हैं कि यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है मैं चुनौती देता हूं यह सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आप चुनौती मत दीजिए, अब आप बैठिए ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्व विभाग के कानून अपने यहां भी लागू करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियमावली को आप पढ़ लें 300 में यह कहां आता है ?

इलाहाबाद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में गड़बड़ियों एवं घोटालों को छिपाने हेतु आग लगाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय उपाध्यक्ष जी जनपद इलाहाबाद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में 27 मई 1990 को रविवार के दिन 10 बजे गड़बड़ियों और घोटालों पर पर्दा डालने के लिए वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सांठगांठ कर आग लगा दी । मान्यवर, सम्पूर्ण अभिलेख नष्ट कर दिए गये क्योंकि इस विभाग में कई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले मैंने उजागर किये थे और 301 में दिये थे उस पर जांच बिठाई गयी थी । वहां के अधिकारी और कर्मचारी लाखों और करोड़ों रुपयों के घोटाले में फंसने वाले थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने आग लगा दी। (व्यवधान) आप जरा धैर्य से सुनिये । मैं चाहता हूं मंत्री जी इसकी जांच करवा रहे हैं लेकिन इसकी जांच विजिलेंस से कराई जाय । आप इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 में जितनी सूचनायें आयी हैं उन सभी को मैं अस्वीकार करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र 1986-87 †

संसदीय कार्य, लोक निर्माण व आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1986-87 को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1990-91 †

नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र 1990-91 (भाग-प्रथम एवं द्वितीय) को इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई), एक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संशोधित कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 21 जून, 1990 की अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 25 और 26 जून, 1990 के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखें जाने की सिफारिश की है :–

जून, 1990

25 सोमवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) निम्नलिखित विधायी कार्य :–

(क) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

26 मंगलवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) प्रदेश के माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवायें विनियमित करने हेतु विधिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पंचानन राय, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी मा0 उपाध्यक्ष ने दिया है, सहमत है ।

---

† छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश का अभी प्रस्तुत किया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 22-6-90 को नियम 56 के अंतर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 9 सूचनायें चयनित की गयीं हैं :–

1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,

2–श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री किशन गोपाल तथा श्री श्याम देव राय चौधरी दादा,

3–श्री राम सिंह सैनी आगरा जिले के थाना सिकन्दरा के अंतर्गत गांव बनवारी में एक जाति विशेष के लोगों द्वारा हरिजनों की बरात निकलने से रोक देने पर कथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों को घायल कर देने एवं घटना से उत्पन्न तनाव के संबंध में ।

4–श्री विमल प्रसाद तिवारी-दिनांक 20-6-90 को अमीनाबाद, लखनऊ में नगर महापालिका अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर लाठीचार्ज, लूट एवं तोड़फोड़ से कई लोगों के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

डा0 दिनेश जौहरी, श्री कल्याण सिंह, श्री राम सेवक सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह व श्री शिव बहादुर सक्सेना-दिनांक 21-4-90 को लखनऊ कानपुर रेल लाइन पर फिस प्लेटें निकाल दिये जाने से आतंकवादियों के सक्रिय होने एवं आम जनता के आतंकित होने के संबंध में। श्री भारत सिंह रावत-पौड़ी जनपद के ताल क्षेत्र में अदत भूगर्भीय परिवर्तनों से अनेकों गांवों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाने के संबंध में । श्रीमती कमला साहनी की हार्टिकों के कर्मचारियों को गत कई माह से वेतन न मिलने के कारण व्याप्त निराशा एवं असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री शिव दर्शन–

जनपद रायबरेली में गत तीन माह से मासूम बच्चों को पकड़ने वाले गैंग के सक्रिय होते से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में । श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री अरूण कुमार सिंह व श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में विभागाध्यक्षों की मनमानी से कालेज में कार्यरत अधिकांश डाक्टरों व शोध डाक्टर छात्रों में घोर असंतोष के कारण महत्वपूर्ण डाक्टरी सेवाएं प्रभावित होने के संबंध में ।

(व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के लिए जाने की प्रक्रिया की जानकारी

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, सभी माननीय सम्मानित सदस्य इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत आपका

सूचना देते हैं । मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि कुछ माननीय सदस्य को तो प्रतिदिन किसी न किसी नियम के अंतर्गत मौका दिया जा रहा है और मेरे जैसे सदस्य की उपेक्षा की जा रही है । इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, मैंने लगातार तीन दिन तक आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के संबंध में-जनपद बुलन्दशहर में हजारों गन्ना किसानों को जिन्होंने पन्नी जी शुगर मिल को गन्ना आपूर्ति की है, उनके गन्ने के मूल्यों के करोड़ों रुपया भुगतान न किये जाने के संबंध में है, एक प्रस्ताव रखा था । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि यदि कोई भी माननीय सदस्य लगातार 3 दिन एक ही निश्चित और महत्वपूर्ण विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत आपको सूचना देता है, तो क्या आप चौथे दिन उसे कम से कम कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सुनने की अनुमति देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जाइये, मैं हमितयाज साहब को बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा है कि एक लाट्री डालकर इसका चयन होता है । इसमें कोई पक्षपात होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । जैसे आपके मन में भावना पैदा हुई कि कुछ खास सदस्यों की सूचना स्वीकार होती है, तो वह सही नहीं है । इसमें अध्यक्ष पीठ से अपने विवेक से कोई निर्णय लेने की बात नहीं आयी है । (व्यवधान) मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी सुन लिजिए । हमितयाज साहब की बात का उत्तर दे रहा हूं । मेरी बात को पूरा होने दें, तो इसमें यह सोचना, मन में यह भावना लाना ठीक नहीं है, अध्यक्ष पीठ से इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए । यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसमें 60 से ज्यादा जिले हो गये हैं । एक से एक बड़ी समस्याएं इतने बड़े प्रदेश में पैदा होती रहती हैं । उनमें कुछ तो ऐसी होती हैं जो एक जनपद तक सीमित रहती हैं, जिसमें एक जिला शामिल होता है, किन्तु कुछ समस्याएं नियम 56 में ऐसी आती हैं, जो पूरे प्रदेश स्तर पर अपना महत्व रहती हैं । तो ऐसी समस्या जो पूरे प्रदेश स्तर पर अपना महत्व रखती है और अविलम्बनीय होती है, उसी केवल एक समस्या का इस नियम के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष लेते है । 4 लाटरी डालकर लेते हैं, शेष पर शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया जाता है। तो नियम, सिद्धान्त इतने सुनिश्चित है कि माननीय अध्यक्ष या अध्यक्ष पीठ पर बैठा कोई व्यक्ति निर्णय लेने में कोई पक्षपात की गुंजायश नहीं रख सकता है ।

श्री हमितयाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, अपने जो व्यवस्था दी थी । कोई माननीय सदस्य किसी विषय पर लगातार तीन दिन तक नोटिस देते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

पांच दिन तक दें, 6 दिन तक दें, 10 दिन तक दें ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला आगरा में थाना सिकन्दरा से 14 कि0 मी0

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो यह सोच रहा था कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । आप तो बहुत

पुराने सदस्य हैं । मैंने आपका नाम इसलिए नहीं पुकारा था । इस पर कार्य-स्थगन है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री सत्य प्रकाश विकल जी का नाम नम्बर–1 और 2 पर है । मैंने आपको इसलिए पुकारा था कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री विकल जी आप बोलें ।

कार्य स्थगन की प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन एक ऐसे विषय, एक ऐसी घटना की ओर है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस घटना के कारण सम्पूर्ण आगरा शहर जाति एवं वर्ग संघर्ष की आग में सुलझ रहा है । अभी दो दिन पहले आगरा में थाना सिकन्दरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पनवारी के चौखेलाल जाटव के यहां, जहां लगभग जाटव समाज के सौ घर हैं, पुत्री का विवाह था। बारात बाहर से आयी थी। मान्यवर, जब बारात आयी थी तो गांव के दूसरे समाज के लोगों ने और जिस वर्ग का वहां बाहुल्य है, उन लोगों ने बारात को आने से रोक दिया और यह कहां कि "जाटवों की बारात सवर्णों के घर के आगे से नहीं जा सकती है ।" परिणाम यह हुआ कि तू-तू मैं-मैं होते-होते स्थिति विस्फोटक हो गयी। आज उस गांव को मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, आगरा से आये लगभग पचास हजार हथियारबंद लोगों ने घेर लिया है । जाटवों की बारात गांव से बाहर पड़ी है । इस घटना को रोकने में आगरा की सारी पुलिस नकारा साबित हो गयी है। वहां पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, ए0 डी0 एम0 आदि सैकड़ों की संख्या पुलिस कर्मी घायल हो गये हैं । कानून व्यवस्था इस स्थिति को सभाल नहीं पा रही है। मान्यवर, हरिजनों में यह क्षोभ है कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं । मान्यवर, बार-बार यह कहा जा रहा है कि हरिजनों की बारात हमारे घर से आगे से होकर नहीं जायेगी । मेरा कहना है कि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों तरह की लापरवाही है । हमारे उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो संसद सदस्य हैं वे वहां नहीं गये हमारे जो केन्द्रीय मंत्री हैं वे भी वहां नहीं पहुंचे । सरकार बार-बार घोषणा करती है कि वह हरिजनों की रक्षक है परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, 15 कम्पनी पी0 ए0 सी0 वहां बुलाई गई है। स्थित बहुत तनावपूर्ण और विस्फोटक है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

इसलिए मान्यवर, इस गम्भीर प्रकरण पर चर्चा करायें।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मेरा भी नाम इसमें है मान्यवर, मुझे भी बुलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–56 में आप अधिक समय नहीं ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, हरिजनों के साथ और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है। मान्यवर, मुझे बोल लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने बोल तो लिया अब आप बैठ जाएं आगरा के सम्मानित सदस्य विकल जी हैं उन्होंने आपकी बात रख तो दी।

*श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, 50 हजार लोग बन्दूक और पिस्तौल लिए तैनात हैं। जिलाधिकारी, ए0 डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को घायल कर दिया गया है। वहां के लोगों ने विचार बना लिया है कि हरिजनों को जिन्दा जला दिया जायेगा। यह मामला बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

श्री किशन गोपाल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आपका भाषण लिखा नहीं जाएगा।

*श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, कल से आगरा जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि यह घटना अविलम्बनीय लोकमहत्व की है। पचास हजार लोगों ने गांव को घेर रखा है। हरिजन आतंकित हैं। हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। बलात्कार की घटनायें हो रही हैं। धौलपुर, भरतपुर और मथुरा से पचास हजार लोग हथियार बन्द आ गये हैं। इस तरह से हथियार बन्द लोगों के आ जाने से असुरक्षा की भावना सर्वत्र व्याप्त हो गई है–

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जाएं। दोनों साथ बोल रहे हैं कृपया बैठें।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विमले प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, नियम–56 में मैंने अत्यन्त दुखद प्रकरण पर सूचना दी है। उसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं। 20 तारीख को मान्यवर इसी राजधानी में जब विधान सभा चल रही थी, तो अमीनाबाद के क्षेत्र में बेरहमी के साथ कुछ सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने, जो सरकार रोजगार देने का वायदा करती है, उसी सरकार के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने अनेक दुकानदारों को बेरोजगार और बेसहारा कर दिया। यही नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण हटाने की बात थी तो नियमों का अनुपालन होना चाहिए था। नियमानुसार उन दुकानदारों को नोटिस दिया जाना चाहिए था, चेतावनी दी जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अचानक पुलिस की सहायता से नगरमहापालिका के अधिकारियों की सहायता से दुकानों को तुड़वाया। नगर महापालिका के अधिकारियों ने दुकानों की तोड़फोड़ करके दुकानों का सामान लूटा इससे ज्यादा गम्भीर घटना और कोई नहीं हो सकती है। मान्यवर, पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे अनेक लोग घायल हो गये। जाहिर है कि आक्रोश के कारण भीड़ ने अपने बचाव में भी कुछ किया होगा। लोग जिलाधिकारी के यहां जाते हैं, वह लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जिन दुकानदारों का सामान लूटा गया है वह अपनी प्राथमिकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करायें। लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। लोग फिर जिलाधिकारी के यहां जाते हैं तो जिलाधिकारी फिर कहते हैं कि जाकर रिपोर्ट लिखाइये लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। दूसरे दिन वह लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां जाते हैं तो वह कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी।

मान्यवर, इस घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच कराकर सारे घटनाक्रम पर लीपापोती की जा रही है। यह मामला गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व का है। इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। लोगों की प्राथमिक रिपोर्ट लिखी जाना चाहिये और जिन लोगों की दुकानें लूटी गयी हैं उनको मुआवजा देना चाहिए तथा जिनकी दुकानें टूटी हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

*डा0 दिनेश अहिरी–

मान्यवर, मैं कार्यस्थगन के रूप में एक गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आतंकवाद की घटनायें पंजाब, जम्मू काश्मीर और तामिलनाडु तथा अन्य प्रान्तों में बढ़ रही हैं लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी उनकी चपेट में है। मान्यवर, तराई क्षेत्र में हल्द्वानी, काशीपुर के सिनेमाघरों में बम विस्फोट हुए और अनेक हत्यायें तथा लूट की घटनायें हुयी हैं। लेकिन अब लगता है कि यह आतंकवाद पूरे प्रदेश में फैलने वाला है। मान्यवर, कल की घटना है लखनऊ–कानपुर रेल मार्ग पर अमौसी और पिपरसंड स्टेशन के पास 14 फिश प्लेटें हटा ली गयीं एक षडयंत्र के तहत। वहां से इंटरसिटी एक्सप्रेस निकलने वाली थी, अगर यह दुर्घटना हो जाती तो हजारों लोग मर जाते। आज पूरे प्रदेश में अविश्वास और भय पैदा हो गया है। पैसेंजर में डर पैदा हो गया है और वह रेलों में चढ़ने से डर रहे हैं। आतंकवाद की यह जो घटनायें शुरू हुयी हैं उससे लोगों में भय और अविश्वास पैदा हो गया है। तराई क्षेत्र में आतंकवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के विषय में माननीय कुंवर सिंह नेगी ने मामला उठाया था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसको गम्भीरता से नहीं लिया यह मेरा आरोप है। लेकिन यह घटना यह प्रदर्शित करती है कि आतंकवाद पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। कानपुर, बरेली, लखनऊ में आतंकवाद की घटनायें होनी शुरू हो गयी हैं। इस गम्भीर मामले पर तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, कार्यस्थगन के रूप में जो विषय विचाराधीन है वह बहुत गम्भीर मामला है। ऐसा लगता है कि अब पंजाब, काश्मीर में चलने वाले आतंकवाद की आग की लपटें उत्तर प्रदेश को छूने लगी हैं। यह जो घटना घटित हुयी है यह एकांगी घटना नहीं है। एकांगी घटना के रूप में आप इसको न लें। आज हर जगह चाहे हलद्वानी या नैनीताल के सिनेमाघरों में बम विस्फोट हो या सीतापुर, लखीमपुर में आतंकवाद की घटनायें हों या चाहे अमौसी और पिपरसंड स्टेशन के पास 14 फिश प्लेटें हटाने का मामला हो, मेरा निवेदन है कि इन सारी घटनाओं को एकत्रित रूप में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी अपनी गतिविधियां तेज करते चले जा रहे हैं। इसलिए इस घटना को एकांगी घटना न मानकर इसको एक कड़ी के रूप में लेना चाहिए। पूरे प्रदेश के जनजीवन की सुरक्षा से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश को कैसे आतंकवाद से बचाया जाय यह प्रश्न हमारे सामने है। इस मुद्दे पर मैं चर्चा चाहूंगा कि सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है और इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद की लपटें रोकने में जो भी सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे भारतीय जनता पार्टी उन कदमों का स्वागत और समर्थन करेगी। लेकिन इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। सारी चीजें जो प्रदेश में हो रही हैं उन पर चर्चा होनी नितान्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कार्य स्थगन के रूप में सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं। सूचना नं0–1 जो आगरा से संबंधित है उस पर शासन वक्तव्य दें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आगरा के पनवारी गांव के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत जो कहा गया है, उसके संबंध में सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता हरिजनों की सुरक्षा के लिए दे रही है और देगी। उसमें करीब-करीब समझौता हो गया था, दोनों पक्षों में, और शादी होने की तैयारी हो गयी थी, लेकिन कुछ राजनैतिक लोगों की रैली को लेकर 21 तारीख को फिर दोनों पक्ष भड़क गये। हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं और पूरा प्रयास हो रहा है। यह जो हरिजन और सवर्ण का मामला है, यह समाप्त हो जाय, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है। मान्यवर, जहां तक डा0 दिनेश जौहरी और माननीय कल्यान सिंह जी की सूचना का सवाल है, मैं चाहता हूं कि जो अलग से वह कोई सूचना देना चाहते हों, तो वह दे दें, मैं उनसे अलग से भी बात कर सकता हूं। पंजाब के लोगों की कुछ यहां पर रिश्तेदारियां हैं, इसलिए वे यहां पर आ जाते हैं। तमाम लोगों ने वीरगति को प्राप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होकर आतंकवादियों का मुकाबला किया । तराई क्षेत्र में हिन्दू-सिक्ख में पूरी तरह से भाई-चारा का नाता कायम है, इसलिए आतंकवाद का खतरा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नहीं है, फिर भी उनके पास अलग से कोई सूचना हो, तो मैं उनसे परामर्श कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको नगरमहापालिका, लखनऊ की सूचना पर कुछ कहना है?

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हर मामले में राजनैतिक मोड़ नहीं देना चाहिए और जब अतिक्रमण हटाया जाता है, तो उसमें भी राजनैतिक बात लाई जाती है। यह सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पूरे प्रदेश में इनक्रोचमेंट फैला हुआ है, इसलिए इस शासन ने यह निर्णय लिया है कि सख्ती के साथ अतिक्रमण को सड़क के किनारे से हटाया जाय और उसी के तहत यह कार्यवाही की गयी है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें वह सहयोग दें और इसमें व्यवधान न डालें।

(घोर व्यवधान)

श्री हीमतयाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने नियमों के निलंबन के प्रस्ताव जो कानपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के हत्याकाण्ड के संबंध में था, माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा था, उन्होंने मुझे और माननीय नकली सिंह, माननीय सदस्य को नियम 56 के अंतर्गत उसकी ग्राह्यता को उठाने के लिए अनुमति दे दी थी । [1 बजकर 20 मिनट] मान्यवर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कानपुर नगर में कफ्यू लगा हुआ था। लोग अपने-अपने घरों में थे। पुलिस का दल आया और उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर सीधा निशाना लगाकर घरों में गोली चला दी जिससे कि निर्दोष, मजलूम और शांतिप्रिय अल्पसंख्यक लोगों की हत्या हो गयी । हमारे क्रांतिकारी मुख्य मंत्री ने स्वयं वहां जाकर निरीक्षण किया और हमारे क्रांतिकारी नेता विरोधी दल ने भी जाकर स्वयं निरीक्षण किया और उन्होंने इसे घनघोर हत्याकाण्ड मानकर उनके दुखद परिवारों को एक-एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया और हमारे नेता विरोधी दल ने 5-5 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। मान्यवर, यह घनघोर हत्याकाण्ड हुआ इसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माना । मगर खेद का विषय है कि इस घनघोर हत्याकाण्ड के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसने गोली चलाई, किस अधिकारी के आदेश से गोली चली और किन पुलिस कर्मियों ने गोली चलाई, गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी ? मान्यवर, इस सबकी कोई न्यायिक जांच नहीं हुई और न ही उन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई। इसका मतलब है कि आपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हत्या करने की एक कीमत निर्धारित कर दी है कि आप हत्या करायेंगे और एक-एक लाख रुपया देंगे। इसमें मेरी मांग है कि न्यायिक जांच कराई जाय और उन दोषी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय एवं निर्दोष लोगों को जेलों से छोड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी, कुछ कहना है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपने तो सुन ही लिया है।

श्री उपाध्यक्ष–

ये नियम 311 में लाये थे, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि नियम 56 में लेकर आपकी बात सुन लेना। यह फैसला वह कर गये थे। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कानपुर की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। मान्यवर, यह तत्कालिक घटना नहीं है इसलिए नियम 56 में नहीं आयेगी। जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है तो ये अल्पसंख्यकों की चिन्ता न करें। 100 फीसदी अल्पसंख्यक हमारे साथ है और उनको हमारे ऊपर विश्वास है इसको राजनीतिक रंग न दिया जाय।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, आप लोग बैठें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है? संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप अपने सभी साथियों को सीटों पर बैठायें।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी कहा कि 100 फीसदी अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, मान्यवर, 2-3 लोग तो इधर बैठे हैं। इन्होंने गलत सूचना दी है, और सदन को गुमराह किया है (व्यवधान) मान्यवर, 100 प्रतिशत इनके साथ नहीं हो सकते। इनकी सूचना गलत हो सकती है। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार और सदन को गुमराह करने वाली नोटिस देता हूं। इन्होंने पूरे 100 प्रतिशत कहा है जबकि इम्तियाज जी और मुईद अहमद यहां बैठे हैं। मान्यवर, 100 फीसदी नहीं हो सकते हैं, गलत सूचना दी है। सदन में गलत सूचना के लिए मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

(व्यवधान के मध्य) मा0 तिवारी जी जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब इनकी सरकार थी तो मेरठ में, मलियाना में अल्पसंख्यकों को चौराहे पर मार-मार कर नदी में बहा दिया गया, वह क्या था

(घोर व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह ली, बैठिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

अब यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठ बैठिए । मैंने सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया था कि आज अपके पास अंतिम दिन है, थोड़ा समय है, इसलिए नोक-झोंक में सारा समय बर्बाद न करें । बजट में आपको महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं, उसे चलने दीजिए । नियम 56 पर मैं निर्णय दे रहा हूं, ध्यान से सुनें । पहला, थाना सिकन्दरा, आगरा से संबंधित विषय को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं, दूसरा श्री तिवारी जी की नगर महापालिका से संबंधित सूचना के संबंध में सरकार वक्तव्य दे । तीसरी डा0 दिनेश जौहरी, श्री कल्यान सिंह की सूचना पर सरकार वक्तव्य दे, शेष सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, हार्टिको निगम अधिकारियों की निजी स्वार्थपरता के कारण बन्द होने की कगार पर है । वहां के कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं दिया गया है । डेढ़ करोड़ रुपए की मशीनें खरीद ली गयी हैं, निजी स्वार्थ के कारण । मान्यवर, मार्च में मा0 मुख्य मंत्री जी ने 30 लाख रुपया कर्मचारियों का वेतन देने के लिए दिया था, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया गया । शासन से मांग है कि हार्टिको के भुखमरी के कगार पर पहुंचे कर्मचारियों को वेतन दिलाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कमला साहनी जी को महिला होने के कारण समय दे दिया था, लेकिन अब और किसी को समय नहीं दिया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जैसे कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारी कल्याण निगम बना है, उसी तरह से किसान कल्याण निगम बनाएं और वह यह सुनिश्चित करे कि जो गल्ला किसान पैदा करता है, पूरे वर्ष उसकी खरीद करने के लिए स्थायी व्यवस्था उस निगम के जरिए से की जाय । दूसरे इस निगम के जरिए से सारी उपभोक्ता सामग्री जो कृषि में लगती है और किसान रोजाना इस्तेमाल करता है, इसकी व्यवस्था गांव से लेकर ऊपर तक के केन्द्रों पर की जाय ।

मान्यवर, यह माना जाता है, सरकार भी मानती है और इस सदन के सभी सदस्य सहमत हैं कि बुन्देलखण्ड, इस प्रदेश का पूर्वी इलाका, इस प्रदेश का पहाड़ी इलाका यह सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके हैं । लेकिन बजट देखने के बाद एक बात कहना चाहता हूं कि करीब-करीब आधे से ज्यादा आबादी, आधे से ज्यादा क्षेत्रफल, इन तीनों क्षेत्रों में आते

नोट –[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 21 जून, 1990 की कार्यवाही से ।

है, बजट देखने से लगता है कि इनके विकास की जो बातें की जाती हैं जो वास्तविक धन आवंटित होना चाहिए था वह आवंटित नहीं है ।

मैं बुन्देलखण्ड की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि सिंचाई के मामले में यह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, इसे सभी लोग जानते हैं । सिंचाई के लिये बुन्देलखण्ड इलाके के लिये, कोई प्रभावकारी व्यवस्था नहीं की गयी है इस बजट में जितनी नदियां हैं बुन्देलखण्ड में इन नदियों का पानी इस पूरे बुन्देलखण्ड के लिये रोका जाय, लिफ्ट कैनाल के जरिये सिंचाई की व्यवस्था की जाय । बुन्देलखण्ड में सिंचाई का पानी देने के लिये पक्के बांध, तालाब बनाये जायं ताकि जो पानी बह जाता है वह एकत्र किया जा सके और उससे जलस्तर भी ऊंचा होगा । राजकीय ट्यूबवेल बड़े पैमाने पर बुन्देलखण्ड में लगने चाहिये । बुन्देलखण्ड में कृषि योग्य भूमि आधे से ज्यादा है, सिंचाई के अभाव में वहां कुछ नहीं हो पाता है राजकीय ट्यूबवेल बड़े पैमाने पर वहां पर लगाये जायं । खेद है कि वहां के लिये इतनी बातें कहने के बाद भी बुन्देलखण्ड के लिये कोई उचित प्राविधान नहीं किया गया है । यह बात कही जाती है कि यहां के बांदा, हमीरपुर आदि इलाके डाकूग्रस्त इलाके हैं । यह क्यों है? यहां गरीबी है पिछड़ापन है विकास नहीं हुआ है सड़कें नहीं है और जब यह सब नहीं होगा, तब समस्यायें होंगी । इस समस्या के निराकरण के लिये क्या खाली पुलिस व्यवस्था काफी होगी, डी0आई0जी0 बदला जाय, आई0 जी0 बदला जाय यह काफी नहीं है। वहां विकास होना चाहिये, बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण होना चाहिये । गरीबों के विकास के लिये बहुत कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के लिये चलाये जाने चाहिये जिसका इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है । वहां कर्वी काफी दूरी पर है, समस्यायें भी ज्यादा है वहां बराबर मांग की जा रही है कि कर्वी को जिला बनाया जाय ।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी यह मांग है कर्वी को जिला बनाया जाय, जिससे कि उस क्षेत्र की समस्यायें दूर हो सकें और शासनतंत्र प्रभावी हो सके। बेरोजगारी की बात कही गयी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है । नेशनल फ्रन्ट के घोषणा-पत्र में "युवा" हैडिंग देकर यह कहा गया था कि रोजगार के लिये विशेष योजनायें चलायी जायेंगी । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस चुनावी घोषणा-पत्र का बजट बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया गया । अपना प्रदेश बड़ा है इस प्रदेश की समस्यायें बड़ी हैं । हम लोगों के अनुमान से एक करोड़ युवा शक्ति शिक्षित और अशिक्षित इस प्रदेश में बेरोजगार है। इतनी बड़ी समस्या के निराकरण के लिये इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रदेश में, इन्जीनियर, जूनियर इन्जीनियर, डाक्टर बेकार घूम रहे हैं । बी0ए0, एम0 ए0, बी0 टी0 सी0, एल0 टी0 आदि तमाम लोग बेकार हैं । लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है । जबकि पी0डब्ल्0डी0, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों में जगहें खाली हैं, बरसों-बरसों उन पर नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ।

मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द कम से कम जूनियर इन्जीनियर, इन्जीनियर और डाक्टरों के लिये नियुक्ति का कार्य करेगी । जो सबसे बड़ी समस्या मितव्ययिता की कही जाती है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि चुनावी घोषणा-पत्र में एक बात कही गयी रिस्पांसिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यह बात मान्यवर, जनता

दल के लोग मानते हैं बड़े-बड़े नेता मानते हैं जनता दल के कि जो भी प्रशासनतंत्र इस देश में था यह अंग्रेजों की देन है, प्रशासन को चुस्त करने के लिए कहा गया कि उत्तर-दायी प्रशासन के रूप में कार्य चलना चाहिये । यह बात इस घोषणा-पत्र में कही गयी, लेकिन हो क्या रहा है, पूरा का पूरा शासन तंत्र आज आई0ए0एस0 अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है । वह जो चाहते हैं, वही होता है । माननीय मंत्री कोई आदेश करते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन सचिव स्तर पर नहीं होता, उनकी ओर से एतराज लगा दिया जाता है और महीने-दो महीने, तीन महीने उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती । मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर वाकई में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस सड़े गले शासन तंत्र को बदलिये । जो आई0ए0एस0 अधिकारी हैं, उनको हर चीज का एक्सपर्ट मान लिया गया है, चाहे विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे उद्योग हो, इस चीज को आप खत्म करिये और उनके ऊपर अपनी आत्म निर्भरता को भी खत्म करिये ।

आज अपने प्रदेश में लोग बसों की छतों पर बैठकर यात्रा करते हैं, वह भी टूटी हुयी बसों पर और दूसरी तरफ विद्युत परिषद् में चार-चार एयर कन्डीशन कारें हैं, जिनमें से तीन मंत्रियों के लिये तथा एक चेयरमैन के लिये हैं, इसी तरह एयर कन्डीशन्ड कारें अन्य निगमों के पास भी है । मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार मितव्ययिता की बात करती है तो इन एयर कन्डीशन्ड कारों को चलाने नहीं दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार सरकारी कारों का मिसयूज हो रहा है, जितने भी अंग्रेजी स्कूल हैं, उनके बाहर आई0ए0एस0 अधिकारियों की तमाम कारें खड़ी रहती हैं, उनके लड़कों को लाने और ले जाने के लिये । मैं इस बात को बल देकर कहूंगा कि कारों का तथा अन्य सरकारी वाहनों का प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिये ही किया जाना चाहिये और व्यक्तिगत कामों के लिये होने वाले इनके प्रयोग को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये, तभी सही रूप में व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी ।

एक बात बिजली के बारे में कहना चाहूंगा, आज बिजली का बहुत बड़ा संकट है और यह सरकार भी इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से ले रही है, लेकिन केवल विद्युत परिषद् के बटवारे से इस समस्या का समाधान नहीं होगा । इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो वहां के स्थाई काम हैं, उसमें ठेकेदारी प्रथा को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाय तथा पुरानी विद्युत परियोजनायें जो अनकम्पलीट हैं, उनको पूरा कराया जाय तथा नई विद्युत परियोजनायें चालू की जायें और विद्युत की चोरी, जिसे लाइन लास के रूप में कहा जाता है, उसके चोरों को पकड़ा जाय और यह चोरी पकड़ने का काम विद्युत परिषद् के जरिये नहीं हो पायेगा, इसके लिये अतिरिक्त पुलिस बल गठित किया जाय।

इसी प्रकार जो इस सरकार का घोषणा-पत्र है, उसमें श्रमिकों की भागीदारी की बात कही गयी थी । (कई सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ पर आकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपा करके अध्यक्ष पीठ पर न आयें, यह उचित नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है । सम्मानित दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी सूची भेज दी है, उसमें जैसा विवेक होगा, उसी के हिसाब से बुलवाया जायेगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, विद्युत परिषद् के बारे में एक और सुझाव है कि जो वहां ईमानदार अधिकारी हैं, उनको पुरस्कृत किया जाये और जो बेईमान अधिकारी हैं, उनको दण्डित किया जाय, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, इस बार वहां साढ़े चार सौ ट्रांसफर्स किये गये हैं, जो अपने में एक रिकार्ड है और वहां पर जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनको हटाया गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बाराबंकी में श्री डी0 एल0 जैन, अधिशासी अभियन्ता थे, जिनके काम से किसी को शिकायत नहीं थी, उनको मात्र 10 महीने में हटा दिया गया और उनकी जगह उन्नाव के एक अधिकारी को तैनात कर दिया गया, जिसके ऊपर विभाग की इन्क्वायरी चल रही है तथा अन्य चोरी के मामले भी पेंडिंग हैं।

अगली बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर 10 हजार छोटे-बड़े कारखाने बन्द पड़े हैं, उनमें इसलीगल लाक आउट है, जिससे हजारों मजदूर प्रभावित हैं, लेकिन इस सबके बारे में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यह मान लिया जाता है कि श्रमिक गड़बड़ करते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है, अगर आपको लोगों को रोजगार देना है तो नये कारखाने खोलने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

(श्री चन्द्रशेखर सिंह का नाम बोलने के लिये पुकारे जाने पर)

श्री-जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, कल माननीय अधिष्ठाता जी ने कहा था कि रामचन्द्र बक्श सिंह के बाद ओझा जी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, कल तय हुआ था, लेकिन अब चन्द्रशेखर सिंह को बुला लिया है, उसके बाद जब फिर आपके दल का नम्बर आयेगा, तो आप बोलियेगा।

(बीच में अन्य माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा यह बताने का काम नहीं है कि मैं बताऊं कि आप लोगों के नाम आये या नहीं। यह अध्यक्ष पीठ का विवेक है कि हम किसको बुलवायें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसलिए नहीं कि यह जनता दल ने बजट पेश किया है, इसलिए नहीं कि यह मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने पेश किया है, बल्कि इसलिए खड़ा हुआ हूं कि यह बजट आदर्शों और कुछ श्रधाओं से प्रेरित होकर इस सदन में पेश किया गया है। इसका नारा है "चलो गांव की ओर" सभी पक्षों के लोगों ने इस बजट के कुछ हिस्सों को स्वीकारा है। मैंने कल अपने मित्र श्री कल्याण सिंह जी की बातों को सुना। उनके पूरे भाषण में इस बजट को 4-6 बार निकम्मा कहा गया। मैं उन्हें कोई जवाब देना नहीं चाहता हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसी दास जी का एक दोहा कहना चाहता हूं "जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन्ह तैसी।" माननीय उपाध्यक्ष जी, अन्धे को अन्धा ही दिखाई पड़ता है, काने को काना ही दिखाई देता है और लंगड़े को लंगड़ा ही दिखाई पड़ता है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जा रहे हैं, उन्हें बुलाकर तब अपनी बात कहूं तभी तो तारीफ होगी ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

उप नेता विरोधी दल तो मौजूद हैं । वह तारीफ करना भी चाहते हैं । मैं इस बजट को आपदधर्म का बजट कहूंगा । 40 साल व 42 साल में 36 साल कांग्रेस का राज्य रहा है । उसने जो पाप की आधारशिला रखी है, उस पाप की आधारशिला को हटाने के लिए नई प्रेरणा व नये हिन्दुस्तान की पुनर्स्थापना का काम इस बजट में किया गया है, इसलिए मैंने इस बजट को आपदधर्म का बजट कहा है । इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चुंगी प्रथा को समाप्त किया गया है । एक तरह से यह बजट निग्रोसिव टाइप का टैक्सेसन था, दकियानूसी वसूलों पर खड़ा हुआ कर सिद्धान्त है । यह चुंगी कर । इसमें भ्रष्टाचार का आकलन करना मुश्किल था । इसके ऊपर प्रहार कर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसलिए नहीं कि 12 कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया गया है, बल्कि इसलिए कि उन घरों में जहां आज तक सरस्वती ने प्रवेश नहीं किया है, उन घरों में सरस्वती का प्रवेश व उसकी रोशनी फेकने का जो काम किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । जब आप मोटर में जाते हैं और शाम को जब उससे रास्ते में रोशनी पड़ती है तो गांव की ओर जो सड़कें जा रही होती हैं तो उनके किनारे शौच के लिए आई हुई महिलाओं को खड़ा होना पड़ता है । उनकी बेवसी व तकलीफ को इस बजट में समझा गया है, इसलिए 2 लाख निजी शौचालय खोलने की व्यवस्था इस बजट में की गई है ताकि औरतों की दुर्दशा खत्म हो सके । इसी तरह से 10 हजार रु0 तक के कर्जे की माफी, 10 जून से 15 जुलाई तक सिंचाई की निःशुल्क व्यवस्था, सिविल सेवाओं में अंग्रेजी की समाप्ति और हिन्दी का चयन करके मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने का काम किया है । अगर एक शब्द में कहूं तो जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह बेजुबानों की वाणी है और शक्तिहीनों की शक्ति है ।

हमारे मित्रों में से किसी ने कहा ताश के 52 पत्ते हैं, किसी ने कहा नेहरू की नीतियों पर चलने वाला बजट नहीं है, किसी ने निकम्मा कहा मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की दुर्दशा का मुख्य कारण जवाहरलाल नेहरू की नीतियां रही हैं । जो नीतियां और सिद्धान्त चले, एक तरफ पंचशील था दूसरी तरफ रचना का मन्दिर बना रहे थे, उसमें पंचशील भी बह गया और भाखड़ा नांगल भी बह गया । एक यूरोपियन कल्चर आयी हिन्दुस्तान में जिसने कि हिन्दुस्तानी सभ्यता पर कुठाराघात किया। मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी का यह बजट ''चलो गांव की ओर'' है । यह गांधी जी की नीतियों का अनुसरण करता है, धोती और गांव का अनुसरण करता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

बस एक मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

इस बजट पर अन्तिम दिन है, बहुत से लोगों को बोलना है, अब आप समाप्त करें।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

भाषा के बारे में यहां पर बड़ी चर्चायें हुईं । उसके बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आज हिन्दी और मातृभाषा का चयन पहले ही हो गया होता अगर श्री जवाहर लाल नेहरू ने तलवार न थमाई होती और उस तलवार से स्वतंत्र पार्टी ने भारत माता की जीभ न काटी होती । भारत माता तब से गूंगी थी । माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मातृभाषा को फिर से प्रतिष्ठित करके भारत माता को जुबान दी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, अब कुछ भी लिखा नहीं जायगा ।

श्री चन्द्रशंखर सिंह (वाराणसी)–

क्यों नहीं लिखा जायगा, मैंने जो बोला है उसमें असंसदीय क्या है, मैं तो संसदीय दायरे में कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि जो आप समय से ऊपर बोल रहे हैं इसलिये नहीं लिखा जायगा । अब आप बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । एक शब्द में कहा जाय तो यह राजनीतिक धोखाधड़ी का बजट है ।

(व्यवधान)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

ये कटौती का प्रस्ताव कहां से आ गया?

श्री प्रमोद कुमार–

उप नेता, विरोधी दल ने जो बोला है, उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह राजनीतिक धोखाधड़ी का बजट है, जैसे 52 पत्ते ताश के होते हैं, वैसे ही यह बजट है । इसमें हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश की है, मन की सफाई नहीं है। उन्होंने जो कहा है कि कर में राहत दी गयी है तो वह तो है ही नहीं, 15 प्रतिशत सरचार्ज सेल्सटैक्स पर बढ़ाकर इन्होंने जो काम किया है, उसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है इन्होंने चुंगी हटाई है, चुंगी लगती है भार के अनुसार और सेल्स टैक्स लगता है मूल्य के अनुसार । इससे चीजों के दाम बढ़ेंगे, छोटे-छोटे सामानों पर भी 15 प्रतिशत सरचार्ज अगर लगाया जायगा । एक तरफ कहते हैं कि कर रहित बजट है, दूसरी तरफ करों को बढ़ाया है । इसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है । अगर मैं स्पष्ट कहूं तो कुल मिलाकर 1071 करोड़ रुपये घाटे का बजट पेश किया गया है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस घाटे की पूर्ति कहां से की जायेगी, इसका उत्तर इन्होंने नहीं दिया है और इस तरह से माननीय, जनता के ऊपर करों की तलवार लटकती रहेगी । यह विचार गोष्ठियों के नाम पर चुनाव गोष्ठी करते हैं, तो यह किस प्रकार से मितव्ययिता करेंगे । मितव्ययिता यह कर नहीं सकते हैं, तो कर लगावेंगे जरूर।

माननीय, इन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के रास्ते से अलग हटना पड़ेगा। नेहरू ने भारत को जो गौरव और सम्मान दिलाया है, वह किसी से छिपा नहीं है । इस बजट में उन्हीं की नीतियों की झलक दिखाई पड़ती है । यह बजट कांग्रेस सरकार के बजट की नकल है । तिवारी जी ने जो बजट पिछले साल प्रस्तुत किया था, उसी में थोड़ी सी हेरा फेरी करके प्रस्तुत कर दिया है । हमारी सरकार ने पर्वतीय अंचल का विकास किया है, अगर आप में साहस हो तो आप बुन्देलखण्ड का विकास कर दिखायें ।

(व्यवधान)

*श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

माननीय, प्रमोद कुमार जी ने कहा है कि जो बजट रखा गया है, वह पिछले साल के बजट में हेरा फेरी करके रखा गया है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बजट का समर्थन कर रहे हैं?

*श्री प्रमोद कुमार–

बजट में जहां पर अपनी भौंड़ी अक्ल लगा दिया, वहीं पर वह खराब हो गया । माननीय, यह कहते हैं कि गांव की ओर बजट जा रहा है । आप मुझे बतायें कि जो गांव में किसान रहता है उसके लिये आपने क्या किया । हमने 60 प्रतिशत किया था और आपने उसे 51 प्रतिशत कर दिया । 9 प्रतिशत की कमी कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि डीजल किसान के काम आता है, क्या आपने उसके दामों में कमी किया, क्या आपने किसानों को विद्युतीकरण के लिये सब्सीडी दिया, क्या आपने उनके लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, जिससे गांव में रहने वाले किसान को सुविधा मिली हो ? गांवों में जो विद्यालय चलते हैं, उनको एड नहीं प्राप्त होती है । अगर आप गांव की ओर जाने का दावा करते हैं तो क्या जितने भी विद्यालय हैं, उनको मान्यता देंगे । आप यह कुछ नहीं कर पायेंगे । न डीजल का दाम कम होगा, न ट्रैक्टर का दाम कम होगा, न बेरोजगारी दूर होगी और नव जवानों को रोजगार मिलेगा । आप जवाहर रोजगार योजना को बन्द करने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम हमने दिया और आप उसी की नकल कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप समाप्त करें ।

श्री धर्मपाल–

आप मेरा समय इन्हें दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, मैं आपका ध्यान बजट भाषण के पृष्ठ 11 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि पत्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल बनाने के लिए सजग

*अंकित ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रहरी हैं और यह सरकार उनके हितों का ध्यान रखेंगी, लेकिन जो भावना कल यहां पर प्रकट की गयी है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार पत्रकारिता पर अंकुश लगाना चाहती है । यह देश और प्रदेश के लिए खतरे की निशानी है और पत्रकारिता पर सेंसर लगाने की कोशिश की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर पत्रकारिता पर अंकुश लगाया गया तो हम खामोश नहीं रहेंगे, हम विधान सभा के सामने, हर गली में और मुहल्ले में इसका विरोध करेंगे । इन्होंने 6 महीनों में जो बजट प्रस्तुत किया है, वह विकलांग बजट पैदा किया है, जिसके पैर नहीं हैं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री ओझा जी का नाम कल माननीय अधिष्ठाता जी संदर्भित कर गये थे ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल की कार्यवाही निकलवा कर दिखवा लें । माननीय अधिष्ठाता श्री उदल जी बैठे थे । वे मेरा नाम पुकार चुके थे । उसके बाद सदन स्थगित हो गया था। तो उसी नाम से चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं दिखवा लूंगा । अगर आपका नाम पुकार लिया था तो आपको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि प्रदेश की 13 करोड़ जनता की आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप यह बजट है, इसलिये समर्थन कर रहा हूं कि यह प्रदेश के विकास की मनोकामनाओं को अभिलक्षित करने वाला बजट है । मान्यवर, जो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए । 6 महीनें में कोई सरकार करिश्मा नहीं कर सकती है। प्रदेश की सारी समस्यायें दूर नहीं कर सकती है । लेकिन दो बातें सामने होनी चाहिए कि उसकी नीति क्या है और नीयत क्या है ? इस बजट को देखने के बाद स्पष्ट है कि जनता दल की सरकार और उसके मुख्य मंत्री की नीति भी स्पष्ट है और इसलिए कि इसकी नीतियां विकेन्द्रित समाज की स्थापना करके गांवों की ओर जाने का दिशा निर्देश देता है, डाक्टर लोहिया के और जय प्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने वाला बजट है । इसलिए इस सरकार की नीति स्पष्ट है । हमारी नीयत इसलिए साफ है क्योंकि हमने इस दिशा में चलने का निश्चय किया है। इस बजट का पन्ना-पन्ना इस बात का द्योतक है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो आस्था है हम उसी ओर चल रहे हैं । जनता दल ने अपने घोषणा-पत्र में जो बातें कहीं हैं उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं । कोई सरकार अपने घोषणा पत्र को 6 महीने में पूरा नहीं कर सकती है । कांग्रेस सरकार ने 40 साल में अपना घोषणा-पत्र पूरा नहीं किया । हमें अभी 6 महीनें ही हुये हैं । हमने 10 हजार की कर्जा माफी, वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा, कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क, प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण आदि जो कार्य हैं, क्या यह इस प्रदेश की गरीब जनता

को दिशा-निर्देश नहीं देता। मुझे यह कहते हुए तरस आता है माननीय कल्याण सिंह जी कह रहे थे, मैं भी गणित का विद्यार्थी और प्रवक्ता रहा हूं, मैंने भी हिसाब लगाया है हमारा यह बजट 51.3 प्रतिशत गांवों के लिए है । पता नहीं उन्होंने कौन सा हिसाब लगाया है ? मान्यवर, यह पहला बजट है जिसमें गांवों की ओर देखने की कोशिश की गई है । गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए हम चिराग तो वहां जलाने नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारी ऐसा करने की तमन्ना है, उनको देने का इरादा है। यही बजट बताता है। मैं नहीं कह सकता कि हम सभी लोगों को मकान बनाकर मुहैया कर देंगे लेकिन हमारी उनके लिए मकान बनाने का पक्का इरादा है । हमारे डिप्टी लीडर विरोध पक्ष के बोल रहे थे । क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि जय प्रकाश जैसे लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया, चौधरी चरण सिंह और मोरार जी देसाई को जेल की कोठरी में बन्द कर दिया था, उस समय मुन्ना जी का दर्शनशास्त्र कहां चला गया था । आपने व्यवस्था परिवर्तन में कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यवस्था को ठीक करने का आह्वान हमारे जनता दल ने किया है । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है, चलने की गति तेज नहीं हो सकती है लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है ।

निगम के मामले में मेरा एक सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी समाजवादी हैं । उनको समाजवाद में विश्वास है । निगमों को खत्म करने की बात कही गई है । जितने घाटे के निगम हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं निगमों में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी जगह पर जन-प्रतिनिधियों को बैठा दीजिए तो उनका घाटा पूरा हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका समय पूरा हुआ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

अंत में एक मिनट अपने पूर्वांचल के बारे में कहना चाहता हूं । पूर्वांचल के विकास के लिए विकास परिषद् बनाई जाय । पूर्वांचल के विकास के लिए जो पटेल आयोग की संस्तुतियां हैं या गेंदा सिंह कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उन सब को लागू किया जाय और पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन किया जाय । छोटी गंडक पर गोरखपुर देवरिया सीमा पर बालाबाबा का घाट पर देड़वा के पास पुल बनाया जाय । इन शब्दों के साथ जनता दल के इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

(कई सदस्यों के साथ बोलने के लिए खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें माननीय सत्य प्रकाश विकल को मैंने बुलाया है ।

श्रीमती कमला साहनी–

महिलाओं को भी समय दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद करता हूं

(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ दो पर यह कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात हमने की है उस परिवर्तन के लिए 6 महीने का समय मांगा था । वह समय बीत चुका है व्यवस्था परिवर्तन का आशय हमारी सरकार के दिमाग में क्या है ? यह पता नहीं परन्तु इस 52 पृष्ठ के 45 हजार शब्दों वाली पुस्तिका में व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात मुझे नहीं दिखाई । सामान्य आदमी जो बुद्धि-जीवी नहीं है राजनीतिज्ञ नहीं है । उसकी भाषा में 42 साल में जो कुछ गलतियां हुई वह ठीक है, वह बदले, यही परिवर्तन होगा । आज सड़क पर चलने वाला आम आदमी व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में क्या बात कर रहा है वह यह भी कि वही रफ्तार बेढंगी है जो पहले थी सो अब भी है। वही भ्रष्टाचार, वही लूट, वही लोगों को परेशान करने की प्रवृत्ति वही दफ्तर वही काम करने का ढंग आज भी चल रहा है । इस सरकार में और व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है । मान्यवर, नई सरकार के नये बजट में जनता बहुत उत्सुकताएं कुछ नयापन देखना चाहती है । परन्तु इसे निराशा ही हाथ लगी है । सबसे पहली बात जो एक अच्छी सरकार के लिए होनी चाहिए वह कानून व्यवस्था की होनी चाहिए । जो राज्य में 13 करोड़ जनता है वह शांति से रह सके और महिलायें सुरक्षित रहें यह चीज सबसे पहले होनी चाहिए लेकिन पिछले 3 महीनों में एक श्रृंखला अत्याचारों की हो रही है। सातों धरमपुर में धनराज को जिन्दा जला दिया गया फतेहपुर में सोमवती नाम की महिला को सामूहिक बलात्कार के बाद जिन्दा जला दिया गया, लमहटा में 21 लोगों की नाक पर नकेल डालकर नचाया गया और उनकी महिलाओं के साथ सामुहिक बलात्कार कर मारा गया । इसी प्रकार की उन्नाव की और इलाहाबाद में घटनायें हुई है जिससे चारों तरफ लोगों में भय व्याप्त हो गया है । आगरा की पनवारी की घटना और कल ही आगरा में आपने सुना होगा भगत सिंह द्वार पर दिन दहाड़े डेढ़ लाख रुपये लूट लिए गये । तो प्रदेश में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं है । लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे है । महिलायें अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है । महंगायी बढ़ रही है भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है केवल ट्रांसफर करने से निलंबन करने से नौकरी छीनने से भ्रष्टाचार नहीं रुकता है न सरकार का दबदबा रुकता है सरकार का तो एक प्रभाव एक दबदबा होता है जो चरित्र और इमानदारी की ऊंचाइयों से कायम होता है और लोग ठीक से काम करते है लेकिन वह आज कहीं नहीं है ।

चुंगी समाप्त करने की बात की गयी है वह भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में और मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन नगरपालिकाओं, नगरमहापालिकाओं और टाउन एरियाज की आमदनी किस प्रकार बढ़ेगी वह काम कैसे करेंगे इसका तत्काल कोई विकल्प नहीं किया गया है । दूसरी ओर सेल्स टैक्स का अधिभार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ़ सौ करोड़ का बोझ इस प्रदेश की जनता पर लाद दिया गया है ।

गांव की ओर चलो का नारा दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं गांव की ओर जाना चाहिए लेकिन किसानों का क्या फायदा होगा क्या सुविधा होगी इस पर बजट खामोश है । फसल बीमा की कोई बात नहीं कही गयी है । खाद और बिजली के दामों में कमी की कोई बात नहीं कही गयी है । शौचालयों की बात स्वागत योग्य है लेकिन उसकी सफाई और उसके लिए पानी की व्यवस्था की कोई बात नहीं बताई गयी है। शहरों का उदाहरण सामने है जहां शौचालय नरकालय बने हुए है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप का समय हो गया ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं अभी चार मिनट हुए हैं मुझे बोलते हुए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, श्री विकल जी को एक मिनट और बोल लेने दें । (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं । एक मा0 सदस्य सत्ता पक्ष से बोलेगा और एक मा0 सदस्य विपक्ष से बोलेगा, और इसी के अनुसार आप लोग खड़े हों । आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने-अपने दलों में तय कर लें और उसी के अनुसार नाम भेजें आप लोग बैठ जायं ।

श्रीमती कमला साहनी–

मुझे बोलने का समय दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं । श्री विकल जी को एक मिनट बोल लेने दें । आप लोग बैठ जायं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, थोड़ा आगरा की चर्चा करूंगा। मुख्य मंत्री जी 4 अप्रैल, 1990 को आगरा गये थे, वह शिलान्यास में नहीं बल्कि उद्घाटन करने में विश्वास करते हैं । घोषणा में उसकी पूर्ति में विश्वास करते हैं परन्तु उन्होंने 600 हैण्ड पम्प लगाने की घोषणा किया था लेकिन आज तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है । कृषि विश्वविद्यालय आगरा में स्थापना की घोषणा किया और कहा था कि उप प्रधान मंत्री, श्री देवी लाल से अनुमति ले लेंगे लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । बिजली की स्थिति बदतर है उस पर भी 20 एम0 वी0 एम0 का ट्रांसफार्मर फुंक जाने से और खराब हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री हरेन्द्र मलिक आप बोलें । (व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । मैंने श्री मलिक को बुला लिया है ।

***श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर आधारित बजट जो मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है पर बोलने का समय दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश और प्रदेश के समृद्धि का रास्ता गांव, खेत और खलिहान से होकर गुजरता है और इसी से प्रभावित होकर इस बजट में 51.3 प्रतिशत गांव के विकास के लिए धन रखा गया है । क्या कांग्रेस के लोग गांव की तरक्की देखना पसंद नहीं करेंगे । मेरा यह भी अनुरोध है कि सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई दे कि उन्होंने योजना आयोग से इस वित्तीय वर्ष में गतवर्ष के मुकाबले 13.9 प्रतिशत अधिक धन की स्वीकृति प्राप्त की और राष्ट्रीय विकास परिषद् में हमारे मुख्य मंत्री और योजना मंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए अधिक धन की मांग की । क्या कांग्रेस के लोग 36 लाख लोगों को 10 हजार रुपये के कर्जों की माफी से प्रसन्न नहीं हैं ।

मान्यवर, क्या कांग्रेस के लोग वृद्धावस्था पेंशन की 60 रुपया से 100 रुपया करने, विधवाओं की पेंशन को बढ़ाने, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को बढ़ाने तथा महिला शौचालयों का प्रस्ताव करने और कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क करने को वह प्रशंसनीय कदम नहीं मानते हैं । मान्यवर, क्या हमारे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाए गये कि प्रदेश के 15 हजार स्कूल भवनों के निर्माण की घोषणा की गई, रिक्शा चालकों की पहली बार उनके रिक्शा का मालिक बनाने की घोषणा की गई एवं निर्धन लोगों के रात्रि बिताने के लिए रैन बसेरा की घोषणा की गई। क्या यह सारे के सारे क्रान्तिकारी कदम नहीं हैं? मैं मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी सरकार थी और इस सरकार द्वारा गन्ना किसानों को 8 रुपया क्विंटल अधिक उपज का दाम देना, 16 जर्जर मिलों के स्थान पर नई चीनी मिलों की स्थापना करना, जिससे लगभग 27 लाख किसान परिवारों को लाभ पहुंचेगा, जैसे किसान हित के कदमों को यह विरोध पक्ष की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी । मेरे कांग्रेसी साथी यह भी बरदाश्त नहीं कर पाए कि किसानों से जो कृषि रक्षा रसायनों पर से सेवा शुल्क तथा अप्रासंगिक व्यय के नाम पर 10 प्रतिशत की लूट इस सरकार ने समाप्त की है । यह उन्हें बुरा लगा है । हमारी पूर्ववर्ती सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण में धांधली कर लाखों रुपये कमाया करती थी ।

आज खाद्य विभाग ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाये गये हैं, जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है । हम ब्लाक वितरण केन्द्र खोलेंगे । राशन कार्ड जारी करने के लिए जो लोग दफ्तरों के चक्कर लगाया करते थे, अब शासन द्वारा इस नीति का सरलीकरण कर दिया गया है तथा आप अपनी राशन की दुकान स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र है । यही नहीं यह सरकार जो गरीबों, किसानों और मजदूरों की सरकार है, लोहिया के सिद्धान्तों की सरकार है, वे आवश्यक वस्तु निगम के द्वारा गरीबों के घर तक, घर पर आवश्यक वस्तुए पहुंचाने के लिए 210 जनता स्टोर्स तथा 53 संचल वाहनों की व्यवस्था की है । आज प्रदेश के अंदर काम आदमी यह महसूस कर रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने गरीब किसानों और गरीब मजदूरों के दुख दर्द को समझा है । एक बात और कहूंगा,

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

कि कांग्रेसी सरकार के लोग जो शक्कर लाबी से सहायता प्राप्त करके चुनाव लड़ने का काम करते थे, जिनके पिछड़ ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग करने वाले तथा अपराध कर्मी लोग हैं, आज इस बजट के आने से और माननीय मुख्य मंत्री जी की सख्ती से भयभीत हैं । यह परेशान होकर न चाहते हुए भी अपने आकाओं के डर की वजह से इस बजट की आलोचना कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस सदन को प्रस्ताव कर धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र चौधरी अजीत सिंह, केन्द्रीय उद्योग मंत्री को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने शक्कर लाबी से ऊपर उठाकर चीनी मिल की स्थापना के लिए गन्ने की उपलब्धता की नीति बनाई, दूरी के आधार पर नहीं । क्या इससे लाखों किसानों को लाभ नहीं होगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुख्य मंत्री जी द्वारा ग्रामोन्मुखी बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया । मुझे बड़ी आशा थी कि मुख्य मंत्री जी किसान पुत्र और भूमि पुत्र होने के नाते उनके दुख दर्द की बड़ी जानकारी रखते हैं और उनके बजट में इसलिए उनके लाभ की बात होगी । किन्तु मुझे बड़ी निराशा हुई जब मैंने देखा जहां पर्व्वतीय अंचल के लिए 330 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, पूर्वांचल के लिए केवल 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है । इसी तरह सिंचाई जो किसान की आधार भूत समस्या है, उसके लिए कहीं भी बजट में लाभकारी योजनाएं बनाने का प्राविधान नहीं रखा गया है। दैवी आपदा के बारे में जहां तक चर्चा है, बाढ़ से बचाव के बारे में आई चर्चा नहीं है । जहां पर पूर्वांचल देश की बड़ी नदियों से घिरा हुआ है, बाढ़ से बचाव की कोई चर्चा नहीं है । इस बजट में पाले से हुई क्षति के लिए तो सहायता का प्राविधान है, किन्तु बाढ़ और सूख की क्षति के लिए कुछ नहीं है । मान्यवर, जहां तक चिकित्सा का सवाल है, हजारों लोग प्रत्येक वर्ष इन्सेफेलाइटिस से मर जाते हैं । मान्यवर, पीने के पानी की समस्या है. उस समस्या का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मृत्यु हो गयी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, उसमें इस तरह के डिवाइडर लगाये जायें ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें । शिक्षा की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है । घोर निराशा हुई इस बजट को देखकर कि यह जो ग्रामोन्मुखी बजट बनाया गया है उसमें गांवों के लिए प्राविधिक शिक्षा का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । ऐसी शिक्षा का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जो रोजगारपरक हो । नौजवानों की भावनाओं को उभार कर जनता दल के लोग सत्ता में आये । लेकिन नौजवानों के लिए ऐसे अवसर नहीं प्रदान किए गये हैं जिसमें उनको रोजगार के अवसर दिए गये हों । मैंने यह सोचा था कि इस बजट में कृषि के बारे में कम से कम किसानों के दुख-दर्द को समझेंगे । . .

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें । नये सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

*श्री राम तेज–

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आज तक इससे पूर्व कोई ऐसा बजट नहीं उपस्थित हुआ जिसमें गरीब किसानों के लिए अच्छी बातें की गयी हों । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा जनपद बहराइच जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है, उसमें मेरा अपना चुनाव क्षेत्र कैसरगंज है, जो बहुत पिछड़ा है । मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनपद बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में सड़कें बनवाई जायं और ऐसी व्यवस्था की जाये कि वहां की गरीबी दूर हो सके । पहली बार इस बजट में गरीबों और किसानों के बेटों की बात की गयी है । उनकी पढ़ाई की व्यवस्था इस बजट में की गयी है । हज यात्रियों के लिए 15 लाख रुपये देने की बात की गयी है । इसी के साथ-साथ इस बजट में यह व्यवस्था

[2 बजकर 20 मिनट]

की गयी है कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहें । इस बजट में यह भी कहा गया है कि हिन्दू-मुसलमान प्रेम से रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा । इस बजट के द्वारा आम आदमी को राहत देने की बात कही गई है । चुंगी खत्म करने की बात कही गई है यह सब प्रदेश की तरक्की के लिए नहीं है तो और क्या है । आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री मोबीन अहमद आजमी–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

बहुजन समाज पार्टी के एक भी माननीय सदस्य को मौका नहीं मिल रहा है, कृपया आजमी जी को बोलने दें । आप सब बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री मोबीन अहमद आजमी–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया इसके मैं आपका आभारी हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के लिए रोजना पांच मिनट का समय देने की कृपा करेंगे ।

एक माननीय सदस्य–

समय बरबाद हो रहा है ।

श्री मोबीन अहमद आजमी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है इसमें मैं उनकी भावना की कदर करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि गरीबी की रेखा को मिटा देंगे । (व्यवधान) लेकिन जिस तरह से बजट पेश किया है उससे गरीबों की गरीबी नहीं दूर हो सकती है । गरीब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूर देश से मिट सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने दस हजार के कर्जे किसानों के माफ करने के लिए कहा है । मैं सदन में उनसे पूछना चाहता हूं वह दस हजार रुपया किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो किसानों की परिभाषा क्या है ? जो जमीनों के मालिक हैं उसको किसान मानते हैं या जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनको किसान मानते हैं गरीब, मजलूम लोग जो दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं उनको इससे क्या फायदा हुआ । इन्होंने बड़े-बड़े जमींदारों को बढ़ावा दिया है। (व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज गरीब हरिजन जनता पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है । उनको देश से मिटा देना चाहते हैं । हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है वह नहीं होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

संत श्रीराम द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, इस सदन के विरोधी दल के उप नेता ने इस बजट को निराशावादी बताया है । यथास्थितिवादी बताया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । सारे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में गांव से लेकर खेत खलिहानों को क्रान्तिकारी बजट प्रदान किया गया है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं और बहुत ही मूलभूत बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश की बरबादी के लिए सबसे मूल बात भी पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियां । उन्होंने सत्ता और अर्थ के केन्द्रीयकरण की योजना बनायी तथा बड़े-बड़े कारखाने लगाकर देश को आगे बढ़ाने की योजना बनायी । मैं कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों के चलते हमारा देश आर्थिक बरबादी की ओर गया । मैं माननीय मुलायम सिंह जी को मुबारक देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने गांधावादी दर्शन के आधार पर गांव की ओर चलने का नारा बुलन्द किया है । उन्होंने हमारे गांव की समस्याओं को उजागर करके उनके समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि देश से अंग्रेज चले गये लेकिन अंग्रेजी के समर्थन, अंग्रेजों के गुलामवाद के समर्थन बहुत से देशद्रोही आज भी मौजूद हैं ।

मान्यवर, संविधान में व्यवस्था की गयी है, संविधान में लिखा है कि 15 साल के अंदर देश से अंग्रेजी खत्म हो जायगी और उसकी जगह हिन्दी स्थान ले लेगी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1965 में इस देश से अंग्रेजी खत्म हो जानी चाहिए थे । लेकिन दिल्ली की लोक सभा में भारत की लोक सभा में बलिराम भगत एक विधेयक लाये जिसमें यह व्यवस्था थी कि जब तक इस देश का कोई छोटे से छोटा प्रान्त अंग्रेजी में काम करेगा, सारे देश में अंग्रेजी चलती रहेगी । मैं मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अंग्रेजी हटाने का काम करके दिखा दिया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1990-91 के आय-व्ययक में उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायगा । उन्होंने अंग्रेजी को खत्म करके सारे कामकाज को हिन्दी में करने की व्यवस्था की है । हिन्दुस्तान में सम्भवत: इस प्रदेश में यह एक नयी पहल है। गांव की तरक्की और गांव के विकास के लिए बजट में जो प्राविधान किये गये हैं । मैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठिए ।

संत श्री राम द्विवेदी–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा बजट है जिसका सारे लोग समर्थन करेंगे ।

(श्री कृष्ण किंकर सिंह को पुकारा गया)।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान ।)

*श्री कृष्ण किंकर सिंह–

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी धरती पुत्र जरूर हैं, किसानों के हिमायती रहे हैं लेकिन पिछले 6 महीनों में मंहगाई बढ़ी है । ईंटों के दाम बढ़े हैं । सीमेंट के दाम बढ़े हैं और चीनी तथा मिट्टी के तेल की जो दुर्दशा है वह विधान सभा के सारे सदस्य जानते हैं । श्रीमन्, व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम लोग आये हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक अधिकारियों के मनोभावों में परिवर्तन नहीं लाया जायगा । आज के अधिकारी तानाशाह बने हुये हैं । कांग्रेस रेजीम में जो गलतियां की गयीं हैं उनको दोहराया गया तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है । मैं आपके माध्यम से पूर्वान्चल की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे पूर्वान्चल में किसानों की हालत बहुत खराब है । गरीब तड़प-तड़प कर मर रहे हैं उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने कोई व्यवस्था नहीं की है । जिन किसानों की जमीनें नदी से कट गयी हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से बिजली के संबंध में कहना चाहता हूं । बिजली की समस्या बड़ी ही विकट है । बिजली के लिए जो प्राविधान इस बजट में किया गया है वह बहुत कम है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

*श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के जो स्वप्न थे, उनको साकार किया है, इस बजट के द्वारा, चलो गांव की ओर कोई नया नारा नहीं है, बल्कि पूरे देश की आत्मा गांव में बसती है, यह गांधी जी का मानना था । शासन की नीति में और किसी भी तरह की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है । यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के द्वारा समय पर गन्ने की पेराई की गयी है और इसके साथ-साथ किसान का पैसा किसी भी तरह से बकाया नहीं रह गया है और सर्वाधिक मूल्य गन्ने का, गन्ने के किसानों को पूरे प्रदेश के इतिहास में मिला है, वरना वर्षों से हमेशा यह शोर मचा करता था कि किसानों का पैसा रुका है, लेकिन इस बार किसानों का पैसा नहीं रुका है । इस वर्ष में गेहूं की कीमत, धान की कीमत, तमाम फसलों की कीमत जो दी गयी है, वह सर्वाधिक है । जब तक किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक उससे देश के मजदूर का लाभ नहीं होगा । किसान मजदूर समृद्धशाली होने के साथ-साथ व्यापारी को, मजदूर को उसका निश्चित लाभ मिलेगा । ग्राम्य विकास में वर्ष 1990-91 में गरीबी उन्मूलन कार्य-क्रमों के अंतर्गत 147.28 करोड़ रु0 के संशोधन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें राज्य बजट का अंश 83.85 करोड़ रु0 होगा । जहां तक भाषा का संबंध है, हिन्दी को बढ़ावा देने का यह क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया है । इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम देश की मुख्य धारा से अलग न हट जायं, जो हमारे और प्रदेश हैं, उनकी भी भाषा के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ध्यान दिया है, दूसरे प्रदेशों की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी हमें सीखने का मौका दिया है ।

मान्यवर, जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुंगी को समाप्त किया है, वहीं पर जो टैक्स रिक्शा वालों से नगरपालिकाओं में लिया जाता है, उसे भी समाप्त कर दिया जाय । मान्यवर, मुझे यह सुझाव देना है कि प्रदेश के अन्दर हमारे पश्चिम में जो किसानों के कर्जे की माफी की बात कही गयी है और जो बिजली के बिल की बात कही गयी है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान दिया जाय। इस प्रदेश के जो भारतीय किसान यूनियन की मांग है, बिजली के बिलों की माफी की व किसानों के कर्जे की, उसको माफ कर दिया जाय ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, जो बजट इस सरकार ने पेश किया है . .

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पुराने सदस्य तो किसी ने किसी रूप में कार्यवाही में हिस्सा ले लेते हैं और नये सदस्य को मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैंने नये सदस्य को समय दिया है। आप लोग कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

***श्री अमर मणि–**

मान्यवर, मैंने पूरे बजट का अध्ययन कर लिया है। कई सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बजट की सराहना की और हमने भी देखा कि कई विषय सराहनीय हैं जैसे हिन्दी पर जोर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अच्छी बात है। मान्यवर, हिन्दी पर जोर देकर इन्होंने ऐतिहासिक दायित्व का निर्वाह किया है और आज इतिहास इस जगह पर है कि हिन्दी को लागू करना चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात जो इन्होंने शिक्षा में कही है कि इंटरमीडिएट तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देंगे, वह प्रशंसनीय है। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आपने बजट भाषण में यह बात कही है कि गांव की तरफ इस बजट को ले जा रहे हैं, जैसा अभी हमारे निर्दलीय विधायक ने कहा कि हर चीज की कीमत आसमान छू रही है जैसे सीमेन्ट है, छड़ है और जितनी आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं हैं उसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उस पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है इससे योजनाएं भी वह महंगाई से प्रभावित हैं और जो निर्माण कार्य के लिए पैसा मिलता है उससे ईंट तक नहीं मिल पा रही है और निर्माण कार्य में बाधा हो रही है। इसके अलावा मान्यवर, विद्युत कनेक्शन की न्यूनतम दर 190 रुपये थी लेकिन अभी जब मैं गांव के विद्युत कनेक्शन के लिए पैसा जमा करने गया तो 390 रुपये न्यूनतम कनेक्शन दर हो गया है यानि 200 रुपये बढ़ गया है।

मान्यवर, ये कहते हैं कि गांव की तरफ जा रहे हैं और वहां आधा किलो प्रति परिवार चीनी दी जाती है और शहरों में प्रति व्यक्ति आधा किलो चीनी दी जाती है। मान्यवर, यदि 20 सदस्यों का परिवार गांव में होता है तो उसे मात्र आधा किलो ही चीनी मिल पाती है जब कि शहरों में 20 सदस्यीय परिवार को 10 किलो चीनी मिल पाती है और बिजली शहरों को 24 घंटे प्राप्त होती है जब कि देहातों में मात्र 6 घंटे ही मिल पाती है तो इस तरह की विषमताएं शहर और गांव की हैं। यह बात गलत है कि यह बजट गांव की ओर ले जा रहा है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। मैं जहां से चुनकर आया हूं वह नेपाल के सरहद पर लगता है और ज्यों ही नेपाल में बरसात शुरू होती है हमारा क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाता है। बाढ़ से त्राहि त्राहि मच जाती है और उस पर इस बजट में एक पैसा भी नहीं दिया गया है जिससे जो तराई के लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो। मान्यवर, हमारे यहां इन्सेप्लाइटिस बीमारी से हजारों लोग मर जाते हैं। आज तक अब बरसात आ गयी है, वहां पर बरसात शुरू हो गयी है लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है जिससे इस महामारी से बचा जा सके। मान्यवर, इस बजट में पूर्वान्चल के विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया। 20 करोड़ रुपये में कोई विकास सम्भव नहीं है।

मान्यवर, रामगढ़ ताल परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं के लिए धन का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, गोरखपुर नेपाल का द्वार है जहां से पूरे विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां की दुर्दशा असहनीय है लेकिन इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है इसीलिए हम उसकी निन्दा करते हैं। (व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बजट भाषण में चाहता हूं कि गोरखपुर के विकास के लिए और मछलीपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान दें और धन की व्यवस्था करें।

श्री अमरपाल सिंह–

मान्यवर, इस बजट में जो कृषि के लिए कहा गया है, वह एक सराहनीय कार्य है, लेकिन मान्यवर, जो लोग किसान के परिवार से संबंधित यहां पर मौजूद हैं, वे सब जानते हैं कि जो सबसिडी किसान को दी जाती है, वह उस तक नहीं पहुंचती। इसके बीच में सरकारी मशीनरी और बिचौलिये भ्रष्टाचार से खा जाते हैं। मेरी मांग है कि किसान को जो सबसिडी का प्राविधान रखा गया है, वह उसको जिन्स की कीमत

के साथ से दी जाय ताकि उसको सीधा लाभ हो सके और बिचौलियों से उस अनुदान को बचाया जा सके। इसी के साथ-साथ गन्ने के बारे में कहना है कि किसान का गन्ना जो वाह्य केन्द्र पर तुलता है, उसमें बड़ी बेईमानी होती है। गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जो बेईमानी रोकने के लिए नियुक्त होते हैं, उनके सामने किसान 18 क्विंटल गन्ना लाता है तो 16 क्विंटल की पर्ची मिलती है। इसी तरह से सब लोग भ्रष्ट ढंग से पैसा बनाते हैं। इसको रोकने की सरकार से मांग करता हूं। मैं यह भी मांग करता हूं कि किसानों को भुगतान एकाउन्ट पेइंग चेक द्वारा किया जाय, इससे उतना ही भ्रष्टाचार रह जायगा, जिसमें किसान स्वयं शामिल हो जायगा, बाकी भ्रष्टाचार रुक ही जायगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि स्व0 चौधरी चरण सिंह के गृह जनपद को सड़क सुधार कार्यक्रम से वंचित रखा गया है, जबकि नेता विरोधी दल के जनपद नैनीताल को उस कार्यक्रम में रखा गया है . . (घोर व्यवधान) मैं मेरठ जनपद में मा0 हाईकोर्ट की खण्ड पीठ खोलने की मांग करता हूं अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम दंदेवा में काली नदी पर पुल की मांग करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री शिव कुमार बेरिया–

मा0 उपाध्यक्ष जी, आपने इस बजट की परिचर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया, आभारी हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हम नये सदस्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा को समय देना सम्भव नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नये सदस्यों को बुलवाऊं।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद जो लोग भी सत्ता में आए और आज जो लोग महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं चाहे महात्मा गांधी रहे हों, उनके नाम पर या पंडित नेहरू का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोगों ने 42 वर्षों में हमेशा गांव के साथ अन्याय किया, खेती के साथ अन्याय किया, गरीब आदमी के साथ अन्याय किया। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू ने या इससे पहले जो भी आजादी के नेता रहे हों . . उन्होंने कहा था चलो गांवों की ओर, गांवों की बेहतरी की ओर, गांवों की हठ-झोपड़ी की ओर। कांग्रेस ने अपने 42 वर्ष के शासनकाल में झोपड़ियों को उजाड़ दिया, महलों को सजा दिया। आज हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री मलायम सिंह यादव जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, 40-42 साल के बाद पहली बार ऐसा बजट यहां पर पेश किया गया है। जो इसमें व्यवस्थायें की गयी है उसके हिसाब से आज हम गांवों की ओर जा रहे हैं, किसानों की ओर जा रहे हैं, मजदूरों की ओर जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने पूरा प्रयास करके पहली बार दिल्ली से ज्यादा रुपया प्राप्त करने का प्रयास किया। माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो रुपया वहां से प्राप्त किया है वार्षिक योजना के लिए वह पहले

*वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के मुकाबले अधिक है। वार्षिक योजना के लिए 3383 करोड़ रु0 का परिव्यय स्वीकार किया गया है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि वे बजट पर निगाह डालें, 89-90 में यह परिव्यय 2970 करोड़ रु0 ही स्वीकार हुआ था इस तरह से यह 413 करोड़ रु0 अधिक है। यह जो 413 करोड़ ज्यादा प्राप्त हुआ यह पैसा प्रदेश के विकास पर, गांवों के विकास पर, खेती के विकास पर, असहाय लोगों के विकास पर हम खर्च करेंगे। आज हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है तथा वृद्धावस्था पेंशन की राशि 60 रु0 से बढ़ाकर 100 रु0 कर दी है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी बधाई के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जल्दी जल्दी बोलिये, समय कम है। बहुत से लोग बोलने को इच्छुक हैं।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट इस सरकार के द्वारा इस सदन में पेश किया गया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात कही गयी है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा और देश नहीं होगा जहां कि महिलायें शौच के लिए सड़कों के किनारे जाती हों। यह हिन्दुस्तान हमारा देश ऐसा है जहां कि महिलायें सड़कों के किनारे शौच के लिए जाती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय के लिए धन का प्रावधान किया है, इस बजट में उसका उल्लेख किया है। यह बजट गांवों के विकास की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। नये सदस्यों को प्रमुखता देनी है। समय बहुत कम है।

*श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, इस बजट में आधुनिक भारत के निर्माता पं0 जवाहर लाल नेहरू की नीतियों की उपेक्षा की गयी है। इस बजट में मितव्ययिता की बात कही गयी है जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी नेता सदन जनपद इटावा की इस अल्प समय में तमाम बार सरकारी वायुयान से यात्रा कर चुके हैं। एक ओर यह प्रक्रिया जारी है दूसरी ओर मितव्ययिता की बात कही जा रही है।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपस में बात न करें, टोका टाकी न करें।

---

*वक्ता ने भाषण की पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में विधान परिषद् चुनाव के समय चुनाव गोष्ठियों को विकास गोष्ठियों का रूप देकर तमाम धन का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। यही मितव्ययिता है। (शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

शांति बनाये रखें।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

पत्रकारों की सुविधा की बात कही गयी इस बजट में, मैं कहना चाहता हूं कि इटावा के पत्रकारों पर जुल्म हो रहे हैं, वे लोग धरना, प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति यह है कि लोगों के ऊपर पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। इटावा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति 15 दिन हो गये अभी तक नहीं हो पायी है। औरैया में जागरण के संवाददाता के साथ जो घटना हुई वह सबको पता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अभी बैठें। शांति बनाये रखें। माननीय रवीन्द्र सिंह जी समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

कानून व्यवस्था की हालत यह हो गयी है कि पूरी तरह से पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। 9 अप्रैल, 1990 को इटावा के सिविल लाइन स्थित थाने में मुख्यमंत्री के भाई ने वहां के थानाध्यक्ष शाह आलम को बुरी तरह से पीटा। 14 अप्रैल के नवभारत टाइम्स में इसका पूरा विवरण छपा है। किसानों का बजट इसे कहा जा रहा है। किसानों के लिए इसमें कोई घोषणा नहीं है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है। चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि आवश्यक वस्तुयें गरीबों को सस्ते दामों पर मुहैय्या कराने के लिए इसमें कुछ नहीं कहा गया है। चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से लगातार शोर के कारण व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में पेयजल की कितनी समस्या है, उसकी ओर इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया। आज पूरा इटावा जनपद मुख्यमंत्री के आतंक से त्रस्त है, वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। इसी तरह दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई काम नहीं किया गया।

(पुनः सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बराबर टोकते रहने से व्यवधान)

श्री गया प्रसाद वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए

वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, वह देहात और शहर दोनों के लिए है और प्रदेश की समस्त जनता के लिए अत्यन्त हितकारी है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। अभी रवीन्द्र चौहान इटावा जनपद के बारे में बोलकर बोलने लगे, इसलिये नहीं कि हम लोगों की कोई शत्रुता है, बल्कि इसलिए कि वहां पर निरीह लोगों को थानाध्यक्ष, सिविल लाइन मारपीट रहे थे, सड़क पर डंडे बरसा रहे थे, उसमें जन प्रतिनिधियों ने विरोध कर दिया, इससे इनको बुरा लग गया। पुलिस का जिस तरह वहां कार्य चल रहा है, उससे इनको लग रहा है कि इनका कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिये इनको गुस्सा छाया हुआ है। जनपद इटावा में ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो इन्होंने अपने भाषण में कही। इटावा जिले का वातावरण बहुत अच्छा है, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मुझको अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, उसको जब वह पढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था, जैसे वह अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हों और उनको खुद विश्वास न हो कि जितने वर्षों के लिए वह चुनकर आये हैं, उतने वर्ष यह सरकार चलेगी कि नहीं। ऐसा लग रहा था, जैसे कोई चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ रहे हों। मान्यवर, उनको धरती पुत्र कहा गया, मैं भी उनको धरती पुत्र मानता था, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह धरती से जुड़े हुए थे। जब वह इस तरफ बैठते थे तो गरीबों के हितों की बात करते थे और उनके हितों की रक्षा करने के लिए लड़ने का प्रयास करते थे, परन्तु जब से उनकी सरकार आई है, आप देखें, मैं एक-एक करके गिन-गिन के सुना रहा हूं। अगर आप में जरा भी नैतिकता होगी तो आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि उनकी सरकार आने के बाद सीमेन्ट के दाम बढ़े हैं, चीनी के दाम बढ़े हैं, लोहे के दाम बढ़े हैं, तेल के दाम बढ़े हैं, डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कड़वा तेल के दाम बढ़े हैं, यही नहीं ईंट व नमक के दाम बढ़ गये हैं। जिसे आप धरती पुत्र कहते थे, अब वह धरती पुत्र नहीं रह गये हैं, आज जब इस महंगाई में चीजों के दाम आकाश छू रहे हैं तो वह धरती पुत्र न रहकर आकाश पुत्र हो गये हैं, अब उन्हें आकाश पुत्र कहा जाय। वास्तव में मुख्य मंत्री होने के बाद उनके लिए यह उपमा सही लागू होती है, अब उनके लिए धरती पुत्र की उपमा लागू नहीं होती है। जहां एक बात शौचालय की जोर देकर कही गई ग्रामीण क्षेत्रों में, उस स्कीम का मैं आदर करता हूं, निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक देने की जो बात कही गई है, उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ रहा है इसके संबंध में, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो शौचालय आप बनाने जा रहे हैं, उस शौचालय पर जाने तक उनको जो उत्पीड़ित किया जाता है, उसकी ओर आपने कोई ध्यान दिया? आज सरकार की कथनी और करनी में अन्तर यहां तक पहुंच गई कि मुझे एक क्षेत्र के कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे उस स्थान से कम वोट मिले थे, मुझे लगा कि यहां पर अब लोग मेरे पक्ष में आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने मुझे माला पहनाया, उसके बाद वे सब के सब कान पकड़कर उठ-बैठ करने लगे। तो मैंने पूछा कि आप लोग यह कौन सा कार्यक्रम कर रहे हो तो उन्होंने कहा कान पकड़कर

कहा कि हमने यहां से जनता दल के आदमी को वोट देकर भारी गलती की, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। श्री उपाध्याय जी ऐसा कह कर जनता का अपमान कर रहे हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मितव्ययिता व नीतिकता की बात कही। यह केवल कोरे कागज पर है। अभी जब विधान परिषद् के लिए स्थानीय निकायों से चुनाव हो रहे थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी हेलीकाप्टर में विकास गोष्ठी के नाम पर चुनाव गोष्ठी कर रहे थे। यह इनकी मितव्ययिता है और नीतिकता है। कर्नेलगंज के विधायक श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला जो निर्दलीय विधायक हैं, उनसे जनता दल को समर्थन देने के लिए कहा गया। बाद में जब उन्होंने समर्थन देने से मना किया तो उनसे कहा गया कि कर्नेल गंज को हम लड़हर गंज बना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सरकार को बेनकाब करने के लिए इस सामान्य बजट की चर्चा में बोलने का अवसर दिया। समयाभाव के कारण मैं अपनी पूरी बात नहीं कह सका। फिर भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इस बजट के द्वारा "गांव की ओर चलो" की बात कही गयी है। जब गांव की ओर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है तो गांव की ओर चलें कैसे?

(श्री मुईद अहमद के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ सदस्य होकर बीच में खड़े हो जाते हैं, आप बैठें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने एक सवाल के उत्तर में जवाब दिया है कि 1500 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायगा। हिस्ब लगाकर देखें तो 1500 या उससे अधिक की आबादी वाले गांव उत्तर प्रदेश में 17,331 हैं और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ेंगे। यह सदन में जवाब दिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 95,235 गांव बिना सम्पर्क मार्ग के हैं क्योंकि प्रदेश में कुल 1,12,566 गांव हैं, इस तरह से 95,235 गांवों में लिंक मार्ग नहीं होंगे तो वहां पहुंचेंगे कैसे और सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट है कि 1500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ेंगे लिहाजा इस सरकार से गांव के लोगों नहीं रह गयी है।

(इस समय 3 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 98.9 प्रतिशत जमीन सिंचित हो गयी है । हमारा अनुभव है और पूरे सबूत मौजूद हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया है और यहां भी अवगत करा देना चाहता हूं कि नहरों की लम्बाई सिकुड़ रही है और वे मुहण्ड की तरफ जा रही हैं । सभी नहरें सिकुड़ गयी हैं ।

(माइक पर आवाज ठीक न आने के कारण श्री अध्यक्षता द्वारा श्री राम स्वरूप वर्मा से दूसरे माइक पर आने का अनुरोध किया गया)

मान्यवर, नहरों का हाल यह है कि सरकार लिख रही है कि हमने इतना सींच दिया है लेकिन नहरों के इंजीनियर रिपोर्ट दे रहे हैं कि आखिर तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है । उदाहरण के लिए लोअर गंगा नहर, भगनीपुर डिवीजन तृतीय खण्ड का उदाहरण दे रहा हूं जिसमें कमाण्ड एरिया में 1,63,700 एकड़ भूमि है जिसमें से; इस डवीजन के इग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिखा है अधीक्षण अभियन्ता को कि 27795 एकड़ भूमि के क्षेत्र कवे इस नहर से निकाल दिया जाय और ट्यूबवैल के अन्दर कर दिया जाय क्योंकि टेल पर पानी पहुंचाना टेढ़ी खीर है । अब न तो सरकार ट्यूबवैल लगा पाई और न सुझाव के मुताबिक उमराहट पम्प कैनाल योजना की क्षमता में ही वृद्धि की, इससे किसान पानी से महरूम रह गया और खेती सूखने लगी तो गांव की ओर जाकर क्या करें ?

मान्यवर, आप बिजली को ले लें। बिजली के बिना उद्योग धंधे पनप नहीं सकते हैं । बिजली में इनके हिसाब से 75,749 गांव प्रकाशित हो गए, लेकिन गांवों में में बिजली है नहीं, हरिजन बस्ती में तो है नहीं । बिजली नहीं है, तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे । बेकारों को काम कैसे मिलेगा ।

मान्यवर, हिन्दी आप चलाएंगे, मैंने भी हिन्दी चलाई थी और अंग्रेजी हटाई थी । 1967 में जब मैं वित्त मंत्री था, तब मैंने अंग्रेजी हटाई थी और आज तक उत्तर प्रदेश में वित्त विभाग में अंग्रेजी नहीं है और बहुत से लोग आए और अंग्रेजी हटाते रहे हैं । टाइपराइटर्स सारे प्रदेश में, सारे दफ्तरों में अंग्रेजी के हैं । जब तक अंग्रेजी के टाइपराइटर्स को मंगाकर नीलाम नहीं किया जायेगा, तब तक अंग्रेजी हटने वाली नहीं है । मुख्य मंत्री जी आदेश दें, और अंग्रेजी के टाइपराइटर्स को मंगा-कर नीलाम कर दें और जब अंग्रेजी के टाइपराइटर्स नहीं रहेंगे, तो लोग हिन्दी लिखेंगे । तो मान्यवर, अंग्रेजी हटाने का तरीका यह भी है । मैं कहना चाहता हूं कि चीन ने पढ़ाई रोककर जितनी उनके यहां पर विदेशी भाषायें थीं, उनके अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में कराया, क्योंकि चीन ने एक सर्वेक्षण कराया था उसका नतीजा यह था कि एक व्यक्ति जो ज्ञान 5 साल में हासिल करता है, वही ज्ञान 7 वर्ष में राष्ट्रीय भाषा के जरिए हासिल कर पाता है और विदेशी भाषा के जरिए 12 साल हासिल करने में लगते हैं, इसलिए विदेशी भाषा जानी चाहिए । इसलिए नहीं कि विदेशी भाषा खराब होती है, बल्कि इसलिए कि उससे ज्ञान में ज्यादा समय लगता है । विदेशी ज्ञात तो ज्ञान है, अपनी भाषा के जरिए मिलना चाहिए, तो मान्यवर, उसके लिए किताबें होनी चाहिए । हमारा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी आप अंग्रेजी की, रूसी

की, जापानी की और विभिन्न भाषाओं की जो ज्ञान की किताबें हैं, आप उनका अनुवाद करायें और छपवायें और पढ़ने के लिए बंटवायें, ताकि जो अंग्रेजी की आवश्यकता है, वह घटे ।

अब मान्यवर, शिक्षा नीति पर कहना चाहता हूं । शिक्षा नीति ऐसी है कि 11 करोड़ रुपए तो प्रौढ़ शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और प्रौढ़ शिक्षा का मतलब है, कहीं पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है । सरकार परमानेन्ट स्थाई प्रौढ़ शिक्षा रखेगी, अब तक सरकार की व्यवस्था है । कांग्रेस ने रखा और अब यह रख रहे हैं । प्रौढ़ शिक्षा पर जो यह खर्च कर रहे हैं, उसको बन्द कर दें और आप अनिवार्य शिक्षा को लागू करें । अनिवार्य शिक्षा लागू करने में दो तिहाई स्कूल हैं, वहां यह दी जायेगी ।

दो तिहाई बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और एक तिहाई अनपढ़ रह जाते हैं। मेरा सुझाव है कि यदि एक-तिहाई बच्चों को दो पाली में पढ़ा दिया जाय और साढ़े तीन, साढ़े तीन की दो पाली कर दी जायं और बीच में आधे घंटे की छुट्टी कर दी जाय जो उससे उन्हें लाभ होगा । 66 बच्चों में 33/33 की दो पाली कर दी जाय . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मेरे सुझावों की ओर यह सरकार ध्यान देगी तो शायद ये गांवों की ओर चले जायं । एक बात और कहना चाहता हूं मैं अय्याशी तो नहीं कहूंगा लेकिन विलासिता शब्द का इस्तेमाल करूंगा । विलासिता से शासन डूबता है तो उसका अनुसरण जनता भी करती है । जितने भी मंत्री हैं वे बंगले तो लिए हुए हैं लेकिन 2-2 फ्लैट भी उनके पास हैं और एयर कण्डीशन्ड कमरों में रह रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं। इस तरह से कैसे व्यवस्था में परिवर्तन होगा। इसको आप देखें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री जागेश्वर–**

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । साथ ही हमारे जनता दल ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे मुलायम सिंह जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसे कांग्रेस सरकार ने 42 साल की हुकूमत में कभी ऐसा बजट नहीं प्रस्तुत किया है । इसके लिए मैं माननीय वी0 पी0 सिंह, प्रधान मंत्री जी को भी बधाई देता हूं । जो कार्य इस देश में बड़े-बड़े राजे-महाराजे नहीं कर सके उसे हमारे जनता दल ने वी0 पी0 सिंह, प्रधान मंत्री ने 6 महीने में कर दिया है । उन्होंने हरिजनों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए बेसहारा लोगों के लिए काम किया है । हमारी कांग्रेस सरकार की हुकूमत में लम्बी-चौड़ी बातें होती रही हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया है । . . . (व्यवधान)

(माननीय सदस्य ने संस्कृत मिश्रित हिन्दी में भाषण दिया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ईश का आवास सारे जगह जीवन यह जो व्याप्त,
अतिआभ करके त्याग उसके नाम से तू भोगता जा तुझे प्राप्त है जो . .

धन की किसी की न कर तू वासना,
करते हो ये कर्म संसार में ।
शत वर्ष का जीवन हमारा ईष्ट हो
तुझ देह धारी के लिये पथ एक यहां
अतिरिक्त इसके दूसरा पथ है नहीं
होता नहीं लिप्त मानव कर्म से,
उससे चिटकती मानफल की वासना
करते हो कर्म संसार में ।

यं ब्रह्मा वरुणेद्र रुद्र मरुत: स्तुनवन्ति दिव्यस्तवे,
वेदे: सांगपद कर्मोपिनिषद, गायन्ती यंम सामगा:
ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, पश्यन्ति यम् योगिनो
यस्हान्तम न विदुर सुरासुरगण, देवाय तस्मे नम:
अर्जुन ने कहा-स्थित पृज्ञ धृत कहते किसे,

स्तुति बोलता, कैसे बोलता, कैसे बैठता,
दुख में जो अनुद्रण है, सुख में नितनिष्प है,
योग चिन्तन होने से होता उत्पन्न संग . . . (व्यवधान)

क्रोधात् भवति सम्मोहा: सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
स्मृति भिंषात बुद्धिनाश:, बुद्धिनाशाण् प्रणश्यति

राग द्वेश परित्यागी करे इंद्रियों की आरजू,
स्वाधीन वृत से पाते प्रसाद सौ, बुद्धि अभावन कहां सुख शांति,
मन जो दौड़ता पीछे इंद्रियों के बिहार में
खींचता जल की प्रज्ञा, निषा जो सरभूतों की संयमी जागते वहां,
नदी नदों से भरता हुआ भी समुद्र है जो इस तरह सो प्रतिष्ठ
क्यों काम सारे जिसमें समावे ।

मान्यवर, महात्मा गांधी द्वारा बताये गये रास्ते पर हमारी सरकार चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री जागेश्वर–

माननीय मुलायम सिंह जी ने जो गांव की ओर चलो वाला बजट प्रस्तुत किया है इससे गांवों की तरक्की होगी जो अभी तक 40 सालों में नहीं हुई है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, इस बजट का मैं विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात की आशंका थी जब यह बजट आने वाला था

उससे पूर्व यह आशंका थी कि जिस तरह से चुनावों में फर्जी घोषणायें की गयी, फर्जी बातें कही गयी, थोथी बातें कही गयी वहीं आशंकायें बजट में भी होगी इस की मुझे इस बजट में आशंका थी । यह बजट गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में नहीं हो सकता है । इसमें जो 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत बिक्री कर लगाया गया है इससे चुंगी देने वाले लोगों कुछ रहत जरूर पहुंचाई गयी है । मगर आम जनता को चाहे वह किसान हो या मजदूर या शहर में रहने वाला व्यक्ति हो चाहे वह सर्विस वाला हो यह मजदूर उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है । इस बजट से मंहगाई और बढ़ेगी इनके शासन में आने के बाद 6 महीनों में सीमेंट 60 रु0 बोरी से 100 रुपये बोरी हो गया ईंट 400 रुपया हजार से 7 सौ रुपया और 8 सौ रुपया हो गया है। लोहा 11 सौ रुपया क्विंटल बिक रहा है जो हमारे समय में 6 सौ 7 सौ रुपया प्रति क्विंटल था । इसी तरह से चीनी, नमक, सब्जी दाल आदि हर चीज के दाम बढ़ गये हैं और बजट से बिक्री कर बढ़ जाने से जो 15 प्रतिशत हो गया है और महंगाई होगी । जनता आने वाले समय में महंगाई से त्राहि-त्राहि करेगी ।

यह विकास का ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं चलो गांव की ओर । गांव के लिये 50 परसेन्ट से अधिक खर्च करने की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार ने गांव के विकास के लिये कार्य किया लेकिन यह सत्य है कि वह ढिंढोरा नहीं पीटती थी और बजट का 60 से 70 परसेंट खर्च करते हुये थी और गांव में जो कार्य हुये हैं उनका ढिंढोरा नहीं पीटती थी ।

(व्यवधान यह झूठ है की आवाज आने पर)

श्री धर्मपाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह झूठ शब्द असंसदीय है इसे निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मुईद अहमद–

तो कांग्रेस वालों से इतनी गलती जरूर हुई कि वह ढिंढोरा नहीं पीटे । हम विकास करते थे लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते थे । आप जनता को भ्रम में डाल कर ढिंढोरा पीट कर सत्ता में आ गये हो लेकिन जनता 6 महीने में सबक सिखा देगी इतना आप समझ लीजिये । (व्यवधान) आप अपने क्षेत्र में जाने लायक नहीं रह जायेंगे । मैं जानता हूं कि यहां हमने लेखानुदान पास कर 6 महीने पहले आपको पैसा निकालने का अधिकार दिया लेकिन उसके बाद एक भी काम आज तक नहीं हुआ गांवों में कोई सड़क नहीं बनी, कोई खड़ंजे का काम नहीं हुआ और न कहीं पर मिट्टी डालने का काम हुआ । बल्कि सुल्तानपुर और अमेठी में जो काम चल रहे थे उनको दूषित भावना के कारण बन्द कर दिया गया । [3 बजकर 20 मिनट] और एक भी पैसा बजट में नहीं दिया गया है ।

मान्यवर, ऋण माफी के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बैंक बड़ी असमंजस की स्थिति में है । गांव का किसान ऋण को पैसा, इनके लुभावने नारे के कारण, बैंक में जमा नही कर रहे हैं जिससे किसानों को आगे पैसा ऋण के रूप में मिल नहीं रहा है और बैंक में जमा न होने के कारण किसानों को पुनः ऋण नहीं दे रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) लड़कियों की शिक्षा कक्षा 12 तक पहले ही माफ थी और लड़कों की भी कक्षा 12 तक आगे माफ की जाती लेकिन उसको आपने कर दिया जो अच्छी बात है । (व्यवधान)

कानून के नाम पर जाने माने अपराधी मुख्य मंत्री का संरक्षण पाये हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जांय । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुईद अहमद–

(व्यवधान के मध्य) प्रधान मंत्री लड़की का नाम सुनकर रो पड़ते हैं । इन शब्दों के साथ रखे गये बजट का मैं विरोध करता हूं ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने नेता सदन द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया ।

मान्यवर, अभी उपाध्यक्ष महोदय पीठ पर बैठे थे तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी नजरों में यहां महिला सदस्यों का कोई स्थान नहीं है जो बड़े दुख की बात है । मान्यवर, इधर या उधर महिला सदस्या बहुत कम चुनकर आयी हैं इसलिये जिनकी इच्छा है उनको आप अपने विचार प्रकट करने का मौका देना चाहिए।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी के इस 1990-91 के बजट का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं । वह इसलिये कि महिला सदस्या होने के नाते मैं प्रदेश भर की महिलाओं की ओर से इस बजट का स्वागत करने के लिये खड़ी हूं और बलिया जनपद की तरफ से इस बात के लिये जो महिला शौचालय का इस बजट में प्राविधान किया गया है वह सराहनीय काम है चूंकि हम महिला सदस्यायें क्षेत्र में जाती थीं तो वहां से वापस लौटते समय शाम को सड़कों के किनारे जो नजारा देखने को मिलता था उससे तबियत बड़ी खिन्न हो जाती थी और आखों में आंसू भर आते थे उनकी स्थिति को देखकर । माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है, कल भी यह बात आई थी–शौचालयों में पानी देने की कमी नहीं पड़ेगी। शौचालय इस तरह के बनेगें, उसमें अनुदान की राशि जो 80 परसेंट दी गई है, जो निर्बल वर्ग के हैं, तो पानी की कमी उनमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हैण्ड पम्प चारोओर लगे हुए हैं । मान्यवर, मैं इस बात के लिए भी सराहना करूंगी कि जितना भी महिलाओं के लिए हो सका है, मुख्य मंत्री जी ने उतनी उनकी सहायता दी है और उनको उत्साह दिया है, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की बात हो। इनके बजट में प्रस्ताव है कि जिन विकास खण्डों में शासकीय या अशासकीय कन्या हाइस्कूल नहीं हैं, वह उनमें खोले जाएंगे, इस बात का इनके बजट में प्राविधान किया गया है ।

मैं अपने जनपद का उल्लेख इस सन्दर्भ में करना चाहती हूं । बलिया जनपद में, जब से आजादी मिली है, केवल एक जिला केन्द्र पर बालिका विद्यालय है । चाहे जिसका शासन रहा हो इसकी और आजादी के बाद से किसी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । जबकि देश और प्रदेश के अन्दर उनकी आधी संख्या है, तथा शिक्षण का आंकड़ा

उनका 40 या 60 के करीब है । तो इस बात के लिए भी सराहना करना चाहती हूं कि जो भी काम हुए हैं ग्रामीण अंचलों के लिए हुए हैं । मेरा ध्यान उस ओर गया है, जैसे भूमि सेना के गठन की बात है, उससे गरीबों की बेरोजगारी भी दूर होगी और उनको राजी भी मिलेगी । साथ ही जो गांव में कुंवें और तालाब हैं उनमें भी काम कराया जाएगा । ऊसर, बंजर और बीहड़ की जो खेती योग्य भूमि बनाई जाएगी, उसमें ग्रामीण रोजगारों को प्रोत्साहन के साथ रोटी भी प्राप्त होगी । मैं यह कहना चाहती हूं कि 15 हजार जो स्कूल भवनों के निर्माण का इसमें प्रस्ताव रखा गया है, यह काफी सराहनीय कदम है । क्योंकि ऐसे भी स्कूल हैं, जो बरसात के दिनों में बच्चों को छुट्टी दे देते थे । मैं इस बात के लिए भी सराहना करूंगी कि हरिजनों को जितना भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है, उसे इस सरकार ने दिया है-चाहे बिजली हो, पेयजल हो या उद्योग हो या और कोई क्षेत्र हो । हर जगह पर हमारी सरकार ने हरिजनों के लिए पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है । उनको पहली बार पहले नम्बर पर रखकर उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं । मैं चुंगी के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगी । पहले यह व्यवस्था बद से बदतर थी, क्योंकि जो बाहर से आदमी आते थे, उन्हें वहां बड़ी दिक्कतों और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था और आए दिन वहां पर हंगामे होते रहते थे । उसमें वाहनों के पट्रोल और डीजल का नुकसान होता था और समय का भी नुकसान होता था । सरकार ने उसको भी दूर कर दिया है । इसके साथ ही चुंगी से जो आदमी निकाले जायेंगे, वह भी अलग नहीं किये जायेंगे, उनको स्थानीय निकाय में ही अन्य जगह पर काम दे दिया जाएगा । इसके साथ मैं मुख्य मंत्री जी के बजट की सराहना करती हूं और उसका समर्थन भी करती हूं।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करती हूं:–

"वक्त की बात है कुछ कह नहीं सकते गालिब
कल के तरसे हुए बुत आज खुदा बन बैठे।।"

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने "चलो गांव की ओर" का नारा देते हुए जो बजट रखा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता को सब्जबाग दिखलाये हैं, चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास किया है और गलत बयानी करके कर्जमाफी की बात कह कर, गरीबों के उत्थान की बात कह कर, महिलाओं को शौचालय देने के भुलावे की बात कह कर तमाम जनता को गुमराह किया है । आपने कहा कि 38 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया । हमने तो मोतियों की माला गूंथी है । चाहें आप उसे तोड़ दें, चाहे उसे जनता को पहनायें, उसमें मैं क्या कर सकती हूं । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि स्व0 चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि "यदि देश को बचाना है तो नेहरूवादी नीति के स्थान पर गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा।"

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है क्योंकि 85 प्रतिशत जनता गांव में रहती है । हमारे नेता स्व0 जवाहर लाल नेहरू जी ने गांव के विकास की तरफ ध्यान दिया था । गांव के विकास के लिए उन्होंने गांव में विकास खण्डों की स्थापना की । यह विकास खण्ड उन्हीं की देन हैं जिसके द्वारा गांव में विकास करने का उन्होंने काम किया । अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने गांव में जवाहर योजना दी जिसके तहत 60 प्रतिशत धनराशि गांव के विकास के लिए दी । परन्तु हमारी इस जनकल्याण विरोधी सरकार ने सिर्फ 51.3

प्रतिशत गांव के विकास के लिए धनराशि देने की बात कही है । लेकिन यह 51.3 प्रतिशत की राशि उन्होंने किस विकास कार्य के लिए दी है, इसका बजट में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल जनता को गुमराह करने की बात कही गयी । कांग्रेस सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के लिए, उनके उत्थान के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया, उनको आगे बढ़ाया । लेकिन आज की सरकार केवल गरीबों को कर्जे के माफी के नाम पर गुमराह कर रही है । इस बजट में कहा गया कि 10 हजार तक कर्जे की माफी हो जायेगी लेकिन आज देखने में आता है कि यह ब्यूह की रचना की गयी है और उस ब्यूह में जनता को फंसाया गया है ।

मान्यवर, मैं सिद्धार्थनगर की बात कहती हूं । वहां के विकास के लिए अलग से कोई योजना होनी चाहिए क्योंकि न वहां उद्योग हैं, न सड़कें हैं और न कोई विकास लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को अलग से कुछ करना चाहिए । मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहती हूं कि यह नया जिला बना तो हम लोगों ने सोचा कि गरीब लोगों को, महिलाओं को कुछ नौकरी में जगह मिलेगी, कुछ काम मिलेगा लेकिन वहां के अधिकारियों ने बाहर के लोगों को लेकर वहां भर दिया। जो वहां के लोग थे उनको मौका नहीं मिला। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करती हूं और इच्छा प्रकट करती हूं, आशा प्रकट करती हूं कि उत्तर प्रदेश के इस जनपद के लिए, हमारे नये जनपद के लिए कुछ किया जाये ।

*श्री हर नारायण सिंह (पीलीभीत)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है यह क्रान्तिकारी बजट है । गरीबी को दूर करने वाला बजट है । किसानों मजदूरों को राहत देने वाला बजट है । इसकी सराहना सदन के विरोधी नेताओं ने भी की है । भा0ज0पा0 सदस्यों ने भी इसको सराहनीय कहा है और मैं भी इसकी सराहना करता हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देते हुए यह दुआ करता हूं कि बार-बार इसी तरह से अच्छा बजट पेश करें । यह गांव को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने क्या विकास किया था? आपके शासनकाल में किसानों की हालत वैसी की वैसी ही रहीं और यह लोग किसानों को दुहाई दिया करते हैं । ग्रामों के उत्थान के लिए जो पैसा आपकी सरकार ने दिया वह सारा का सारा पैसा प्रधान की जेब में चला गया । आपके शासनकाल में महिलाओं की हालत वैसी की वैसी रही, बच्चों की हालत वैसी की वैसी रही । (व्यवधान) इसीलिए आपकी सरकार फेल हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री हर नारायण सिंह (पीलीभीत)–

मान्यवर, एक बात और कह दूं । मान्यवर, इस देश में हमारे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह खर्चे में कटौती करें । जो अधिकारी हैं उनके जो हवाई जहाज के दौरे हैं उनको बन्द किया जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हर नारायण सिंह (पीलीभीत)–

तो मान्यवर, इन अधिकारियों की यात्रा में कटौती की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं ।

(दो मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री रमापति शास्त्री–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह बजट ग्रामोन्मुखी है इसमें जो गांव के विकास की बात कही गई है मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी गांव की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी गांव में रास्ते से, सड़क से नहीं हेलीकाप्टर से जाना चाहते हैं । गांवों को जाने के लिये पहले गांव की तरफ सड़क देनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी गांवों की तरफ जाने के लिये व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन गांवों की ओर जाने के लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं बनायी गयी है । मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी को जो सुविधा प्राप्त है उसी के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं । मान्यवर, मैं जिस जनपद से आता हूं वह गोंडा जनपद है । माननीय मुख्य मंत्री जी अभी विधान परिषद् के चुनाव में गोंडा जनपद में गये थे और वहां चारों तरफ देखा है । गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है और गोंडा जिला जहां से मैं चुनकर आता हूं उसकी तहसील तरबगंज सबसे पिछड़ी तहसील है । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तरबगंज के किसानों की जो समस्यायें हैं उनको लेकर वहां के किसान मुख्य मंत्री जी से मिले थे और आपने कहा था कि किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये सारी व्यवस्था की जायगी ।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गोंडा के किसानों की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण जल्दी किया जाय । गोंडा जनपद में एक नवाबगंज शुगर फैक्ट्री है । मैं इस फैक्ट्री की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, 4 करोड़ रुपया किसानों का इस मिल पर बकाया है । यह रुपया मिल के अधिग्रहण के पहले का है । मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों की दुहाई देने वाली सरकार, किसानों के पक्ष में बातें करने वाली सरकार तुरन्त किसानों के बकाये का भुगतान सरकार करे ।

डा0 शमी (शमीम) अहमद खां–

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को इस क्रांतिकारी बजट को पेश करने के लिए अपनी दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं । मैं पूरे सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि सन् 47 के बाद पहली मर्तबा ऐसा बजट इस प्रदेश में पेश किया गया है । बजट तो इसके पहले भी पेश किये जाते रहे हैं लेकिन सन् 1947 से लेकर अब तक किसी मुख्य मंत्री अथवा वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया है जिस ईमानदारी जिस सच्चाई के साथ यह बजट पेश किया गया है इसके पहले ऐसा बजट पेश नहीं किया गया है । मुझे उम्मीद है कि उसी ईमान-

दारी और सच्चाई के साथ इसको लागू किया जायगा और उत्तर प्रदेश उन्नति करेगा । मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि जनाब राजीव गांधी, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही दूरदर्शन के जरिये यह बात कही थी कि योजनायें बनती हैं, योजनाओं पर पैसा दिया जाता है लेकिन उन्होंने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर यह तस्लीम किया था कि योजनायें बनती हैं लेकिन उन पर खर्च होने वाले के पैसे का 70 फीसदी भाग लोगों की जेब में चला जाता है और 30 फीसदी भाग ही योजनाओं पर खर्च होता है ।

तो यह कांग्रेस के लोग जानें कि वह 70 फीसदी पैसा किन लोगों की जेब में गया है ? मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज अकलियतों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये हरिजनों के लियो मुख्य मंत्री जी के दिल में जो दर्द है वह इसके पहले किसी मुख्य मंत्री के दिल में नहीं हुआ है । आज उर्दू जो दूसरी जूबान है उसके लिये बजट में जो बातें रखी गयीं हैं वह सराहनीय है । हिन्दी को हम अपना राष्ट्र भाषा मानते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यहां के लोगों को बाहर के मुल्कों में रोजगार मिले तो मेरा सुझाव है कि उर्दू के साथ-साथ अरबी भी पढ़ाई जाय क्योंकि आज खाड़ी के देशों में बहुत से लोगों को नौकरियां मिलती हैं ।

(इस समय 3 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

हम विदेशी मुद्रा दिला सकते हैं, हम फारेन मुद्रा लाकर अपने प्रदेश की तरक्की भी कर सकते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि गांव के विकास के लिए यह जरूरी है कि कैपटयु पावर प्लांट इस प्रदेश में भी लगाये जायं, जिस तरह से कर्नाटक, हरियाणा में लगा कर वहां पर उन्नति हो रही है । उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी विकास के लिए जरूरी है कि निजी और कोआपरेटिव सेक्टर में बड़े शहरों में कैपटयु पावर प्लांट लगाये जायं, जिससे बिजली की कमी दूर हो सके और जो हजारे देहात के लोग शहरों में रोजी कमाने आते हैं और झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए भी विकास कार्य होना चाहिए । मैं अपने मुख्य मंत्री जी को हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रिक्शा वालों के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि वे रिक्शा मालिक हो जायं । मान्यवर, विधवाओं और वृद्धों की पेन्शन के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है, वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी का एक क्रांतिकारी कदम है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती सरस्वती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में भाग लने का अवसर दिया । मान्यवर, इस बजट से स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है । सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व व सत्ता में आने के बाद दावा किया था कि हम मंहगाई को कम करेंगे लेकिन कार्य इनका इसके विपरीत है । जो घाटे का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है उससे किसी भी स्थिति में कीमतों में कमी नहीं आने वाली है और जब से बजट प्रस्तुत हुआ है चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे

है । जनता को राहत पहुंचाने का जो इनका दावा था, वह झूंठ साबित हुआ है । हमारे नवयुवकों को रोजगार देने की इसमें कहीं कोई योजना नहीं है । हमारे पढ़े-लिखे नौजवान जिनकी वह दिन रात दुहाई देते हैं, व सब इस बजट से निराश हुये हैं । सरकार ने नयी नियुक्तियों पर पाबंदी लगाई है । हमारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यान्वयन प्रायः स्थगित ही है । प्रदेश में निर्माण के सारे कार्य रुके हुए हैं। आज से 6 माह पूर्व जो सड़कों का निर्माण का काम आप देखते थे, वह सब बंद पड़ा है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए बजट की राशि पिछले वर्षों से अधिक है, लेकिन अगर अनुपातिक दृष्टि से देखा जाय, तो गत वर्षों में जितनी धनराशि में एक काम होता था, उससे डेढ़ गुना अधिक खर्च आज उस कार्य में आ रहा है, तो इस तरह से वह पैसा उस अनुपात से कम है। पर्वतीय क्षेत्र भीषण जल संकट से ग्रसित है, उसके समाधान के लिये कोई कार्य नहीं हो रहा है । लोगों को मीलों से पानी लाना पड़ता है । यही कारण है कि वहां आज अलगाववाद की भावना पनप रही है, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है ।

पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों और अध्यापकों के पद लम्बे अर्से से रिक्त पड़े हुए हैं । उनको भरने के लिये कोई कारगर उपाय सरकार द्वारा नहीं किया गया है । मैंने अल्मोड़ा में 200 बिस्तरों के अस्पताल के साथ एक मेडिकल कालेज खोलने की बहुत समय से मांग की थी, लेकिन उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के लिये 51.3% प्रतिशत बजट खर्च करने की बात कही है, यह अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे होगा, उसका कोई दिशानिर्देश इसमें नहीं बताया गया है । इससे जहां पैसे की बरबादी होगी, वहीं शहरी क्षेत्र पिछड़ जायेंगे, क्योंकि इनकी रीति-नीति तय करने में ही समय लग जायेगा । यह सरकार सरकारी कर्मचारियों का भी मनोबल गिरा रही है, जो ईमानदार और कर्मठ कर्मचारी हैं, और इनके राजनैतिक दबाव में नहीं आते हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । श्रीमन् पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन एक आवागमन का साधन है लेकिन नई बसों के लिए कोई बजट नहीं रखा गया है और न मरम्मत के लिए कोई बजट रखा गया है और रोड़ों का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम गावों को मुख्य मार्ग से जोड़ेंगे पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम बाधक है और इस बजट में इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गयी है कि कैसे इस वन संरक्षण अधिनियम को हटाकर ये सम्पर्क मार्गों को बनायेंगे । इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में इन सम्पर्क मार्गों का बनना बहुत कठिन है जब तक वन संरक्षण अधिनियम में शिथिलीकरण नहीं किया जायेगा । श्रीमन्, आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया ।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जिनको लोगों ने धरती पुत्र की संज्ञा दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक बजट रखा है । को बनाना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात अपने बजट में कही है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अगर पूरे प्रदेश के बजट को देखा जाय, तो केवल 20 करोड़ रुपये आवंटित किया है जबकि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 330 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है । अभी मुख्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे गोरखपुर में मैंने उनका ध्यान वहां की औद्योगिक नीति की तरफ आकर्षित किया था । गोरखपुर में गीडा और जौनपुर में सरथिया दोनों को बजट में दर्शाया गया है जो कांग्रेस के समय में भी दर्शाया गया था । जनता दल के शासन में आने के बाद भी उन्होंने दर्शाया है लेकिन उसके निर्माण के लिए उसके विकास के लिए जो रुपये की व्यवस्था की जायेगी उसका बजट में 50 लाख रुपये छोड़कर कहीं भी व्यवस्था नहीं की गयी है । 50 लाख रुपये से दोनों स्थानों में तो जमीन की खरीद भी नहीं की जा सकती है विकास करने की बात तो दूर रही । अध्यक्ष महोदय पूरी स्थिति अगर देखी जाय तो जहां चुंगी की व्यवस्था को प्रदेश की सरकार ने खत्म किया है वहीं बिक्रीकर में सरचार्ज के रूप में 25 प्रतिशत बढ़ाया है और अधिभार के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर कर एक भार और लाद दिया है । निश्चित रूप से यह 25 प्रतिशत व्यापारियों को अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी जेब से देना पड़ेगा और यह बिचौलिये के रूप में लेकर व्यापारी सरकार को देंगे । इससे महंगाई की मार किसानों पर और आम जनता पर पड़ेगी।

मान्यवर, जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में यह साफ-साफ कहा था कि रोजगार देंगे या रोजगार की गारन्टी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे लेकिन आज जब श्रम मंत्री एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही मैं इसकी घोषणा कर सकता हूं कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जायेगा । इतना ही नहीं जब हमने मांग किया कि अगर भत्ता नहीं दे सकते हैं तो जो बेरोजगार नौकरी के लिए जाते हैं जिनको विभाग द्वारा समन किया जाता है तो कम से कम उनको किराया दे दिया जाय तो किराये की बात भी उत्तर प्रदेश सरकार साफ साफ नकार गयी और श्रम मंत्री जी ने कहा कि यह बात सरकार जानेगी जब कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वांचल का विकास बिना पूर्वांचल परिषद् बनाये नहीं किया जा सकता है । बिना पूर्वांचल परिषद् को गठित किये माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वांचल के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । मैं यह मांग करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह अपने बजट में पूर्वांचल परिषद् के गठन को स्वीकार करें ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो सके ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब समय समाप्त हो रहा है । किसको बुला दूं, आप बतावें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, नवम्बर में चुनाव हुए । राष्ट्रीय मोर्चे की देश और प्रदेश में सरकार बनी । चुनाव के पहले इस सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था । मा0 मुख्य मंत्री जी को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ इस बजट के लिये बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा-पत्र के अनुरूप "गांव की ओर चलो" या कहा जाय "समाजवाद की ओर चलो" नारे के साथ बजट को प्रस्तुत किया है । आप देखें कि कल कुछ मा0 वरिष्ठ सदस्यों ने मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट को निकम्मा और गांव की ओर न चलने वाला कहा । इस समय मेरे पास आंकड़े हैं । मैं श्वेत पत्र जारी कर रहा हूं । इसकी बात झूठी हो तो मैं सदन छोड़कर जाने के लिये तैयार हूं । इस बजट के 51.3 प्रतिशत को छोड़ दें, इस सरकार ने आठवीं योजना के लिये और भी कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, वे अगर स्वीकृत हो गये तो गांव के लिये यह बजट 65 परसेंट हो जायगा। इस बजट में कृषि एवं सम्बर्गीय कार्यक्रम के लिए 373.35 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । ग्राम्य विकास के लिये 254.94 करोड़ की, क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के लिये 20.16 करोड़ लघु सिंचाई के लिये 159.85 करोड़ समादेश विकास क्षेत्र के लिये 12 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 82.40 करोड़, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के लिए 3.35 करोड़ ग्रामीण एवं लघु उद्योग के लिये 42.99 करोड़ ग्रामीण सड़क के लिये 151.80 करोड़, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिये 81.50 करोड़, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिये 106.42 करोड़, ग्रामीण आवास के लिये 26.50 करोड़, प्रारम्भिक शिक्षा के लिये और प्रौढ़ शिक्षा के लिये 106.87 करोड़, पुष्टाहार के लिये 7.80 करोड़, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये 0.74 करोड़ और वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये 304.05 करोड़ की व्यवस्था की गयी है । इन सबका कुल मिलाकर योग 1734.73 करोड़ होता है जो पूरे बजट 3383.05 करोड़ का 51.3 परसेंट है । इस प्रकार मा0 मुख्य मंत्री ने अपने वादे के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवंटित किया है । इसके साथ-साथ इस बजट को कल बिना विचार किये निकम्मा भी कहा गया ।

श्री अध्यक्ष–

इधर देख कर बोलें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जहां तक मेरे संज्ञान में है कि किसी भी बजट को किसी भी मा0 सदस्य ने कभी भी निकम्मा नहीं कहा । पता नहीं क्यों कल ऐसे विद्वान एवं वरिष्ठ मा0 सदस्य ने बजट को निकम्मा घोषित किया, जबकि पूरा बजट राष्ट्रीय मोर्चे की घोषणा पत्र के वायदे के अनुरूप है इसमें 51.3 परसेंट तो ग्रामीण क्षेत्र के लिये हैं, इसके अलावा चुंगी हटाई गयी । ये कहते हैं कि अधिभार बढ़ा दिया । तो चुंगी हटाने से सब्जी वाले, घास वाले दूध वाले फल वाले लोगों को फायदा हुआ । इन सभी निर्बल और कमजोर को चुंगी देनी पड़ती थी किन्तु इन वस्तुओं पर बिक्री कर नहीं लगता था इस लिए इनको फायदा होगा लेकिन अब बिक्रीकर पूंजीपतियों और व्यापारियों पर लगेगा, जिसे कुछ लोग अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं । इसीलिये पार्टी के वर्गीय हित के अनुसार बजट को

निकम्मा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं । यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं । यहां बेरोजगारी भत्ता देने को कह रहे हैं । अभी केवल पहले साल का ही बजट पेश किया गया है । काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिये दस्तावेज तैयार हो रहा है । बेरोजगारी भत्ता को मौलिक अधिकार में देने की योजना आठवीं योजना में बनाई जा रही है । अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है । यह बजट निकम्मा नहीं है, बल्कि लोग सहयोग करें और स्वयं निकम्मे न हो जायं तो यह बजट परिवर्तनकारी और समाजवादी है । समाजवादी है, ग्रामीणों के, गरीबों के, गरीबों के हित में यह बजट है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस परिवर्तनकारी बजट का पुरजोर शब्दों में स्वागत करता हूं । इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । आशा करता हूं कि आने वाले वर्ष में और भी क्रान्तिकारी और गरीबों को उठाने वाला बजट पेश किया जायेगा । धन्यवाद ।

(मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव) के खड़े होने पर सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं, इस सदन के माननीय नेताओं और सम्मानित सदस्यों का आभारी हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने विशेष रुचि लेकर के 1990-91 के बजट पर बहस जारी रखी । उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं । जिससे इस प्रदेश के विकास को, विकास की गति बढ़ाने के लिये तेजी से विकास हो, इसके लिये हमें सहयोग मिलेगा । मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष, महोदय, विरोधी दल के नेता माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का दायित्व उप नेता माननीय अरूण कुमार सिंह जी ने निभाने की कोशिश की थी । लेकिन, नौजवान हैं, पहला मौका था उन्होंने प्रयास किया इसके लिये मैं बधाई देता हूं । लेकिन, मान्यवर, माननीय तिवारी जी पढ़कर आते थे । अगर माननीय उप नेता जी इस बजट को पूरी तरह से बढ़कर आये होते तो आरोप नहीं लगा सकते और गलत आरोप । आलोचना करते सुझाव देते तो उस पर मैं भी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करता । न उन्होंने कोई ऐसे सुझाव रखे हैं जिससे हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें । उन्होंने कहा कि हमने नेहरू जी की आलोचना की है । मैं कोई घमंड के साथ नहीं आदर के साथ कहना चाहता हूं और आपसे ज्यादा मैं नेहरू जी समझता हूं और जानता हूं नेहरू जी के व्यक्तित्व पर मैंने कहीं भी आक्षेप नहीं किया है । नेहरू जी की नीतियों की मैंने आलोचना की है । नेहरू जी की नीतियों की आलोचना आज से नहीं की है डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में भी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में भी की है । उन्हीं नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए आज हम इधर बैठे हैं । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

जहां तक नेहरू जी का आजादी की लड़ाई में योगदान का प्रश्न है, उनका योगदान शानदार रहा, त्याग और तपस्या की भावना उनमें थी, इसका मैंने कभी विरोध नहीं किया है । हम यह मानते हैं कि पंडित नेहरू इस देश को ऊंचा उठना चाहते थे, देश को मालदार बनाना चाहते थे, विश्व का सबसे खुशहाल देश बनाना चाहते थे, लेकिन उनको गांव का अनुभव नहीं था । और, इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनी उसमें गांव की उपेक्षा की गयी और बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया । पूंजी ज्यादा लगी, रोजगार कम मिले, उसका नतीजा भयानक रूप लिया बेरोजगारी ने,

हम गरीब हो गए, पिछड़ गए । जो विश्व के 180 देश हैं, उनमें से 2-3 को छोड़कर इन सबमें हमारा देश सबसे पिछड़ा है और हिन्दुस्तान में जितने सूबे हैं, उनमें से एक को छोड़कर हमारा प्रदेश सबसे गरीब और पिछड़ा है, यह क्यों है, केवल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण । जहां तक आपके पैमाने की बात है, वह अलग है, इस प्रदेश में 40 से 50 सैकड़ा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिनको दोनों बार भरपेट रोटी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप पांच सितारा होटलों से विकास मापते हैं, तो आपको धन्यवाद । अगर इससे मापते हैं कि जापान की तरह हमारे देश में भी कारें बनी हैं, तो भी आपको धन्यवाद ।

आज सवाल इस बात का है कि आज हमारे देश में जापान की तरह कारें तो बनी हैं, लेकिन उनके खरीदार कितने लोग हैं? बढ़िया-बढ़िया मोटरें और बसें बन रही हैं, लेकिन उनके लेने वाले नहीं हैं। तो अगर आप पश्चिमी विकास के मानक से यहां के विकास को मापेंगे, तो फिर इस देश का कुछ और हो जायेगा, इसलिए हमने सोचा है, इस जनता दल की सरकार ने सोचा है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सोचा है । आज बाजारों में विलासिता की चीजों की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों के लिए उत्पादन की कमी है और जहां तक अपने उत्तराधिकारी का सवाल बताया है, पंडित नेहरू का, वह 1947 के बाद की बात है, तब गांधी जी ने पत्र में लिखा, मैं उसको ढूंढ़ता रहा, लेकिन वह मिला नहीं, परन्तु उनका भाषण जरूर मिल गया है। गांधी जी ने लिखा था कि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं और इसीलिए वह नोआखाली चले गए थे और उपवास किया था । जहां तक गांधी जी की नीतियों से निकट का सवाल है, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, डा0 लोहिया के मैं निकट रहा और उन्हीं की नीतियों के आधार पर यह बजट है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय नेता सदन, मुख्यमंत्री जी, नीतियों का मुल्याकन अपनी-अपनी पृष्ठभूमि, अपने-अपने ढंग से देखा जाता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आज मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । उद्योगों के बारे में मैं विरोध में नहीं हूं; मेरी तो स्पष्ट औद्योगिक नीति सामने आ गयी है, आप पढ़ें । जो काम हाथ से हो सकता है, उसके लिए बड़े कारखानों की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह भूल हुई । हम अमरीका की ओर नजर करके देखें, अमरीका में 3 गुना जमीन हिन्दुस्तान से ज्यादा है और अमरीका से 3 गुना जनसंख्या हिन्दुस्तान में ज्यादा है, तो जहां जमीन ज्यादा है, खेती ज्यादा है, वहां मशीनों की भी जरूरत ज्यादा है ।

लेकिन जहां खेती कम है, वहां बड़े कारखानों की आवश्यकता नहीं है । वो काम हाथ से हो सकता है जैसे दियासलाई बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, इनके लिए बड़े कारखानों की कोई जरूरत नहीं है । आप रेल बनाइए, बिजली बनाइये, हवाई जहाज बनाइए, बड़े कारखानों में, यही नीति है हमारी । हम लोग कोई दुविधावादी नहीं हैं । आप ही लोग दुविधा में फंसे हैं । आप नेहरू जी के बारे में बोलें, आपकी मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी, यह मैं नहीं बताना चाहता।

माननीय, पिछली सरकार की जो उपलब्धियां थीं, उनको मैंने मकाम नहीं है, लेकिन तिवारी जी ने जो योजना बनायी, उसका नतीजा क्या निकला, कितने लोगों की गरीबी खत्म हुई, कितनों की बेरोजगारी खत्म हुई ? तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का स्वीकार किया कि हमने जो नेहरू रोजगार योजना चलाई, उसमें 85 सैकड़ा पैसा सत्ता के दलाल और अफसर खा गए । यह मैंने कहा है ? आपके नेता ने कहा है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

जो पहले योजनाएं चल रही थीं, उनके प्रतिफल का देखने के बाद, इस योजना को चलाया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इधर का उधर नाम रखकर जवाहर रोजगार योजना के नाम से योजना आपने चलाई। 11 दिसम्बर, 1963 को तृतीय पंचवर्षीय योजना के बहस में हिस्सा लेते हुए स्व0 श्री राम सेवक यादव जी ने नेहरू जी की आलोचना की थी । उस समय नेहरू जी ने जवाब दिया था कि मुझे आज गांधी जी की रह-रह के याद आती है । यह हिन्दुस्तान तो गांवों में बसा हुआ है । बड़े कारखाने लगाने से इस देश की तरक्की नहीं हो सकती, मांव के विकास से ही तरक्की हो सकती है, यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था । यह दुर्भाग्य है कि वह ज्यादा दिन नहीं रहे, यदि वह जीवित रहते तो शायद वह अपनी नीतियों को बदलते और अपनी भूल को सुधारते । उन्होंने कहा था "मैं महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने लगा हूं ।" तो क्या मैं नेहरू जी की नीतियों का विरोध कर रहा हूं ? नेहरू जी ने तो अपनी गलती को स्वयं स्वीकार किया है । आपकी पार्टी में तो ऐसा होता आया है कि प्रधान मंत्री बनने के बाद ऐसा लगा कि देश का पट्टा/दाखिल-खारिज उनके नाम हो गया है । आज उसी नीति का यह नतीजा है कि बेरोजगारी का यह भयंकर स्वरूप हमारे सामने है। विकास के नाम पर आपने कभी गरीबी हटाओ कहा । हम कहते हैं कि पहले गरीबी हटाओ ।

कीमतों की वृद्धि के बारे में कहा गया ।

(बीच में किसी एक माननीय सदस्य के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

यदि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठ जायं तो तब माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं । परन्तु यदि वह खड़े हैं तो उन्हें प्रश्न नहीं करना चाहिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं मूल्य वृद्धि के बारे में कहूंगा कि यदि इसे माननीय उप नेता, विरोधी दल कहते तो ठीक रहता । मैं तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, जब वह हमारे साथ विधान परिषद् में भी थे, तो तब भी हम उन्हें शुभकामनाएं देते थे। माननीय श्री कल्याण सिंह जी जैसे विद्वान माननीय सदस्य ने, जो एक अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने महंगाई के ऊपर चोट कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस महंगाई के लिए कौन है ? 20 सैकड़ा मुद्रा प्रसार बढ़ा है । क्या माननीय श्री वी0 पी0 सिंह जी ने इसे बढ़ा दिया, क्या अटल बिहारी बाजपेयी व आडवाणी जी ने इसे बढ़ा दिया ।

एक ओर रिजर्व बैंक में नोट ज्यादा छपे गए तो उसके अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ा । पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी एक साल और भुगतना पड़ेगा ।

माननीय नेता भा0 ज0 पा0 को तो भ्रम होना ही नहीं चाहिए था । कालाधन जो 1969 में 14 सौ करोड़ था, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण वह 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तक हो गया । कालाधन जब तक रहेगा, क्या तब तक महंगाई रुक सकती है, जमाखोरी के खिलाफ जब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी, क्या तब तक महंगाई रुक जायेगी ? अभी तो हमें केवल 6 महीने हुआ है, पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी हमें एक साल तक महंगाई का सामना करना पड़ेगा । अभी एक साल तक इस देश की जनता को उन गलत नीतियों का प्रतिफल भोगना पड़ेगा। जहां तक जमाखोरी पर रोक लगाने की बात है, 24109 छापे मारे गए 6 महीने के अन्दर, 557 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4568 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया और 4 करोड़ रु0 के मूल्य की चीजें पकड़ी गयी हैं, ईंट के मूल्य को 80 रु0 प्रति हजार कम किया गया है, सीमेन्ट को 15 रु0 से 20 रु0 तक घटाया गया है । अब भी कहना चाहता हूं कि जमाखोरों पर कोई रियायत नहीं की जायगी ।

जहां तक ऋण माफी का सवाल है, माननीय उप नेता जी ने कहा कि यह परम्परा है, मैंने ऐसा कहां कहा, यह परम्परा नहीं है अपवाद है । कर्ज माफी क्यों करनी पड़ी ? इसलिए करनी पड़ी कि आपकी गलत नीतियों के कारण लगातार जो कारखानों की बनी चीजें थीं, वे महंगी होती गयीं और पैदावार का मूल्य लाभकर नहीं दिया, जिससे किसान गरीब होता चला गया । आपकी नीतियों के कारण किसान गरीब हुआ है, अतः एक बार किसान को सहारा देना पड़ेगा, इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है । आप कह रहे हैं कि गलत परम्परा है, आप परम्परा और अपवाद में फर्क नहीं समझ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

इसका आधार क्या है, यह तो स्पष्ट कर दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

10 हजार रु0 तक का कर्जा माफ किया जायगा, 2 अक्तूबर, 1989 तक । जो लोग अदत्तन नहीं दे रहे हैं उनका नहीं होगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

भाषा में विकृति है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसीलिए 350 करोड़ का है, हो सकता है कि 400 करोड़ हो जाय । फिर आपको दुविधा कहां है, संशय कहां है ? आपकी सरकार जिम्मेदार है दिल्ली से लेकर यहां तक, जिसने किसानों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है । एक बार सहारा देकर उन्हें आगे बढ़ाकर कर्जा माफ करेंगे ।

जहां तक भाषा नीति का सवाल है आपने कहा कि आपने विवाद खड़ा कर दिया

है । मामला तो साफ है आप कव्वे और तोते में फर्क समझते हैं । कव्वा अपनी बोली बोलता है, तोता दूसरे की बोली बोलता है । तोता पिंजरे में बन्द रहता है, कव्वा स्वतंत्र रहता है, तो हम तो आपको स्वतंत्र रखना चाहते हैं। (हंसी) मेरा विरोध किसी भाषा से नहीं है । मैंने कहीं नहीं कहा । मैंने कहा कि सरकार कहती है अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी मिटाओ मैंने कहीं नहीं कहा है । किसी भाषा से नफरत करने वाला बेवकूफ होगा । अंग्रेजी सरकारी कामकाज से हटे, अदालतों से हटे, सार्वजनिक जीवन से हटे । दूसरे देश की भाषा कोई सीखना चाहे तो हमें क्या एतराज हो सकता है ? हमें तो ऐसे लोगों से एतराज है जो देशी अंग्रेज हैं । देशी अंग्रेज नहीं रहने चाहिए, उससे एतराज है ।

(हंसी)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैंने तो कहा है अंग्रेजियत के खिलाफ होना चाहिए, भाषा तो अपनाइए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुछ आज ऐसे हैं जो देशी अंग्रेज हैं, उन्हें तो कम करना होगा । पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी न हो, मातृभाषा हो । महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर कहा है कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक हमारे देश का काम काज हमारी भाषा में न हो। (4 बजकर 20 मिनट) यह महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने पी0सी0एस0 से अंग्रेजी को हटा दिया है। एक जगह नहीं कई सभाओं में पूछा कि कितने ऐसे किसान हैं, गांव के लोग हैं, जिनका बेटा आई0 ए0 एस0 है, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया कि उसका बेटा आई0 ए0 एस0 है । इसका कारण यह है कि अंग्रेजी के कारण कोई किसान का बेटा आई0 ए0 एस0 नहीं हो पाता है । यहीं पर कितने भी लोग बैठे हैं, बता दें किसका बेटा आई0 ए0 एस0 है । जब तक इसका समाधान नहीं होगा, गांव का रहने वाला आई0 ए0 एस0 नहीं हो सकेगा । आई0 ए0 एस9 उन्हीं के बेटे हैं, जो राजपूत हैं, वकील हैं, लेकिन गांव के लड़के एक प्रतिशत से ज्यादा आई0 ए0 एस0 नहीं हैं । हां, सिपाही बन जाता है, सेना का सिपाही बन जाता है और अच्छी तकदीर वाला हुआ तो दरोगा बन गया, नहीं तो चपरासी और ड्राइवर ही बनकर रह जाते हैं। (विरोध पक्ष की ओर से आवाज-मुख्य मंत्री तो बन गया) हां मुख्य मंत्री तो बन गया वह बताऊंगा कैसे बन गया । अगर विदेशी भाषा हटाओ यहां रसी और ड्राइवर ही बनकर रह जाते हैं । हां मुख्य मंत्री बन गया, वह बताऊंगा कैसे बन गया । अगर विदेशी भाषा हटाओ यहां पर बनी रही तो देश तरक्की नहीं कर सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फ्रांस, जर्मनी और रूस ने विदेशी भाषा से तरक्की की है ? आज चीन, हमसे आगे निकल गया है और साढ़े तीन गुना ज्यादा अन्न पैदा कर रहा है । जब तक विदेशी भाषा रहेगी, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी नीति का समर्थन करें । अभी तक बुद्धिजीवियों ने विद्वानों ने सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की है लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता दल ने यह पहला प्रयास प्रारम्भ कर दिया है कि विदेशी भाषा हटे, कैसे हटे यह आपकी समझ में आना चाहिए ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैं भाषा नीति का विरोधी नहीं हूं लेकिन जो बोलते हैं और जो करते हैं, उससे बड़ी शंकायें पैदा होती हैं । मेरा अंग्रेजी भाषा से कोई दुराव नहीं है, अंगरेजियत से दुराव होना चाहिए । जिन देशों का जिक्र आपने अभी किया है, उन्होंने सभी भाषाओं का समन्वय बनाए रखा है, तभी तरक्की की है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं । साम्प्रदायिक शक्तियों को दबाने का इस सरकार ने प्रयास किया है, इस को आपने माना, आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि एक बात तो आपने स्वीकार किया । आगे चलने दें, नहीं तो इसी में पड़े रह जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि शान्ति व्यवस्था को कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निबटेगी और कार्यवाही करेगी । हरिद्वार में बैठक होने जा रही है, इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लें। जहां बाबरी मस्जिद का झगड़ा है, प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके समाधान को निकालने का प्रयास कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते के द्वारा, बातचीत के द्वारा और कमेटी के गठन द्वारा कोई न कोई समाधान निकल आयेगा । हरिद्वार में सम्मेलन हो रहा है, तो मेरा सदन के माध्यम से यह निवेदन है कि देश और प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा को देखते हुए ही कोई निर्णय लें । आपने कहा कि जातिवाद के आधार पर ट्रान्सफर किए जाते हैं। वैसे तो मैं इंसान हूं और अगर आप मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूं तो जातिवादी होने का सवाल ही नहीं है । अगर हूं तो आप बता दें । कितने लोगों का अनावश्यक रूप से जातिवाद के तहत स्थानान्तरण किया है । 46 लोगों में जितना स्थानान्तरण हुआ है, उनमें कितने लोग इस तरह के हैं। कैसे हमने ट्रांसफर और पोस्टिंग इस तरह से की है, आप बता दें। यह तो आपका बहाना था. . .

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मैंने तो आपको समाजवादी कहा था ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं जानता हूं कि यह जातिवाद का आरोप एक बहाना था । असली बात यह है कि इस कुर्सी पर एक किसान और पिछड़ी जाति का छोटा सा सेवक मुख्य मंत्री बन गया है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। लेकिन जनता का विश्वास, हमारे विधायकों का समर्थन और हमारे दिल्ली के नेताओं का आशीर्वाद जब तक हमें प्राप्त है तब तक इस कुर्सी पर बैठकर हम काम करेंगे । इसीलिए हमने कहा है कि हम मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, सामाजिक न्याय किया जायेगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा और चाहे किसी जाति के लोग हों, ऊंची जाति के भी हों, उन सभी नौजवानों को आर्थिक लाभ दिया जायेगा। यह हमारा काम है। इसलिए हमने जीवन भर संघर्ष किया और हमारे राजनीतिक जीवन का लक्ष्य संघर्षमय है और उसके सामने यह मुख्य मंत्री का पद मामूली चीज है । यह हमारा लक्ष्य है कि हम अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ते रहेंगे : इसके सामने मुख्य मत्री का पद छोटी सी चीज है ।

आपने यह भी कहा और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के और इस सदन के, इतना बड़ा सदन है । बोलते समय यह भी नहीं समझा कि यह सामान्य प्रशासन पर चर्चा हो रही है, गृह विभाग पर चर्चा हो रही है या बजट पर हो रही है । इतना भी नहीं समझ पाये । अभी तो गृह विभाग का बजट आना था, सामान्य प्रशासन का आधा था । उस वक्त आपको तैयारी के साथ आना चाहिए था कि स्थानान्तरण के संबंध में आपकी क्या नीति रही है । आपको अहसास हो या न हो लेकिन माननीय बी0 जे0 पी0 के नेता को इस असेम्बली में क्या हो गया । उनको अहसास होना चाहिए था । उनके बारे में तो ऊंची राय लोगों की है ।

श्री ऊदल–

आपने जो ऊंची रखी है, वह गलत है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उन्होंने कहा कि हम स्थानान्तरण में लगे हुये हैं । आप इस बात का अहसास नहीं कर रहे हैं । इसमें मैं बढ़प्पन की बात नहीं कह रहा हूं । दिल्ली में अभी पिछले दिनों हुई मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में जून में ट्रांसफर होता है, इसका कोई विश्वास नहीं करता । मैं कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसफर हो गया है वह हमारे स्तर पर निरस्त नहीं होता है । इतना बड़ा सूबा है, कहीं अपवाद हो गया हो, तो हो सकता है । आपने कहा कि उसका पालन नहीं हो रहा है । जिन 12 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उनमें एक अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे थे । उन्हें हमने सस्पेंड कर दिया और बाद में उन्हें पहाड़ पर ज्वाइन करना पड़ा । पहाड़ पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, पिछली सरकार किसी को पहाड़ पर न भेज सकी । हमने उन्हें पहाड़ पर ज्वाइन करवाया है ।

आपने कहा कि यह शासन 6 महीने नहीं चल पायेगा . . .

श्री कल्याण सिंह–

पांच साल यह पूरा नहीं कर पायेंगे, यह तय है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उन लोगों को कहने दीजिए, गुस्से में बोल रहे हैं, परेशान हैं, क्यों परेशान हैं पता नहीं ? कहते हैं 5 साल नहीं चलेगी या पूरे साल नहीं चलेगी । मैंने उसी दिन जिस दिन आथ ली थी कहा था कोई अमर नहीं होता है, मुख्य मंत्री अमर नहीं होता है उसी तरह सरकार भी अमर नहीं होती है ।

श्री राज किशोर सिंह–

सरकार की यही नीति चलती रही तो यह कहते हैं 5 साल नहीं चलेगी हम कहते हैं कि 5 साल क्या 10 साल चलेगी ।

श्री पंचानन राय–

आपकी दोनों बैशाखियां अलग-अलग बोल रही हैं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, हम लोगों ने पंचानन राय जी की सरकार को भी बैशाखियां दी थी । सूप बोले तो बोले छलनी क्यों बोले ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में बढ़िया सरकार चल रही है । मैं बधाई देता हूं मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और बढ़िया चले । हिमाचल में बढ़िया चले, राजस्थान में बढ़िया चले मैं उसके लिए बधाई देता हूं । इसमें कहां विवाद आ गया । मैं जानता हूं अभी जो एक कार्यक्रम चला उसमें बालठाकरे जी शामिल नहीं हुये, अडवानी साहब शामिल नहीं हुए क्यों नहीं शामिल हुए वह मुझे भी पता है और आपको भी पता है । आप दिल्ली में हमारे सहयोगी हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । आपके ही कारण आपकी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा नगर निगम और कारपोरेसंस के चुनाव में क्या हुआ ? ठीक है अगर हम डूबेंगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि कहां गये ।

माननीय उप नेता जी ने फिजूल खर्ची के संबंध में कहा कम खर्च की बात धोखा धड़ी है । उसमें कोई रोक नहीं लगी है । तो हमने फिजूल खर्ची में रोक लगाई है । मैंने अपने से शुरुआत की है सारी चीजों को आप बाद में चल कर देखेंगे 5 साल का डाक्टरी का कोर्स होता है उसमें 6 महीने में ही पाठ्यक्रम पूरा कर नम्बर दे देना चाहते हैं तो हम क्या कहें । हमारा वायदा 5 साल का है उसका आप 6 महीने में ही फैसला करना चाहते हैं । हमने अपने स्तर पर निर्णय लिया है मंत्रिमंडल की बैठकों में पहले 12 सौ रुपया खर्च होता था अब वह 3 सौ रुपया हो रहा है । मुख्य मंत्री के कार्यालय के खर्च में 25 लाख रु0 प्रतिमाह की कटौती की है सुरक्षा 68 लाख से घटा कर 43 लाख कर दिया है । एस0 टी0 डी0 टेलीफून्स पर पूरा नियंत्रण किया है । दिल्ली में जो खर्च होता था यू0 पी0 निवास में आपके जमाने में दो लाख कुछ था वह अब 45 हजार हो रहा है । इसी तरह से टेलीफोन्स पर औसत जो 3.9 लाख था अब वह घटकर 80 हजार रह गया है । इसी तरह मुख्य मंत्री के स्वागत खाने में 40 हजार खर्च हो रहा था अब वह एक हजार हो गया है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

यह जो आपने कहा कि मुख्य मंत्री के कार्यालय में खर्च कम कर दिया, तो यह जनप्रियता है लोग ज्यादा आते हैं तो खर्च ज्यादा होता है ।

यू0 पी0 निवास की जो बात है जब हमारा बराबर दिल्ली से संपर्क रहेगा मीटिंस होगी अधिकारी और कर्मचारी बराबर वहां जायेंगे प्रदेश के विकास के लिए तो स्वाभाविक है खर्च ज्यादा होगा । दूसरे हेलीकाप्टर टूट गया तो यह कैसे टूट गया ? तो यह खर्च क्या मित्व्ययिता में जा रहा है ? आप तो रेजगारी गिन रहे हैं, मुख्य चीज पर नहीं जा रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, औरैया के बारे में इनको जानकारी नहीं है, पहले योजना 800 करोड़ की थी अब 2300 करोड़ रुपये की वहां के लिए है । यह फैक्टरी तो औरैय्या में लगती ही नहीं, हम लोगों के लड़ने पर औरैया में फैक्टरी लगानी पड़ी वरना हाथ से फैक्टरी चली जाती । यह सही है कि तिवारी जी की नीयत साफ थी लेकिन वह लड़े कहां ? हम बराबर दिल्ली सरकार से लड़ते रहे तब जाकर औरैय्या में उनको फैक्टरी लगानी पसी और जहां भूमि पूजन हो गया है वहीं पर फैक्टरी लगा रहे हैं।

हेलीकाप्टर तो रास्ते से वापस किया जा रहा था लेकिन नहीं आये तो हम क्या करें । आपके मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी, कभी लड़े हैं केन्द्र सरकार से ? आपके उत्तर प्रदेश के लिए यह सौभाग्य है कि यह फैक्टरी औरैय्या में पेट्रोलियम मंत्रालय को लगानी पड़ी । केन्द्रीय संसदीय दल की बैठक में हम और हमारे पार्लियामेंट के सदस्य खड़े होकर केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को मजबूर किया तब जाकर औरैय्या में उनको भूमि पूजन करना पड़ा ।

मान्यवर, पहली बार सार्वजनिक निगमों के बारे में हमने उनकी कार्यकुशलता पर विचार करना शुरू किया है और उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से निगमों को हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे । जो निगम घाटे में चलेंगे उनको हम जिम्मेदारी ठहरायेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे लेकिन उनके कर्मचारियों को कहीं न कहीं समायोजित करेंगे । जैसे चल चित्र निगम को हमने समाप्त किया है तो उनके कर्मचारियों को भी समायोजित कर रहे हैं । मान्यवर, निगम को समाप्त करेंगे तो प्रदेश के हित में सोच समझकर उनकी कार्य कुशलता देखकर समाप्त करेंगें अन्यथा एक करोड़ रुपये रोजाना घाटा जो हो रहा है उसे जनता की कमाई को बेकार नहीं जाने दिया जायेगा । आपने कभी इस घाटे के जिम्मेदार अधिकारियों को क्या सजा दिया है ? नहीं, लेकिन अब सजा उनको मिल रही है और उन्हें जबरन छुट्टी या सेवानिवृत्त किया जा रहा है । इस प्रकार कितनी बड़ी चुनौती सरकार के सामने है । मान्यवर, 5 दिसम्बर को सरकार बनी और 8 को आरक्षण विरोधी आंदोलन होने लगा । 14 को मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की गयी । इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की नोटिस हुई, उसके बाद शंकराचार्य जी का नया शिलान्यास का कार्यक्रम । मान्यवर, शंकराचार्यके बारे में मेरे मन में श्रद्धा, इज्जत और सम्मान है लेकिन वह दुखद घटना भी है, कि देश के हित में मजबूरन उनको गिरफ्तार किया क्योंकि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था । तो इन सारी चुनौतियों के चलते विकास की जो सरकार की नीयत है वह नहीं हटी है लेकिन उसको यह वायदा खिलाफी और निकम्मा कहते हैं, तो उनकी परिभाषा ही नहीं पता है तो हम क्या करें । सहकारिता के बारे में आपने कहा, उसके बारे में आप जानते हैं । मैं सहकारिता मंत्री था, मैंने नहीं तारीफ की है। यह तारीफ रिजर्व बैंक आफ इण्डया ने सन् 1977 से लेकर 1979 तक अपनी रिपोर्टों में की है । आप उनकी ये रिपोर्ट उठाकर देखें, उसमें दिया है कि सहकारिता आन्दोलन उस समय जो चला वह हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया सहकारिता आन्दोलन चला है और आप मंत्री रहे, लेकिन आपको हटा दिया गया । अब आपको इसलिए हटा दिया गया कि आप असफल रहे और आपके हट जाने के बाद यह सहकारिता आन्दोलन चौपट हुआ है . . .

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना–

मेरे काल की रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो उसको भी आप मेरे बारे में देख लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

तो अब हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे । आपने सुझाव दिया है, किन्तु आप लोगों ने और आपकी सरकार ने इसे बर्बाद किया है । उस समय मैंने एक

ऐलान किया था सरकारों के दलीय आधार पर यह सहकारिता आन्दोलन नहीं चलेगा और उसी को दृष्टिकोण में रखकर मैंने रघुनाथ प्रसाद जी को जो अपनी पार्टी के थे, उनको हमने उपाध्यक्ष बनाया था । इस काम के लिए हमारी आलोचना हुई, हमारे लोगों ने इसकी आलोचना की थी, किन्तु फिर भी हमने इसको बरकरार रखा । हमने झांसी से अपने अध्यक्ष को हटा दिया। किन्तु रघुनाथ जी चूंकि अच्छे थे, उनको हमने नामिनेट कर दिया था और ऐसे कई लोग थे । उसका लाभ हमने नहीं आप लोगों ने उठाया है और इस काम की तारीफ भी हमने न ही आपके तमाम लोगों ने की है। उसकी तारीफ कांग्रेस के सहकारिता आन्दोलन प्रेमी नेताओं ने की थी । आपने उसे दलीय आधार पर चलाकर बर्बाद किया है । अब हम इसके लिए कर्जा माफी कर रहे हैं और अब कर्जा माफी के साथ बहुत जल्दी यह आन्दोलन आगे बढ़ेगा . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पूरा पढ़कर आए होते तो ऐसी बात न कहते । अभी तो हमें 6 माह ही हुए हैं । इतने दिनों का कूड़ा कड़कट 6 माह में हमसे साफ कर देंगे । जो 40 साल का कूड़ा-करकट है, सड़ी-गली व्यवस्था है वह इतनी जल्दी कैसे साफ हो सकती है । आपके घर के सामने से 40 साल तक कूड़ा न उठाया जाए तो पता है या हालत होगी, आपकी छत नीचे हो जाएगी और कूड़े का ढ़ेर उससे ऊपर निकल जाएगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य (भाजपा)–

जनता ने तो सारा कूड़ा-करकट एक दिन में साफ कर दिया और आप 6 माह में भी नहीं कर पाए?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप ज्यादा न बोलिए, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे सहयोगी दल के हैं . . .

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारा प्लाण्ट लोड फैक्टर बढ़ा है, ऊर्जा उत्पादन में सुधार हुआ है, फर्जी कनेक्शन रोके गये हैं, हम 6 माह में जितना भी उपचार कर सकते थे, उसे हमने किया है । बिजली चोरी के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं । ग्रामों में बिजली 14 घंटा देने का हमने वायदा किया है, लेकिन सब जगह हम इसे नहीं दे पाए हैं, कुछ जगह अवश्य दी जा रही है और 10 घंटे से कम कहीं नहीं है। आपके यहां चार घंटे बिजली आती थी और दो-दो, एक-एक घंटे में वह चली जाती थी और जब चली जाती थी, वह आने का नाम नहीं लेती थी। अब इस तरह नहीं जाती है। 6 महीने में सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, हम कोशिश बराबर कर रहे हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

जहां 14 घंटे बिजली पहुंच रही है, उनके नाम आप बता दीजिए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप बजट के बजाए विभाग पर ज्यादा बोले हैं । अब आगे बिजली का बजट

आने पर सारी स्थिति आपके सामने आएगी । मैं तो यहां पर एक घंटा ही बोलना चाहता था, इसलिए जल्दी-जल्दी खत्म करना चाहता था । हमारी सरकार ने इन दिनों में काफी प्रयास किया है । वर्ष 1990 में 7734 विद्यालयों के भवन अधूरे हैं । 88-89 में 2139 भवन अधूरे थे । जो नये स्वीकृत किये गये हैं वह हैं 5086 । इस प्रकार कुल 14959 स्कूलों में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । आगे आने वाले दिसम्बर तक 14 हजार स्कूल जिनमें भवन नहीं हैं, मैंने संकल्प किया है कि लड़के खुली छत के नीचे नहीं पढ़ेंगे । भाजपा नेता ने कहा कि गांव का बजट 51.3 प्रतिशत नहीं, बल्कि 28 प्रतिशत है । कल्यान सिंह जी आप बिना पढ़े चले आये । जरा पढ़कर देख लें ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस बात पर विस्तार से श्वेत पत्र जारी कर दे कि ग्रामीण विकास में किस-किस मद में कितना धन खर्च किया जायेगा और उसका योग कितना है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सबके लिए श्वेत पत्र जारी नहीं होगा । अब श्वेत पत्र आप तैयार कर लें ।

श्री कल्यान सिंह–

बजट भाषण में 51.3 प्रतिशत है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पहले पढ़ लें । फिर आपको असलियत पता चल जायेगी । आप विद्वान हैं, आप अर्थशास्त्री हैं । इसीलिए तो अफसोस होता है, मैं तो नाकाबिल हूं लेकिन जनता का सही सेवक हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

यह जो शौचालय बन रहे हैं, क्या दिल्ली में बनने जा रहे हैं, बम्बई में बनने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल बनने जा रहे हैं या कर्जे माफी होने जा रही है, क्या कलकत्ता में होने जा रही है । क्या यह बजट पूंजीपतियों का है ? अगर यह पूंजीपतियों का है तो आपको खुश होना चाहिए ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री कल्यान सिंह–

सरकार स्वयं कह चुकी है कि उसकी पूंजीपतियों से सांठगांठ है । भाजपा का पूंजीपतियों से दूर का भी लेना देना नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो भूमि सेना बन गयी है, वह कहां काम करेगी, क्या मद्रास में यह अंजर बंजर भूमि का सुधार करेगी, तालाब खुदवायेगी । तो क्या यह गांव का बजट नहीं है ? 38 करोड़ रुपया भूमि सेना के लिए रखा गया है, पन्द्रह हजार प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं, 26 करोड़ रुपया शौचालयों के लिए रखा गया है । आपने पढ़ा है, आप बुद्धिमान हैं । यह बजट कहां खर्च होगा, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई में क्या यह खर्च होने जा रहा है ?

शान्ति व्यवस्था के बारे में सुधार होना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि पूरा सुधार हो गया है लेकिन ऊपर के अधिकारियों में सुधार हुआ है । आई0 जी0, डी0 आई0 जी0, एस0 पी0 में सुधार हो गया है, थाने में अभी नहीं हुआ है । यह हम स्वीकार करते हैं । हमारी सरकार एक खुली सरकार है । जहां पर हमारी कामयाबी है हम उसे स्वीकार करते हैं । मान्यवर, जहां पर हम सफल नहीं हो पाए हैं उसको स्वीकार करते हैं । अब व्यवस्था परिवर्तन इनकी समझ में ना आए तो हम क्या करें ? व्यवस्था परिवर्तन भाषण से नहीं होता है प्रदर्शन से नहीं होता है । व्यवस्था परिवर्तन, फावड़ा चलाते किसान, हल चलाते हुए किसान, पढ़ते हुए बच्चे और पढ़ाते हुए टीचर से पता लगता है ?

(मेजों थपथपाई गई)

इण्टर तक की शिक्षा को नि:शुल्क कर दिया गया है । आपकी सरकार ने क्या किया, आपको चाहिए था कि आप बधाई देते, धन्यवाद देते । आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी। मुझे इसलिए आश्चर्य होता है, आपको ज्ञान होना चाहिए था आप बड़े विद्वान हैं, मैं तो गांव का सेवक हूं। हमने चुंगी को समाप्त कर दिया है, लेकिन जब पहले चुंगी थीं तो नई बहू बूढ़ी लेकर जाती तो चुंगी, किसान चारा लेकर जाता तो चुंगी, 10 किलो सरसों का तेल पिराने जाता तो चुंगी, कोई आटा पिसा कर लाता तो चुंगी, कोई बस के ऊपर कुर्ता उतारता तो चुंगी, कोई सब्जी बेचने जाता तो चुंगी, तो हमने अब चुंगी को समाप्त कर दिया है । आप कहते हो कि सेल्स टैक्स माफ कर दो, तो आप सुझाव बता दो कि उसके बदले हम क्या करें । आप सुझाव लिखकर हमें दे दीजिएगा । हम आपके सुझाव मानेंगे ।

आपने पेयजल संकट के बारे में कहा । पेयजल का संकट है, लेकिन आप लगातार इतने सालों तक रहे आपने तो गांव की सभ्यता संस्कृति पूरी नष्ट कर दी । पेयजल संकट हैण्डपम्प से दूर नहीं हो पाएगा, जो हैण्डपम्प आपने लगवाए उनके रख-रखाव के लिए कोई पैसा नहीं दिया यह हैण्डपम्प दस साल चलेंगे फिर खराब हो जायेंगे। पेयजल का संकट हैण्डपम्प से दूर नहीं हो पाएगा इसलिए हमारी कोशिश है गांव-गांव में तालाब खुदवाये जायेंगे । गांव-गांव में कुंए बनेंगे तभी पेयजल संकट दूर हो पाएगा । यह हमारी गांव की दृष्टि है । यह गांव का बजट है अब कोई जलन की वजह से कुछ बोलने लगे तो मैं क्या करूं । जो भूमि सेना है वह तालाब खोदेगी और कुंए खोदेगी। सरकार विचार करेगी कि तालाब और कुएं खोदे जायं। हमने 93 करोड़ रुपया हैण्डपम्प के लिए रखा है, वैसे अगर एकदम से हैण्ड पम्प लगाए जायं तो 1500 करोड़ रुपये की जरूरत है । हैण्ड पम्प लग रहे हैं 6 महीने के अन्दर 31 हजार हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं । एक भी आदमी पानी के बगैर नहीं मरा है । आपके जमाने में तो चित्रकूट पर पर पानी की वजह से भगदड़ मच गई थी आपके व्यवस्था परिवर्तन की बात कही । पहले व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आप रोज-रोज दिल्ली, केन्द्र सरकार के पास भागते थे । सुबह जाते थे, शाम को आते थे । आप तो रोज जाते थे (हंसी) आप दिल्ली जाकर पता लगाया करते थे कि कौन खुश है और कौन नाराज है? यह सरकार नाराजी और खुशी पर नहीं बल्कि इस सरकार को चिन्ता है उत्तर प्रदेश की जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द की चिन्ता सरकार को है । (मेजों की थपथपाहट) दिल्ली में कौन खुश है और कौन नाराज है इससे सरकार को मतलब नहीं

है । गांव के लोगों को पानी मिल सके, किसान जो आशा लगाये बैठा है उसको हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें यह हमको चिन्ता है और यही व्यवस्था परिवर्तन है । व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जून के महीने में पहले हमारे अधिकारी पहाड़ों पर जाते थे, अब कहा जा रहे हैं, गांव में गांव में कौन जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, आई0जी0 डी0 आई0जी0, एस0पी0, डी0एम0 यह सब लोग गांव जा रहे हैं कोई दिन ऐसा नहीं है जब कोई बड़ा अधिकारी गांव जाता नहीं है । यह है हमारा व्यवस्था परिवर्तन, यह कोई मामूली व्यवस्था परिवर्तन नहीं है । यह कोई मामूली पकड़ सरकार की नहीं है।

बजट पास होने के बाद हमारे मिनिस्टरों को गांव में सोना पड़ेगा, वह गांव जाते हैं लेकिन अब और ज्यादा वहां जाकर सोयेंगे, मैं भी सो कर आया हूं । यही नहीं अगले महीने जन सम्पर्क की नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं । हर महीने के दूसरे सोमवार को ब्लाक पर जन सम्पर्क होगा । डी0एम0, एस0पी0, ब्लाकों पर जायेंगे, ए0डी0एम0 और हर विभागों के हमारे अधिकारी ब्लाक पर होंगे और वहीं जन सम्पर्क होगा। जन सम्पर्क लखनऊ या जनपद कार्यालयों में नहीं होंगे, गांव-गांव की जनता की सुनवायी ब्लाक पर होगी । लखनऊ और आपके जौनपुर में नही होगी । मैंने चलो गांव की ओर का नारा ऐसे ही नहीं दे दिया है । आप शहरों को दुल्हन की तरह सजा रहे थे और गांवों को उजाड़ रहे थे। अब गांवों को सजाया जायगा। हम शहरों को खण्डहर नहीं करेंगे लेकिन जब तक गांव नहीं सजेंगे तब तक शहरों के सजाने पर रोक लगेगी । यह है हमारी नीति ।

मान्यवर, इसी तरह से भ्रष्टाचार पर जबरदस्त निगरानी की गयी है । पहले सेवा वृद्धि बराबर बढ़ाते चले जाते थे । पीछे के लोगों को प्रमोशन नहीं होता था । सेवा वृद्धि पर पहली बार रोक लगी है। आप कहते हैं निकम्मा शासन है। यह शासन हिम्मतवाला है, कर्मठ है । अब कहीं अतिवृष्टि होगी तो उसमें 300 रुपये एकड़ किसानों को मुआवजा या मदद दी जायगी । इस तरह की सारी बातें इस सरकार में हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि निकम्मापन है । अब निकम्मेपन की परिभाषा आप नहीं जानते हैं तो हम क्या करें । हमारे भा0ज0पा0 नेता हमारे सहयोगी हैं । आपकी राय से हम चलते हैं । आपने सुझाव दिये हैं तो आपको पता होना चाहिये कि दूसरे दिन ही मान लिया है । कोई परेशानी हो तो बता दीजिये, नाराज न हों । आप हमारे सहयोगी हैं, हमारी सरकार चलवा रहे हैं, यह हम मानते हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वह प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और जब वह जन विरोधी कदम सरकार उठायेगी, भारतीय जनता पार्टी सदन में उसका विरोध करेगी और सदन के बाहर भी उसका विरोध करेगी । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सहयोगी शब्द का प्रयोग करके माननीय मुख्य मंत्री जी को भ्रमित नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कोई बंधुआ पार्टी नहीं है, यह एक स्वतंत्र राजनैतिक दल है, गुण और दोष के आधार पर हम अपना दृष्टिकोण तय करेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैंने कहा, मैं आपका सुझाव चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं, आपकी काबिलियत का लाभ उठाना चाहता हूं, आप उखड़ रहे हैं ।

श्री मुईद अहमद–

माननीय, दुम टेढ़ी रह गयी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, कहा गया कि वादा की खिलाफी का यह बजट है । यह वादा खिलाफी का बजट नहीं है । जो चुनाव घोषणा-पत्र है, जो चुनाव के समय हमने भाषण दिये हैं और हमारे साथियों ने दिये हैं कि शौचालय बनेंगे, तो शौचालय बन रहे हैं । वृद्धा पेंशन देने की बात कही थी, तो हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, टैंट लगाकर हम बांट रहे हैं और ज्यादा तेजी से संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन जितनी तेजी आप चाहते हैं, उससे ज्यादा तेजी हम चाहते हैं । आर्थिक संकट हमको है, अब बजट पेश किया है । शौचालय बन रहे हैं, भूमि सेना बन रही है । भाषा नीति आपके सामने है । यह सब जितना हमने वादा किया था, वह हम सब करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना–

माननीय, स्कूलों की बात आपने कही, लेकिन माननीय, वहां के विद्यार्थियों को किताबें आप सस्ती उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं? किट्स, किताबें आप वहां पर सस्ती उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले नक्शा बनता है, तब मकान बनता है । वे चाहते हैं कि मकान पहले बन जाय, तब नक्शा बने।

श्री राम शरण दास–

ये चाहते हैं कि पहले टेलीफोन लगे, तब मकान बने ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह वादा की खिलाफी नहीं है। इस सरकार की कथनी और करनी में भेद नहीं है । जिस दिन कथनी और करनी में भेद हो जायगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप जनता दल हट जायगा । आप यह कहते थे कि कुर्सी के हम लालची हैं, हम कुर्सी चाहते हैं ताकि हम कुर्सी पर बैठ कर जनता की भलाई करें । लेकिन आप चाहते हैं? आप न सैनी चाहते हैं या रूटिया चाहते हैं । अब यह अन्तर है अध्यक्ष महोदय, हम कुर्सी पर बैठकर यह कार्यक्रम लाये हैं, हम कुर्सी चाहते हैं लेकिन कुर्सी पर बैठकर जनता की भलाई चाहते हैं, बेरोजगारी घटाना चाहते हैं, इसका लक्ष्य रखा है। कुटीर उद्योग धन्धे हैं, हर ब्लाक में छोटे उद्योग धन्धे लगाने की कोशिश है, सर्वे कर रहे हैं, उद्योग नीति अब शुरू हो गयी है, अशिक्षित बेरोजगारी घटाने के लिए भूमि सेना का गठन किया गया है। इन सारे कार्यक्रमों में हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं रहेगा, यह पूरा करेंगे। इसलिए एक भी वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अब हम ज्यादा नहीं दोहराना चाहते हैं, हमारे माननीय भा0 ज0 पा0 के नेता, हमारे सहयोगी, शुभ चिन्तक हैं, समर्थक है, अब नहीं कहेंगे।

माननीय, अन्त में हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमने एक घंटे के लिए कहा था 5 मिनट ज्यादा हो गये हैं। सबसे आखिर में मैं माननीय राजकिशोर जी और माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता

हूं। वास्तव में अगर बजट पर कोई सही तरह से बोला है तो इन दोनों नेताओं ने बोला है जिन्होंने हमारे बजट की तारीफ की है और साथ ही साथ सुझाव दिए हैं इन्होंने कहा किसानों से कम ब्याज लेना चाहिए, हम विचार करेंगे और इसी तरह से राज किशोर सिंह ने जो सुझाव दिये हैं उस पर विचार करेंगे। इसी तरह से परिषद् में ज्ञान चन्द्र जी को बधाई दूंगा, फिर बधाई दूंगा उन्होंने कहा है कि ऐसा बजट पेश किया है, ऐसे कार्य किये हैं इस सरकार ने कि मैं तो नतमस्तक हो रहा हूं, कार्यवाही उठाकर देख लीजिए, यह कहा है। तो मुझे आपके सारे सदन के सदस्यों, माननीय नेताओं ने जो हमको महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और इस भाषण में कहीं भी थोड़ी सी दिल में चोट लगी हो तो मैं अपने शब्द को वापस लेते हुए अन्त में पूरे सदन के माननीय नेताओं और सदस्यों, जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किये जाने और इसे प्रभावी बनाने के लिए संबंधित चयन बोर्ड के सदस्यों का प्रतिनिधित्व संबंधी प्रस्ताव को किसी अन्य कार्य दिवस में लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कुछ घोषणाएं हैं जो आपके सामने करना चाहता हूं–

(श्री अध्यक्ष द्वारा सूचना पढ़े जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपको अधिकार दे दिया गया कि आप नाम निर्देशन कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इस कार्यक्रम को घोषित तो करना पड़ेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल की सहमति से हम आपको प्रस्ताव दिये देते हैं।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री पंचानन राय–

हम लोग सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय, यह आज की कार्यवाही का अंग बन जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने हेतु विधान सभा के 4–4 सदस्यों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्-विज्ञान संस्थान लखनऊ में संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, रूहेलखण्ड विश्व-विद्यालय बरेली, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर, काशी विद्यापीठ वाराणसी और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

(क) नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	सोमवार, 2 जुलाई, 1990 को अपराह्न 4 बजे तक
(ख) नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार, 3 जुलाई, 1990 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)
(ग) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 9 जुलाई, 1990 को अपराह्न 4.00 बजे तक
(घ) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	सोमवार, 23 जुलाई, 1990 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।]

विधान सभा की विभिन्न समितियों के निर्वाचन हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1990-91 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	सोमवार, 2 जुलाई, 1990 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	गुरुवार, 5 जुलाई, 1990 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 11 जुलाई, 1990 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4–निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान :–	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त अनुसूचित जनजातियों तथा समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	मंगलवार, 24 जुलाई, 1990 को
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	बुधवार, 25 जुलाई, 1990 को

विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।]

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना यह है कि विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित चार मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है :–

(1) सर्वश्री मुईद अहमद तथा प्रमोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत सूचना जो दिनांक 15-1-90 को प्राप्त हुई।

(2) श्री इम्तियाज मोहम्मद खां द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 16-1-90

(3) श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 7-3-90

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4) सर्वश्री अनिल भारद्वाज, शमीम अहमद खां, ओम प्रकाश तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 7-3-90

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं। उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णयों को सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायगा।

(निम्नलिखित निर्णय सदन की कार्यवाही के अंग माने गये)

खेलकूद मंत्री श्री मोहम्मद असलम खां के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री मुईद अहमद तथा श्री प्रमोद तिवारी, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय खेलकूद मंत्री श्री मोहम्मद असलम खां, के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी है, जो इस सचिवालय में दिनांक 15 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुई। माननीय सदस्यों ने उक्त सूचना में यह शिकायत की है कि विधान सभा के सत्र के दौरान दिनांक 15 जनवरी, 1990 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित माननीय खेल-कूद मंत्री के नीति विषयक वक्तव्य "उत्तर प्रदेश में नयी खेल नीति जल्द लागू होगी" संबंधी घोषणा से माननीय सदन की अवमानना हुई है।

प्रश्नगत विषय पर माननीय खेलकूद मंत्री का अभिमत प्राप्त किया गया। माननीय खेलकूद मंत्री के पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1990 द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होंने उक्त समाचार पत्र को ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं दिया है। माननीय मंत्री ने आगे कहा है कि समाचार पत्र में उक्त कथित प्रकाशन का यदि तथ्यात्मक विवेचन किया जाय तो यह देखा जायगा कि उसमें कोई नीति विषयक घोषणा नहीं की गयी है, अपितु केवल पूर्व निर्धारित नीति के आधार पर चल रही योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन का उल्लेख है। माननीय मंत्री द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि वह माननीय सदन की गरिमा को सर्वोच्च महत्व देते हैं एवं उनके द्वारा सदन की अव-मानना अथवा विशेषाधिकार हनन करने की कदापि चेष्टा नहीं की। फिर भी यदि सदन को किसी प्रकार की ठेस पहुंची है तो उसके लिए माननीय मंत्री ने खेद व्यक्त किया है।

माननीय सदस्यों की सूचना का सूक्ष्म रूप से विवेचन करने से यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्र दैनिक जागरण के शीर्षक "उत्तर प्रदेश में नयी खेल नीति जल्द लागू होगी" को माननीय सदस्यों ने सूचना का आधार माना है। माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में यह भी इंगित नहीं किया है कि माननीय खेलकूद मंत्री के वक्तव्य में कौन सा नीतिगत विषय निहित है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना के साथ समाचार-पत्र का पूरा अंक संलग्न नहीं करके केवल उसका एक अंश मात्र संलग्न किया है जो सदन की अवमानना के मामले में पर्याप्त नहीं समझा जा सकता।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित किया जाता है।]

नोट–[ ]सदन की सहमति से यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व मंत्री श्री राम शरण दास के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, सदस्य, बिधान सभा ने राजन्व मंत्री, श्री राम शरण दास के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 16 जनवरी, 1990 को दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त तिथि को तारांकित प्रश्न संख्या–4 का गलत उत्तर देकर गन्ना मंत्री ने सदन को गुमराह किया है ।

उपरोक्त तारांकित प्रश्न नये तहसीलों की स्थापना के विषय में राजस्व परिषद् के अध्यक्ष के सभापतित्व में गठित समिति की संस्तुतियों से संबंधित था । माननीय राजस्व मंत्री ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया था कि जिला तथा मण्डल के पुनर्गठन के सन्दर्भ में उक्त समिति की रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अनुपूरक प्रश्नों के दौरान श्री इम्तियाज मोहम्मद खां ने 29 तहसीलों की स्थापना के बाबत उस समिति की संस्तुति प्राप्त होने की बाबत जानकारी चाही थी जो वर्ष 1982 में गठित की गई थी । दिनांक 16 जनवरी, 1990 को प्रश्नोत्तर काल में कुछ ब्यवधान हो गया था जिसके कारण माननीय राजस्व मंत्री को यह कहना पड़ा कि वह कुछ सुन नहीं पा रहे हैं । अध्यक्ष पीठ से भी माननीय सदस्यों को शांत रहने का अनुरोध किया था उक्त समिति में माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जा सका ।

माननीय राजस्व मंत्री के स्पष्टीकरण दिनांक 17 मार्च, 1990 को देखने के पश्चात मैं इस मत का हूं कि उनके द्वारा दिया गया उत्तर त्रुटिपूर्ण नहीं था । माननीय सदस्य कदाचित वर्ष 1982 में गठित समिति की रिपोर्ट के बाबत जानकारी चाहते थे और माननीय राजस्व मंत्री वर्ष 1989 में गठित समिति के प्रतिवेदन के बारे में उत्तर दे रहे थे । कदाचित इसी भ्रम के कारण प्रश्नगत सूचना दी गई है ।

अतः विशेषाधिकार हनन की सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं ।]

शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा सूरजपुर जनपद मऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

[श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा सूरजपुर जनपद मऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 7 मार्च, 1990 को दी है। माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि जब वह दिनांक 16 फरवरी 1990 को जनता को ऋण देने एवं बैंक ड्राफ्ट आदि में अवैध वसूली की शिकायत की स्थिति की जानकारी के लिए शाखा प्रबन्धक से मिले तो उक्त अधिकारी ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया । माननीय सदस्य के अनुसार शाखा प्रबन्धक के इस कथन से कि "विधान सभा को मैं कुछ नहीं समझता हूं और विधान सभा में मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं उठाया जा

नोट–[ ]सदन की सहमति से यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सकता हूँ,'' सदन का अपमान हुआ है तथा सदस्य के रूप में कार्य सम्पादन में बाधा भी पड़ी है। माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने की मांग की है ।

प्रश्नगत मामले में शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा सूरजपुर जनपद मऊ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । अपने पत्र दिनांक 14 मई, 1990 में शाखा प्रबंधक ने कहा है कि दिनांक 16 फरवरी, 1990 को माननीय सदस्य जब शाखा कार्यालय में आये तो उस समय ग्राहक सेवा समिति की बैठक चल रही थी। माननीय विधायक जी से उपस्थित कतिपय ग्राहक सदस्यों से कुछ अप्रिय वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने रफा-दफा कराने के लिये यथोचित प्रयत्न किया था और माननीय सदस्य उस समय सन्तुष्ट होकर चले गये थे। शाखा प्रबन्धक ने यह भी उल्लेख किया है कि विधान सभा या संसद सदस्यों के प्रति दुराग्रहपूर्ण व्यवहार या सदन की अवमानना की वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा उन्होंने उक्त घटना के लिये खेद प्रकट किया है तथा क्षमा याचना भी की है ।

प्रश्नगत मामले के परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का शाखा प्रबन्धक से मिलने जाना सदन अथवा उसके किसी कृत्य से संबंधित नहीं है बल्कि कतिपय शिकायतों की स्थिति की जानकारी के लिए माननीय सदस्य शाखा प्रबन्धक से मिले थे । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य द्वारा जिस घटना का विवरण दिया गया है वह दिनांक 16 फरवरी, 1990 की है जबकि उसके सम्बन्ध में उन्होंने प्रश्नगत सूचना दिनांक 7 मार्च, 1990 को दी है जिसके कारण माननीय सदस्य की सूचना विलम्बितम भी है।

माननीय सदस्य की सूचना तथा शाखा प्रबन्धक के स्पष्टीकरण पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्गत नहीं प्रतीत होता है । अतः उपरोक्त कारणों से मैं, इसे अग्राह्य करता हूं।]

तहसीलदार सम्भल जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

[श्री अनिल भारद्वाज, श्री शमीम अहमद खां, श्री ओम प्रकाश तथा अन्य सदस्यगण, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत दिनांक 7 मार्च, 1990 को औचित्य का एक प्रश्न दिया था, जिसमें सूचना के विषयों को विशेषाधिकार हनन की सूचना के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी थी । श्री उपाध्यक्ष ने उक्त सूचना के विषय को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के रूप में स्वीकार किया था । तहसीलदार सम्भल, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के इस मामले में यह शिकायत की गयी है कि माननीय सदस्य, श्री अनिल भारद्वाज जमीन के बैनामे हेतु स्टाम्प क्रय करने के संबंध में दिनांक 2 मार्च, 1990 को अपराह्न 2.00 बजे तहसीलदार सम्भल से मिले थे और उक्त अधिकारी द्वारा माननीय सदस्य के प्रति आचरण संहिता के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का सम्मान न करने के कारण माननीय सदस्य ने उन्हें चेतावनी दी तथा इस मामले को विधान सभा में उठाने की बात कही । प्रश्नगत मामले में शासन से

नोट--[ ]सदन की सहमति से यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी है । माननीय सदस्य की सूचना तथा शासन से प्राप्त जानकारी के परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का तहसीलदार सम्भल से मिलने जाना सदन एवं उसकी किसी समिति के कृत्य से संबंधित नहीं, बल्कि जमीन के बैमाने हेतु स्टाम्प क्रय करने के संबंध में अपने व्यक्तिगत कार्य से माननीय सदस्य तहसीलदार सम्भल से मिले थे। अतः सम्पूर्ण स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

अतः वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन की इस सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं । किन्तु शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि माननीय विधायकों के प्रति अत्यन्त सम्मानजनक एवं शिष्टाचार का व्यवहार शासन के अधिकारियों द्वारा किये जाने के विषय में निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।]

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थल को उनके पौत्र द्वारा बेचने या सौदा करने की खबर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22-6-90 को नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई । जिसमें से पहली सूचना श्री यशवन्त सिंह, श्री राज किशोर सिंह की है जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के वाराणसी स्थित निवास स्थान को उनके पौत्र द्वारा बेचने का सौदा करने खबर से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसी के साथ श्री पंचानन राय की सूचना, जो इसी विषय में है, को भी संलग्न किया गया है, इस सूचना को स्वीकार किया जाता है ।

श्री पंचानन राय–

माननीय, मैंने नियम 56 में दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

अब सदन समाप्त होता है । सोमवार को 11.00 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर सोमवार, 25 जून, 1990 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
22 जून, 1990

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसूची 'क'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

सूची

क्रम-संख्या	नियोजन का नाम	पुनरीक्षण अभीष्ठ होने की तिथि
1	2	3
1	चाय बगान	7·9·82
2	बानिकी	11·6·86
3	ईंट भट्ठा	15·6·81
4	हैण्डलूम	30-4-87
5	पावरलूम	30·4·87
6	कपड़ा धोने या नहाने या प्रसाधन के साबुन या साबुन के चूर्ण	5·1·89
7	खाण्डसारी में नियोजन	22·1·89
8	ऊनी कम्बल	9·2·89
9	रबर विनिर्माणशाला एवं रबर उत्पाद जिनमें टायर ट्यूब भी सम्मिलित हैं	5·8·89
10	फलों के रसों के विनिर्माण शाला में नियोजन	तदैव
11	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	तदैव
12	वासित पेयों (ऐरेटेड) ड्रिंक्स के विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव
13	परतदार लकड़ी (प्लाईउड) उद्योग में नियोजन	तदैव
14	पेट्रोल एवं डीजल आयल पम्पिंग में नियोजन	तदैव
15	डेरी एवं मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव
16	कन्फैक्शन में नियोजन	तदैव
17	सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव
18	बांध तटबन्ध के निर्माण एवं अनुरक्षण एवं सिचाई परियोजनाओं एवं कुओं की खुदाई में नियोजन	तदैव
19	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सालयों के समान की दुकानों में नियोजन	तदैव
20	उन सभी रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव
21	कांच की चूड़ी	24·8·86
22	भोजनालयों एवं अल्पाहार गृहों में नियोजन	9·1·88
23	वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजन	20·6·89
24	दुकानों में नियोजन	20·6·89
25	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी में नियोजन।	18·9·89
26	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं एवं प्राइवेट विद्यालयों जिसके अन्तर्गत नर्सरी स्कूल एवं निजी प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित हैं, में नियोजन।	30·11·89

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

केयर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में आमंत्रित टेण्डर हेतु पांच पार्टियों द्वारा दिये गए दरों का तुलनात्मक चार्ट

निविदा दाता	अंकित दरें						
	सीतापुर	हरदोई	इलाहाबाद	फतेहपुर	प्रतापगढ़	शाहजहांपुर	बदायूं
1. मेसर्स आर. आर. के इंडिल आयल प्राइवेट लि0, लखनऊ। ..	514/-	521/-	355/-	474/-	361/-	535/-	539/-
2. कानपुर पटना रोड लाइन, कानपुर । ..	490/-	480/-	360/-	450/-	400/-	485/-	488/-
3. मेसर्स संतोष कुमा, सुकियस लेन, कलकत्ता।	990/-	551/-	435/-	910/-	380/-	1050/-	1150/-
4. मैसर्स प्रकाश रोड लाइन कारपोरेशन, कलकत्ता। ..	470/-	470/-	395/-	425/-	424/-	524/-	525/-
5. मेसर्स इंडिया ट्रांसपोटेशन लिमिटेड, कलकत्ता।	474/-	465/-	395/-	430/-	419/-	519/-	528/

वर्ष 1989-90 हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत निविदा में फर्म का नाम व पता विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनायें

	मे0 कानपुर पटना ट्रांसपोर्ट कानपुर	यूनाइटेड वागो कैरियर्स कानपुर	मे0 [illegible] कलकत्ता	मे0 [illegible] ट्रेडिंग कम्पनी कानपुर
	1	2	3	4
1. वाराणसी				
1. शहर	प्रति परियोजना	4500 नौटन हेतु	415 प्रति एम.टो. सभी में	475/-
2. सकलडीहा	रु0 490/प्रति एम. टो.	5000/-		475/-
3. चकिया		5000/-		475/-
4. हरदुआ		5000/-		490/-
5. मदाहा		5000/-		490/-
2. गाजीपुर				
6. रक्सौल	प्रति परियोजना	सभी में रु0	69 एम.टो.	500/-
7. मिहारी	रु0 520/ एम.टो.	5000/नौटन हेतु	सभी में	500/-
8. बिरनों				500/-
9. सैदपुर				500/-
10. जखनियां				500/-

	1	2	3	4
3--बलिया				
11---रसड़ा	प्रति परियोजना रु0 520/एम.टी.	रु0 5500 /सभी में नौटन हेतु	495/प्रति एम. टी.	510/प्रति एम. टी.
12 · दुबहड़				
13 --नगरा				
14 · सियर				
4 · जौनपुर				
5 · गोरखपुर				
15 · शहर	प्रति परियोजना रु0 570/एम.टी.	5200/सभी में नौटन हेतु	529/प्रति एम. टी.	530/--
16---गगहा				530/--
17 · चटहट				530/--
18 · महराजगंज				530/--
19 · फरेन्दा				530/--
20 ---पनियरा				530/--
6 · देवरिया				
21 ---बरहज				
22---सलेमपुर				
23- खड़डा				
24 --हाटा				
25 ---रुद्रपुर				
26 ---पड़रौना				
7 ---बस्ती				
27 · कप्तानगंज	प्रति परियोजना रु0 570/एम. टी.	रु0 5300/सभी में प्रति नौटन हेतु	527/ सभी में प्रति एम.टी.	550/--
28 --हैंसर बाजार				550/--
29 · बहादुरपुर				550/--
30 · खलीलाबाद				565/--
8 · सिद्धार्थनगर				
31 · डुमरियागंज				550/--
9 ·-मऊ				
32 · मुहम्मदाबाद	प्रति पयियोजना रु0 565/ एम.टी.	रु 0 5200 सभी प्रति नौटन हेतु	सभी में रु0 429 प्रति एम.टी.	525 प्रति एम.टी.
33 ---परदहा				525 ,, ,,
34 · रानीपुर				530 ,, ,,
35 ---रतनपुरा	रु0 520/ प्रति एम. टी.	5500 सभी में प्रति सभी नौटन हेतु	495 प्रति एम. टी.	510 प्रति एम. टी.
10 ---आजमगढ़				
36---ठकमा	,, ,,	,,	,,	रु0 525/- प्रति एम. टी.
37---मेहनगर	,, ,,	,,	,,	525/- ,, ,,
38 --तरवां	,, ,,	,,	,,	525/- ,, ,,

1	2	3	4
11---सुल्तानपुर			
39 - मुसाफिरखाना	सभी में रु0	5200/-सभी में	469/प्रति	560 प्रति एम.टी.
40 ---जगदीशपुर	560/ प्रति एम.टी.	प्रति नौटन हेतु	एम. टी.	560 ,, ,,
41 ---कादीपुर	एम. टी.			575 ,, ,,
42 ---जामों				560 ,, ,,
43 - मादर				575 ,, ,,
44 - भेटुआ				560 ,, ,,
45 - शाहगढ़				560 ,, ,,
46 - संग्रामपुर				575 ,, ,,
47 - गौरीगंज				575 ,, ,,
48 --अमेठी				560 ,, ,,
49 -- बल्दीराय				560 ,, ,,

सत्यमेव जयते